राजस्थान विधान सभा

२३वीं बैठक, बुधवार, दिनांक १८ अप्रेल, सन् १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बजकर १५ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री भैरूंसिंह।

प्रश्न संख्या ५३६

ग्राम बागड़ (झुंझुनू) के एक चमार की लड़की मुसलमान द्वारा भगा ले जाने सम्बन्धी कार्यवाही

श्री जगतसिंह झाला:—[श्री भैरूंसिंह (१६) की ओर से] क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि झुंझुनू में गत वर्ष बागड़ ग्राम की एक चमार लड़की को एक मुसलमान द्वारा भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

श्री राम किशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) अपराधी भगाई हुई लड़की के साथ पाकिस्तान चला गया। चूंकि पकिस्तान के साथ एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं है इसलिए इस मामले में पुलिस और कोई कार्यवाही नहीं कर सकती।

श्री जगतसिंह झाला:—क्या लड़की नाबालिग थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—पता नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री राव राजा सरदार सिंह।

प्रश्न संख्या ५४०

सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के संचालक पद के लिए विज्ञापन एवं चुनाव

रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) —क्या मैं इसका जवाब देदूं ?

(प्रश्नकर्ता, राव राजा श्री सरदारसिंह की अनुपस्थिति में निम्नांकित प्रश्न का जवाब दिया गया)
क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक संम्पर्क विभाग के संचालक के पद के लिए विज्ञापन देने का विचार रखती है ?

(ख) क्या उसका मनोनयन (सलेक्शन) जन सेवा आयोग द्वारा किया जाता है ?

(ग) उक्त पद की पूर्ति के लिए किन किन योग्यताओं और अनुभवों का होना अनिवार्य है ?

(घ) सर्वजनिक संपर्क विभाग की शाखायें किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में खोली गई हैं ?

(ङ) वर्तमान सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के पदाधिकारियों की क्या योग्यतायें हैं ?)

श्री **रामकिशोर व्यासः**—(गृह मंत्री) (क) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस पद पर स्थायी नियुक्ति सार्वजनिक नियुक्ति समिति के परामर्श से की जाएगी।

(ग) समाचार पत्र संबंधी कार्य का अनुभव, समाचारपत्र जगत से निजी संपर्क और आवश्यक प्रशासनिक क्षमता इस पद के लिए मुख्यतः आवश्यक है।

(घ) पांचों डिवीजनों के मुख्य कार्यालयों में इस समय जन संपर्क कार्यालय काम कर रहे हैं।

(ङ) पदाधिकारियों के नाम और उनकी मुख्य मुख्य योग्यतायें संलग्न तालिका में दी गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ५४१

राणोली (सीकर) के ग्राम पंचायत चुनाव की आगामी तिथि

श्री जगतसिंह झाला—(श्री भैरूसिंह की ओर से) क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सीकर जिले में राणोली ग्राम पंचायत का चुनाव अब तक क्यों नहीं हुआ है ?

(ख) इस ग्राम पंचायत का चुनाव कराने के लिये कौन कौन से दिन निश्चित किये जाने के क्या कारण थे ?

(ग) अब चुनाव की कौनसी तारीख निश्चित की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से)—(क) जनता में दो पक्ष बन जाने और वार्डों के सम्बन्ध में मौके पर आपत्तियां होने तथा झगड़े की आशंका होने की वजह से।

(ख) १२. १. ५५, २५. ८. ५५, १८. १०. ५५, १०. ३. ५६. चुनाव न होने के कारण (क) में अंकित हैं। १२. १. ५५ को दो वार्डों का चुनाव सम्पन्न हो गया था।

(ग) इस समय चुनाव वार्डों के झगड़े से ही रुका हुआ है। इसलिए अभी तारीख निश्चित नहीं की जा सकी है।

श्री जगतसिंह झाला—कब तक चुनाव हो जावेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी से वार्डों का फैसला किया जा रहा है और चुनाव कर दिये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष--श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ५४२

जागीर पुनर्ग्रहण के परिणाम स्वरूप किशनगढ़ सब डिविजन के सिंचाई के सरकार के नियन्त्रण में आए हुए तालाब

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जागीर पुनर्ग्रहण के परिणाम स्वरूप किशनगढ़ सब डिविजन में कितने सिंचाई के तालाब सरकार के नियन्त्रण में आये ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) उक्त तालाब कहां कहां स्थित हैं और प्रत्येक से कितनी कितनी भूमि की सिंचाई हो सकी है ?

(ग) उक्त तालाबों में कौन कौन मरम्मत तलब हैं और उनकी अब तक मरम्मत नहीं कराने के क्या कारण हैं

श्री खेतसिंह— (उप मंत्री) (क) १८।

(ख) सांवतगढ़, सुख सागर, थाना, थालिया, माना, मझेला, देवारा, पूलोता, आनन्द-सागर, बालासागर, भोपालसागर। ये तालाब तहसील रूपनगढ़में स्थित हैं। हनुमानसागर, मोहनपुरा का तालाब, थालिया, झापरा, राठिया, हनुमानसागर, बिनजारी तहसील किशनगढ में स्थित हैं। ये तालाब अब तक जागीर के आधीन थे। भूमि सिंचाई का रिकार्ड अब तक प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) सभी तालाब मरम्मत तलब है।

(घ) उक्त तालाब ५५.५६ के बजट से स्वीकृति मिलने के बाद सिंचाई विभाग के आधीन में आये थे, अतः इनके लिए कोई रुपया खर्च करना स्वीकृत नहीं किया गया।

(नोटः—प्रश्न में 'घ' भाग उल्लेखित नहीं है, किन्तु सदन में उपमंत्री द्वारा उत्तर दिया गया है)

श्री चांदमल मेहता— अब इन तालाबों की मरम्मत कब तक कराने का सरकार विचार रखती है ?

श्री खेतसिंह— ज्योंही ये तालाब पूर्णतया सिंचाई विभाग के मातहत आ जावेंगे, रकम आने पर मरम्मत करायी जावेगी।

श्री चांदमल मेहता— पूर्णतया से क्या मतलब है ? अब किस स्थिति में हैं ?

श्री खेतसिंह— अभी रिकार्ड वगैरह सिंचाई विभाग के पास नहीं आया है। रिकार्ड आने पर मालूम किया जायगा कि कितने कितने तालाब सिंचाई के काम में आ सकते हैं। कितनी सिंचाई होगी और उनके उपर कितना रुपया खर्च होगा। सर्वे कराई जायगी।

श्री चांदमल मेहता— रेकॉर्ड किसके पास हैं ?

श्री खेतसिंह— रेकॉर्ड अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सिंचाई विभाग के पास नहीं आया है, अब आवेगा।

Page No.5

श्री चांदमल मेहता— क्या चालू वर्ष में सरकार इन तालाबों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

श्री खेतसिंह— उनमें से कुछ तालाबों के लिए सरकार रुपया खर्च करेगी, बाकी के लिए अगले वर्ष ।

श्री चांदमल मेहता— किन किन तालाबों पर सरकार इस वर्ष रुपया खर्च करने का विचार रखती है ?

श्री खेतसिंह— सर्वे जारी है, रिपोर्ट आने पर देखा जायगा कि किन किन तालाबों पर कम खर्चा आता है और किन किन पर ज्यादा, जिन पर कम खर्चा आवेगा उनको पहले कराया जायगा ।

श्री चांदमल मेहता— किन किन तालाबों का सर्वे हो चुका है ?

श्री खेतसिंह— सर्वे जारी है, कम्पलीट हो चुकी इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता— सरकार जिन तालाबों पर कम रुपया खर्च हो उनको क्यों प्राथमिकता देना चाहती है और बाकी को क्यों नहीं ?

श्री खेतसिंह— जिन पर कम खर्चा लगेगा और ज्यादा उपयोग होगा उनको पहले लिया जायगा ।

श्री चांदमल मेहता— जिन तालाबों पर अधिक खर्चा लगेगा तो क्या उन तालाबों को सरकार अपने हाथ में लेने का विचार नहीं रखती है ?

(घन्टी)

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५४३

पिछले ५ सालों में तिजारा खैरथल रोड और तिजारा अलवर रोड पर नये लगाये गये व काटे गये वृक्ष

श्री घासीराम—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे—

(क) पिछले ५ सालों में तिजारा खैरथल रोड और तिजारा अलवर रोड पर कितने नये वृक्ष लगाये गये और ये वृक्ष किन किन तारीखों में लगाये गये ?

Page No.6

[श्री घासीराम]

(ख) इन नये वृक्षों में से कितने वृक्ष अब बाकी हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि इन नये वृक्षों में से एक भी वृक्ष बाकी नहीं है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

(ङ) पिछले ५ सालों में इन सड़कों पर से पुराने वृक्ष कितने बर्बाद हुये हैं और इनके बर्बाद होने के क्या कारण हैं ?

(च) जो वृक्ष टूट कर गिर जाते हैं उनको बेचने का क्या प्रबन्ध है ?

(छ) इस समय कितने वृक्ष सड़कों के किनारे पर सूखे और टूटे हुये इन सड़कों पर और तिजारे से किले तक की सड़क पर पड़े हैं और ये वृक्ष किन के हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)— (क) तिजारा खैरथल रोड पर ६० और तिजारा अलवर मार्ग पर ७० । नये वृक्ष लगाने की तारीख के बारे में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ।

(ख) लगभग ६५ वृक्ष ।

(ग) सही नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) पुराने वृक्ष कोई बर्बाद नहीं हुये ।

(च) सरे आम नीलाम किये जाते हैं ।

(छ) खैरथल तिजारा सड़क पर १६ वृक्ष सूखे व टूटे हुए पड़े हैं । तिज़ारा से किले का रास्ता निर्माण विभाग के आधीन नहीं है ।

प्रश्न संख्या ५४४

चालू वर्ष में ग्राम नरवर तहसील किशनगढ़ में हुई चोरियों की बरामदगी

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) चालू वर्ष में ग्राम नरवर तहसील किशनगढ़ में किस किस के यहां कितने कितने रुपयों की चोरियां हुई ?

Page No.7

[श्री चांदमल मेहता]

(२) उक्त चोरियों में कितने कितने चोर गिरफ्तार किये गये और कितना कितना माल बरामद कराया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(१) चालू वर्ष में कोई चोरी नहीं हुई।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—आप सूचना कौन से वर्ष की दे रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—चालू वर्ष ५६ की।

श्री चांदमल मेहता—क्या ५५-५६ के वित्तीय वर्ष में कोई चोरी हुई है।

श्री रामकिशोर व्यास—हुई होगी, एक चोरी हुई थी।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न भेजा गया था तब ५५-५६ का वित्तीय वर्ष चालू था इसलिए इस प्रश्न को टाला नहीं जा सकता।

श्री रामकिशोर व्यास—यह वित्तीय वर्ष से नहीं गिनते, जनवरी से गिनते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि चालू वर्ष में चोरियें हुईं और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और रुपये पुलिस में बांट लिये गये ?

श्री अध्यक्ष—Does not arise. There is a total denial.

श्री चांदमल मेहता—रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई इसलिए पूछ रहा हूँ कि वहां चोरियां हुईं उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वश्चन।

प्रश्न संख्या ५४५

सीकर जिला बोर्ड द्वारा जिला विकास संबंधी कार्यों के लिए पचास हजार रुपयों की विकास योजना सरकार के पास भेजना

श्री भैरूंसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि गत वर्ष सीकर जिला बोर्ड द्वारा जिला विकास संबंधी कार्यों के लिये ५०,००० रु. की एक योजना बनाकर सरकार के समक्ष स्वीकृति के लिए पेश की गई थी ?

Page No.8

[श्री भैरूसिंह]

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्ष नवम्बर मास में इस योजना को सरकार ने अस्वीकृत कर दिया था यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि दूसरे जिला बोर्डों की इस प्रकार की योजना पर सरकार ने स्वीकृति दे दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) जी हां। एक स्कीम ४१,६०० रु० की आई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) कुछ जिला बोर्डों की इस प्रकार की योजनायें स्वीकृत की गई हैं।

श्री जगतसिंह झाला— कौन कौन से जिला बोर्डों की स्वीकृत की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जयपुर और सवाई माधोपुर।

प्रश्न संख्या ५४६

श्री अध्यक्ष—श्री विशंबरनाथ जोशी

(अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५४७

फागी से मौजमाबाद तक की सड़क बनाने संबधी शासकीय योजना

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

तहसील फागी में, कस्बा फागी से मौजमाबाद तक सड़क कब तक बना दी जायेगी व अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में।

(ख) मौजमाबाद से फागी की ओर १४ मील में निर्माण कार्य चालू है और ११ मील क सड़क के टेन्डर फिर से मांगे जा रहे हैं।

Page No.9

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—इसके टेन्डर कब तक मांग लिये जायेंगे, क्या कोई निश्चित तिथि है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—इस सड़क के लिये सन् ५४ में टेन्डर मांगे जा चुके हैं लेकिन इतने ऊंचे टेन्डर दिये गये थे कि सरकार मन्जूर नहीं कर सकती थी इसलिये फिर से मांगे गये हैं।

प्रश्न संख्या ५४८

जयपुर जिले में हुई हत्याओं के मुकदमे चालान, अदालत के विचाराधीन व मुलजिम बरी

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चालू वर्ष में जयपुर जिले में कुल कितने कत्ल हुए और उनमें से ऐसे कितने मामले हैं जिनमें मुलजिम बरी किये जा चुके हैं ?

(२) ऐसे कितने मामले हैं जिनके केस चालान नहीं हुए हैं ?

(३) ऐसे कितने मामले हैं जो अदालत के विचाराधीन हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) चालू वर्ष में जयपुर जिले में तारीख २६-२-५६ तक ४ कत्ल के मामले हुए। ऐसा एक भी मामला नहीं है।

(२) दो मामले।

(३) बाकी दो मामले।

प्रश्न संख्या ५४६

पंचायत बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ के उप सरपंच के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई गबन का चार्ज लगाया जाने सम्बन्धी

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या ग्राम पंचायत बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़ के उप सरपंच के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई गबन का चार्ज लगाया गया था ? यदि हां, तो कब किसके द्वारा व क्या चार्ज था ?

(ख) क्या यह सच है कि सरपंच ग्राम पंचायत बड़ी सादड़ी एक लम्बे अर्से से पंचायत की बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं ?

Page No.10

[श्री जगतसिंह झाला]

(ग) गत छः माह में पंचायत की कितनी बैठक हुई और उनमें से कितनी में सरपंच उपस्थित थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) जी हां, उप सरपंचजी ने पंचायत के लिये एक घड़ी २० रू. तथा एक फीता ११ रू. में जमीन नापने का खरीदा जिसमें ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने रसीद में काटा फांसी कर २४ रू. व १७ रू. करके पंचायत कोष से स्वयं ने द्रव्य प्राप्त कर लिया जिससे ३०–१–५६ को सरपंच द्वारा केस पुलिस में ४२०, ४६८, ४०६ व ४७१ जुर्म के अन्तर्गत दिया गया।

(ख) जी हां, अपने आवश्यक घरेलू कार्य के कारण पंचायत की बैठकों में भाग नहीं लिया।

(ग) बैठक का रजिस्टर पुलिस ने चिट बन्द कर तहसील में ले लिया है जिससे इस संबंध में अभी सूचना देने में असमर्थता है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि ६ महिनों से वे पंचायत के कार्यों में भाग नहीं ले रहे हैं इसलिये वे नहीं रह सकते।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने इसका जवाब दिया है।

प्रश्न संख्या ५५०

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मपाल पंवार

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५५१

करौली से मासलपुर की सड़क का पक्का बना भाग

श्री ब्रजेन्द्रपाल की अनुपस्थिति में श्री जवानसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

करौली से मासलपुर की सड़क का कितना भाग पक्का बनाया जा चुका है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—करौली से ११ मील तक सड़क पक्की बन चुकी है, केवल दो मील के नाले के हिस्से को छोड़ कर।

Page No.11

श्री जवानसिंह—यह दो मील का हिस्सा कब से छूटा हुआ है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—इसको अब जल्दी ही तैयार कर दिया जायगा।

श्री जवानसिंह—प्रश्न यह है कि यह कब से छूटा हुआ है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह मुझे अभी मालूम नहीं है। मालूम करके बता दिया जायगा।

प्रश्न संख्या ५५२

जनवरी, १६५५ में राजस्थान की विभिन्न अदालतों में सरकार के विरुद्ध पेंडिंग सिविल सूट्स

श्री चांदमल मेहता—क्या विधि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, १६५५ को राजस्थान की भिन्न भिन्न अदालतों में राज्य सरकार के खिलाफ कितने कितने सिविल सूट्स पेन्डिंग थे और इसके बाद कितने नये सूट्स और दायर किये गये ?

(ख) अखीर दिसम्बर, १६५५ तक किन किन की कितनी कितनी डिक्रियां राजस्थान सरकार के खिलाफ हुईं और उनमें किन किन मामलों की अपीलें की गई हैं ?

(ग) किन किन की डिक्रियों की कितनी कितनी रकम का पेमेन्ट किया जा चुका है ?

(घ) उक्त मामलों में किन किन में विशेष वकीलों पर उनका कितना कितना खर्चा पड़ा

श्री रामकिशोर व्यास—(विधि मंत्री)—(क) १ जनवरी, सन् १६५५ को राज्य सरकार के विरूद्ध २१० सिविल सूट्स भिन्न भिन्न अदालतों में पेन्डिंग थे जिनकी सूची (क) भवन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) १ जनवरी, सन् १६५५ के बाद दिसम्बर, १६५५ के अन्तिम दिन तक २२६ सिविल सूट्स भिन्न भिन्न अदालतों में दायर हुए जिनकी (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) अखीर दिसम्बर, सन् १६५५ तक राज्य सरकार के विरूद्ध कुल २३ मुकद्दमें फैसल हुए जिनकी (क) व (ख) सूची भवन की मेज पर रख दी गई है, और जिन मामलों में अपीलें पेश की गई हैं, उनके बाबत इन्द्राज कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

[श्री रामकिशोर व्यास]

(घ) उपरोक्त (ख) सूची से विदित होगा कि जिन मामलों में अपीलें नहीं की गई और सरकार के विरूद्ध डिक्री स्वीकार कर ली गई उनके भुगतान के वास्ते लॉ डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट मुतालिका को लिख दिया गया था और अनुमानतः उनका भुगतान किया जा चुका है। इसकी सूचना लॉ डिपार्टमेंट के पास नहीं है।

(ड) सूची (ख) में दिखाये गये ४३ मुकदमों में सिरोंज के सिवाय कोई विशेष वकील नियुक्त नहीं किया गया। सिरोंज में भी चूंकि गवर्नमेन्ट प्लीडर नहीं है, इसलिए श्री श्रीकृष्ण भार्गव को नियुक्त किया गया था और जो फीस हाई कोर्ट के नियमों के अनुसार उचित थी उतनी ही दी गई है।

श्री चांदमल मेहता—जिन मामलों में सरकार के खिलाफ डिक्रियें हुई हैं उनमें अपीलें नहीं की गईं। अपीलें नहीं करने का फैसला किन अधिकारियों द्वारा किया गया?

श्री रामकिशोर व्यास—फैसला कई आदमी करते हैं। लॉ डिपार्टमेन्ट के एक्सपर्ट्स की राय भी ली जाती है।

श्री चांदमल मेहता—मुकदमा दायर करने का नोटिस आया, उस वक्त फैसला क्यों नहीं कर दिया गया?

श्री रामकिशोर व्यास—अलग अलग केसेज होते हैं। कौन से केस के बारे में आप पूछना चाहते हैं?

श्री चांदमल मेहता—जिन मामलों में डिक्रियें हुईं, अपीलें नहीं की गईं उनमें लॉ डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी की या नहीं की?

श्री रामकिशोर व्यास—स्क्रूटिनी करते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या स्क्रूटनी करने में भूल की गई और अब डिग्री होने के बाद सरकार रुपये देने को तैयार है?

श्री अध्यक्ष—Does not arise. There is always a difference of opinion.

नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ५५३

राजस्थान में नगरपालिकाओं की श्रेणी विभाजन के आधार-विशेषतया किशनगढ़ नगरपालिका

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.13

[श्री चांदमल मेहता]

[१] राजस्थान में नगरपालिकायें कितनी श्रेणियों में विभाजित की गई हैं ?

[२] श्रेणियों में विभाजन के लिए क्या क्राइटेरिया निश्चित किया गया है ?

[३] किशनगढ़ नगरपालिका कब कब किस किस श्रेणी में मानी गई ?

[४] मौजूदा समय में उक्त नगरपालिका को किस श्रेणी में रखा गया है ?

[५] किशनगढ़ नगरपालिका की पिछले तीन साल में कितनी कितनी आमदनी हुई है ?

[६] चालू वर्ष में फरवरी के अन्त तक कितनी आमदनी हो चुकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(१) सात श्रेणियों में।

(२) प्रथम श्रेणी	५,००,००० रु० की आय पर
द्वितीय श्रेणी	२,५०,००० रु० से ५,००,००० तक की आय पर
तृतीय श्रेणी	१,००,००० रु० से २,५०,००० तक की आय पर
चतुर्थ श्रेणी	४०,००० रु० से १,००,००० तक की आय पर
पंचम श्रेणी	१५,००० रु० से ४०,००० ,, ,,
षष्टम श्रेणी	५,००० रु० से १५,००० ,, ,,
सप्तम श्रेणी	५,००० रु० तक की आय पर

(३) किशनगढ़ नगरपालिका सन् १९५० से १९५५ तक तृतीय श्रेणी की नगरपालिका मानी जाती थी।

(४) इस समय चतुर्थ श्रेणी में मानी गई है।

(५) १९५१।५२	६५,२१५ रु०
१९५२।५३	१,१४,१२८ रु०
१९५३।५४	१,१६,७७९ रु०
	२,९६,१२२ रु०
	औसत ९८,७०७ रु०

(६) १,२६,६२० रु०

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ नगरपालिका को तृतीय श्रेणी से हटाकर चतुर्थ श्रेणी में क्यों रखा गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—३ साल की औसत आय १ लाख रुपया से कम रही ६८,७०० रु० रही इसलिए उसे चतुर्थ श्रेणी में रखा गया। आयन्दा आदेश जारी किये गये हैं कि पिछले ३ साल की आमदनी को देखकर इसको रिवाइज किया जाय।

श्री चांदमल मेहता—३ साल की आमदनी सन् १५१-५२ से मानी गई क्योंकि चालू वर्ष में आदेश दिया गया तो पिछले तीन वर्ष के आधार पर यह ठीक नहीं हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास—चालू वर्ष माना जाता है। ५५ में मानी गई उस वक्त आर्डर दिया गया कि पिछले तीन वर्ष की आमदनी से जो औसत निकले उसके क्राइटेरिया से यदि औसत आती हो तो इसको तृतीय श्रेणी में रखा जाय।

प्रश्न संख्या ५५४

(यह प्रश्न आगे लिया गया है)

प्रश्न संख्या ५५५

ग्राम रानोली (त० दांतारामगढ़) की पंचायत के चुनाव के स्थगन के कारण इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम रानोली तहसील दांता रामगढ़ की ग्राम पंचायत का चुनाव कराने के लिये कितनी मरतबा तारीखें निश्चित की जा चुकी हैं ?

(२) कितनी मरतबा चुनाव हुए और कितनी मरतबा चुनाव स्थगित किये गये ?

(३) कितनी मरतबा वार्ड्स में परिवर्तन किया जा चुका है ?

(४) अन्तिम चुनाव के वक्त, किस किस वार्ड में कितने कितने व्यक्तियों की जन संख्या रखी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(१) ४ मरतबा।

(२) प्रथम बार दो सदस्यों का निर्वाचन हुआ। तीन चार निर्वाचन स्थगित हुये।

Page No.15

श्री दामोदरलाल व्यास]

(३) २ बार।

(४) मौके पर सब डिविजनल ऑफिसर को भेजकर वार्ड्स बनवाये गये हैं। वार्डों की बन गणना नहीं की जाती।

प्रश्न संख्या ५५६

श्री अध्यक्ष—श्री कस्तूरचंद।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५५७

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५५८

ग्राम करमपुर (त० सवाई माधोपुर) में कुआ बनवाने सम्बन्धी शासकीय योजना

श्री श्रीदास गोयल (१४२)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) सवाई माधोपुर तहसील में कितने ग्राम कितनी जन-संख्या के हैं और वहां जल बोर्ड द्वारा अब तक कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(२) क्या यह सच है कि करमपुर ग्राम तहसील सवई माधोपुर में कोई कुआ नहीं है और वहां के निवासी बरसात का गदला पानी पीते हैं ?

(३) सरकार उक्त कठिनाई को हल करने के लिए क्या कदम और कब तक उठा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से)—(१) सवाई माधोपुर तहसील में कुल ग्राम २०४ हैं जिनकी जनसंख्या कुल १,०१,७७० है और वहां अब तक कुल ५,०००) रु० खर्च हुये हैं।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(२) जी हां।

(३) दिनांक १६ मार्च, १९५६ को राजस्थान जलबोर्ड जयपुर द्वारा ग्राम करमपुर में कुआ बनवाने हेतु २०००) रु० स्वीकार हुआ है और शीघ्र कार्य सम्पन्न होने की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५५६

तिजारा (अलवर) के लोकअप के विस्तार हेतु तीस हजार रुपये की स्वीकृति के अनुसार कार्य

श्री घासीराम—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क्या तिजारा (अलवर) के लोकअप को एन्लार्ज कराने के लिए ३०,००० रुपये काफी समय से मन्जूर शुदा हैं ? यदि हां, तो यह काम कब तक करा दिया जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—इस प्रकार की स्कीम पहले बनाई थी। उसमें ३०,००० रु० की स्वीकृति हुई थी किन्तु एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट के कोर्ट का स्थानान्तर तिजारा से बैराठ हो गया है। इस लिए तिजारा के लोकअप के परिवर्तन तथा परिवर्धन की अब आवश्यकता नहीं रही।

श्री घासीराम—एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट के कोर्ट का ट्रान्सफर तिजारा से बैराठ हो गया तो क्या हुआ लोक अप तो वहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मजिस्ट्रेट के कोर्ट की ट्रान्सफर हो गई इसलिए अब इसकी उतनी आवश्यकता नहीं।

प्रश्न संख्या ५६०

श्री अध्यक्ष—श्री शम्भूसिंह।

(अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५६१

कस्बा तारानगर (चूरु) के अस्पताल में ड्रेसिंग व कन्सल्टिंग रूम की व्यवस्था करना

श्री प्रभुदयाल(११६)—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

[श्री प्रभुदयाल]

(क) क्या कस्बा तारानगर जिला चूरू अस्पताल में ड्रेसिंग रूम और कन्सल्टिंग रूम की व्यवस्था है ?

(ख) यदि हां तो क्या और नहीं तो क्यों ? और कब तक यह व्यवस्था कर दी जावेगी ?

श्री दामोदर लाल व्यास (स्वास्थ्य मंत्री की ओर से)—(क) जी हां।

(ख) एक कमरा पर्दे द्वारा दो कमरों में विभाजित है और उसके एक हिस्से में ड्रेसिंग रूम है और दूसरे हिस्से में कनसल्टिंग रूम है ?

श्री प्रभुदयाल—क्या यह व्यवस्था काफी है ?

श्री दामोदर लाल व्यास—जी हां।

श्री प्रभूदयाल—क्या सरकार इसकी दुबारा जांच करने को तैयार है कि वहां पर पर्दे द्वारा जो व्यवस्था की है वह काफी नहीं है ?

श्री दामोदर लाल व्यास—नहीं है।

प्रश्न संख्या ५६२

श्री अध्यक्ष—श्री शम्भुसिंह

(अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५६३

पीलिया प्रकोप तथा इसके रोकने सम्बन्धी शासकीय योजना

महाराज श्री केसरीसिंह—Will the Minister for Medical & Health be pleased to state:-

[a] How many Jaundice cases have been reported in Rajasthan since its outbreack ?

[b] Has the Government conducted any enquiry into the source and causes of this outbreak in the State ?

[महाराज श्री केसरीसिंह]

[c] What precautionary measures if any has the Government taken in order to check the further outbreak of this disease in Rajasthan ?

श्री दामोदर लाल व्यास (स्वास्थ्य मन्त्री की ओर से)—इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या ७६ दिनांक १४–३–३६ व प्रश्न संख्या ३१० दिनांक ४–४–५६ को दिया जा चुका है। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है—

(क) १८५४

(ख) जी हां।

(ग) इस रोग की रोकथाम के लिये हर अस्पताल में प्रबन्ध कर दिया गया है और विज्ञप्ति इस संबंध में समस्त जिलों में वितरित करदी गई है जिसमें इस रोग के लक्षण तथा रोकथाम आदि के उपाय बताये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५६४

चम्बल बांध के अन्तर्गत निकाली नहरों की खुदाई में
आई हुई खुदकाश्त की भूमि के लिये मुआवजा

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) चम्बल बांध के अन्तर्गत निकाली गई नहरों (लोअर व अपर) की खुदाई में खुदकाश्त की कितनी भूमि अब तक किन किन तहसीलों की सरकार द्वारा एक्वायर की जा चुकी है ?

(ख) एक्वायर की गई भूमि का कम्पन्सेशन क्या सरकार द्वारा दिया जा चुका है ?

(ग) यदि हां तो किस श्रेणी की जमीन का कम्पन्सेशन किस हिसाब से तय किया गया है?

(घ) अब तक कुल कितनी जमीन का कितना कम्पन्सेशन दिया जा चुका है और कितना देना शेष है ?

(ङ) यदि अब तक उक्त कम्पन्शेन नहीं दिया गया है तो क्यों और उक्त व्यवस्था कब तक हो सकेगी ?

श्री खेतसिंह (उपमंत्री)—(क) चम्बल बांध के लिये राइट और लेफ्ट नहरों के लिये निम्न तहसीलों में खुदकाश्त की भूमि एक्वायर करने को धारा ६ व १७ राजस्थान लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत घोषणा प्रकाशित अब तक केवल निम्नलिखित हुई:—

	राइट केनाल	लेफ्ट व कामरेन ब्रांच
(१) तहसील लाडपुरा	११५१ बीघा	१६१ बीघा
(२) तहसील दीगोद	४०६ बीघा	
(३) तहसील तोलेडा		३३४ बीघा
(४) तहसील पाटण राइट केनाल		१६६ बीघा।

(ख) कंपनसेशन काश्तकार को दिया जा रहा है, अब तक ६३४२६) रू० दिया जा चुका है।

(ग) भूमि जो एक्वायर की जा रही है वह प्रत्येक ग्राम में अलग अलग पेशी की है जिसका मुआवजा धारा २३ सर्वे लैंड एक्वीजीशन एक्ट में वर्णित आधार ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गांव में पिछले ४-५ वर्ष में भूमि बिक्री फीस हिसाब से हुई उस पर ध्यान रखते हुए किस काश्तकार की कितनी फीस है उस समय उसकी भूमि ली जाती है उस काश्तकार से पूछ कर उसे अलग किया जाता है।

(घ) अब तक ८५६ बीघा जिस में आये पेड़ आदि भी शामिल हैं का कम्पन्सेशन ६३,४२६) रूपये दिया जा चुका और ऊपर घोषित हुए रकबे में से ४६० बीघा का देना शेष है।

(ङ) शीघ्र व्यवस्था की जा रही है।

श्री कंवरलाल जेलिया—अभी तक देर हुई उसका क्या कारण है ?

श्री खेतसिंह—आधे से ज्यादा एरिया का तो कम्पेन्सेशन दिया जा चुका है और पहले एक ही लैंड एक्वीजिशन आफीसर साहब थे, अब दो मुकर्रर कर दिये हैं जल्दी ही कार्यवाही की जायगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार द्वारा जो कम्पेन्सेशन दिया जायगा वह खुदकाश्त लैंड और लीज़ पर दी गई लैंड के बराबर आधार पर दिया जायगा ?

श्री खेतसिंह—मैंने (ग) का उत्तर देते हुए बताया कि लैंड एक्वीजिशन कानून के माफिक और जैसी जमीन होगी उसके आधार पर कम्पेन्सेशन दिया जायगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—नहीं मेरा प्रश्न यह है कि लीज़ पर दी गई जमीन का और

[श्री कंवरलाल जेलिया]

खुदाकाश्त का जो कम्पेन्सेशन दिया जायगा वह रकम दोनों की एक सी ही सरकार द्वारा दी जायगी या अलग अलग ?

श्री अध्यक्ष—यह तो लैंड एक्वीजिशन कानून के तहत दिया जाता है गवर्नमेंट नहीं देती।

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५६५.

भाखरा केनाल क्षेत्र में प्रथम श्रेणी की मंडी की स्थापना

श्री कुम्भराम आर्य (८०)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) भाखरा केनाल एरिया के अन्दर प्रथम श्रेणी की मंडी किस स्थान पर स्थापित की जायेगी और इसकी स्वीकृति किस तारीख को सरकार द्वारा हुई ?

(ख) इस मंडी के निर्माण के कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

(ग) आज तक प्लाट्स नहीं दिये जाने और कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(क) हनुमानगढ़ जंक्शन पर सन् १६५४ के मध्य में २७–५–१६५४ से प्रथम श्रेणी की मंडी स्थापित करने की मंजूरी सरकार द्वारा हुई।

(ख) नक्शे बन गये हैं। कार्य इस साल प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

(ग) वाञ्छित स्टाफ की कमी के कारण व मंडी के लिये रकम सैंक्शन नहीं होने के कारण।

(घ) ऐसे कार्य के लिये अलहदा स्टाफ स्वीकृत कर दिया गया है।

एक सदस्य—नक्शे कहां पड़े हैं, क्या आसमान में ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—दफ्तर में।

वही सदस्य—क्या वह दफ्तर आसमान में है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—अब आसमान पर कोई दफ्तर नहीं है।

श्री कुंभाराम आर्य—क्या नक्शे स्वीकार कर लिए गए हैं ?

Page No.21

श्री रामचन्द्र चौधरी—जी हां।

श्री कुंभाराम आर्य—तारीख बतला सकेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—अभी मेरे पास नहीं है।

श्री कुंभाराम आर्य—यह केस केबिनेट में गया या आपने ही किया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह मेरे से पहले ही तय हो चुका है।

श्रीकुंभाराम आर्य—कितनी जमीन इसके अन्दर आई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह अलग से ही सवाल पूछेंगे तो बताया जायगा।

श्री कुंभाराम आर्य—यह मंडी किस जगह पड़ेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—हनुमानगढ़ जंक्शन और भांखरा केनाल के बीच में।

श्री कुंभाराम आर्य—यह तो पैंतालीस मील लम्बा टुकड़ा है किस जगह पड़ेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—आपने देखा नहीं यह टुकड़ा डेढ़ मील लम्बा ही है।

(हंसी)

श्री कुंभाराम आर्य—चौड़ाई डेढ़ है, उसके किस जगह पड़ेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—बीच में पड़ेगा।

श्री कुंभाराम आर्य—लंबाई में किस जगह यह मंडी बसाई जायगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—गंग केनाल और गंगानगर लाइन जाती है उसके बीच में बसाई जायगी।

श्री कुंभाराम आर्य—कब प्लाट देने शुरू किये जायेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—इसी साल शुरू कर दिये जायेंगे।

श्री कुंभाराम आर्य—साल में १२ महीने होते हैं, महीना बताइये।

श्री रामचन्द्र चौधरी—शीघ्र शुरू कर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.22

प्रश्न संख्या ५६६

सन् ५६–५७ में खोले जाने वाले विकास सेवा खण्ड विशेषतया तहसील डेगाना में

श्री भोपालसिंह—क्या सामुदायिक विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) १९५६–५७ में कितने नये विकास सेवा खण्ड खोलें जावेंगे और कहां कहां ?

(ख) क्या डेगाणा तहसील में भी खोला जावेगा, अगर हां, तो कब ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) सन् १९५६–५५ में अनुमानत: २३ नये विकास खण्ड खोले जावेंगे। ये किन किन स्थानों पर खोले जावेंगे, यह अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री भोपालसिंह—कौन से महीने में खोले जावेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास—कुछ इसी महीने में खोले जावेंगे।

श्री भोपालसिंह—इस महीने में कितने खोले जावेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास—१०।

श्री भोपालसिंह—तय कब हो जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—दो तीन दिन में हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५६७

जयपुर शहर की तोपखाना शहर चौकड़ी में डिस्पेन्सरी की स्थापना कराने सम्बन्धी

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (५६)—क्या चिकित्सा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) जयपुर शहर की किन २ चौकड़ियों में डिस्पेंसरी की व्यवस्था है ?

Page No.23

[श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री]

(ख) क्या यह सत्य है कि जयपुर शहर की सबसे बड़ी चौकड़ी तोपखाना देश में अब तक कोई डिस्पेन्सरी कायम नहीं हुई है ?

(ग) यदि हां तो ऐसा क्यों ? अब इस चौकड़ी में डिस्पेंसरी कब तक खुल जायेगी ?

(घ) क्या यह भी सत्य है कि उक्त चौकड़ी में चल रहे, एक मात्र प्रसूति गृह को भी वहां से हटा दिया गया है ?

(ङ) यदि हां, तो क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(चिकित्सा मन्त्री की ओर से) (क) चौकड़ी पुरानी बस्ती, चौकड़ी रामचन्द्रजी, चौकड़ी सरहद, चौकड़ी हवाली शहर।

(ख) इस चौकड़ी में एक पुरानी डिस्पेंसरी है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जी हां।

(ङ) जिस मकान में प्रसूति गृह था उसमें न तो यह हवादार था और शौचालय का उचित प्रबन्ध न होने से मरीजों को दुर्गन्ध आने की शिकायत रहती थी। अब इस प्रसूतिगृह को पास लगती हुई चौकड़ी में ही एक अच्छे मकान में परिवर्तित कर दिया गया है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या चौकड़ी तोपखाना देश में एलोपेथी डिस्पेंसरी नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यूनानी डिस्पेंसरी है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५६८

भरतपुर नगरपालिका के हिसाब में गम्भीर अनियमिततायें एवं उसकी जांच रिपोर्ट

श्री जवानसिंह—Will the Minister for Local self Government Depart-

[श्री जवान सिंह]

ment, be pleased to state:—

(a) Is the Goverment aware that serious irregularities were reported in the accounts of the Bharatpur Municipality ?

(b) Have the said accounts been audited by the Government ?

(c) Whether an enquiry was made, in this regard, by the S. D. O, Bearatpur?

(d) Will the Minister place on the table of the House a detailed report of the enquiry conducted by the S. D. O. as well as the Audit Report ?

(e) At what stage does the case stand now ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) कुछ इस प्रकार की शिकायतें विचाराधीन हैं।

(ख) जी हां।

(ग) कुछ शिकायतें जिलाधीश भरतपुर के पास जांच के लिये भेजी गई थीं।

(घ) मामला विचाराधीन है।

श्री जवानसिंह—जैसा कि फरमाया है कुछ एस. डी. ओ. के पास भेजी हैं और बाकी की कुछ कहां कहां भेजी गई हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया न कि कुछ तो एस. डी. ओ. के पास जांच हुई है और कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिनकी जांच कलेक्टर से कराई है।

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. ने जांच करके सरकार के पास रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

श्री दामोदरलाल व्यास—जी जां।

श्री जवानसिंह—किस तारीख को रिपोर्ट सरकार के पास प्रस्तुत कर दी है और अभी तब कोई निर्णय क्यों नहीं किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तारीख तो मुझे इस समय याद नहीं। मैंने अर्ज किया न कि विचाराधीन है।

श्री जवानसिंह—क्या इस शिकायत में रुपया गबन करने की भी शिकायत है ?

Page No.25

श्री दामोदरलाल व्यास—कई तरह की शिकायतें थीं कि रुपये का दुरुपयोग किया गया है।

श्री जवानसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि गबन का मामला था कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ये मामले सब सरकार के विचाराधीन हैं, जल्द ही फैसले किये जायेंगे। जहां तक गबन का सवाल है, इस प्रकार की शिकायतें आई हैं।

श्री भैंरु सिंह—क्या एस. डी. ओ. के पास से जिन मामलों की जांच कराई गई उनमें गबन के मामलों की भी जांच कराई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग से प्रश्न है।

श्री जवानसिंह—क्या रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

श्री जवानसिंह—क्या सदन की मेज पर रिपोर्ट की प्रति रखने की कोशिश करेंगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वह अभी तैयार नहीं हुई है।

श्री जवानसिंह—ऑडिट रिपोर्ट के लिये आपने अभी बताया था।

श्री दामोदरलाल व्यास—प्रति अभी मेज पर रखी नहीं गई है, रख दी जावेगी।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. ने गबन के मुकदमों को चलाने के लिये सरकार से स्वीकृति मांगी है ?

प्रश्न संख्या २६६

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री कस्तूरचन्द जैन।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष—Repetition.

श्री विशम्भरनाथ जोशी।

(अनुपस्थित)

Page No.26

[श्री अध्यक्ष]

श्री धर्मपाल पंवार ।

(अनुपस्थित)

श्री मोटाराम चौधरी ।

प्रश्न संख्या ५५४

तहसील सिवाना के ग्राम गुडाना के नाले को भरकर नहर मेली नहर बांध से लाने का ठेका एवं उस नहर से सिंचाई

श्री मोटाराम चौधरी—क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील सिवाना के गांव गुडानाल के नाले को भर कर जो नहर मेली बांध में लाने की थी उसका कुल कितने रुपयों का ठेका था ?

(२) उपरोक्त नहर से कुल कितने बीघे जमीन में पानी मिलेगा ?

(३) इस नहर के नीचे जिन काश्तकारों की जो जागीरें आ गई हैं उनको क्या मुआवजा मिलेगा ?

श्री खेतसिंह—(उप मंत्री)

(१) वहां की कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इस काम को करने के लिये मांग नहीं की।

(२) ४,९३६) रु० (चार हजार नौ सौ छतीस रुपये)।

(३) इस नहर द्वारा बन्ध को बरसाती मौसम में भरने का विचार है। इससे कोई सिंचाई नहीं होवेगी। जो जमीन ली जावेगी उसका मुआवजा लैन्ड एक्वीजिशन एक्ट के मातहत मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री कस्तूरचन्द जैन।

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी।

(अनुपस्थित)

श्री शम्भूसिंह।

(अनुपस्थित)

भू स्वामियों के पुनर्वास सम्बन्धी समस्या पर विचार हेतु गोलमेज बुलाने संबन्धी अशासकीय संकल्प

श्री भैंरू सिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की सम्मति है कि राजस्थान के भूस्वामियों के पुनर्वास संबन्धी समस्या पर विचार करने हेतु सब दलों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जावे।

माननीय अध्यक्ष, जहां तक भूस्वामियों की समस्या का प्रश्न है हमें यह सोचना पड़ेगा कि जिस समस्या पर हम विचार करने जा रहे हैं, उसका सीधा प्रभाव राजस्थान की कितनी जनसंख्या पर पड़ता है। राजस्थान की आबादी १ करोड़ ६० लाख के करीब है। इसमें यदि मैं सही नहीं हूं तो इतना अवश्य कह सकता हूं कि राजस्थान के जो भूस्वामी इस समस्या के शिकार बने हुए हैं, उनकी संख्या ३० लाख से कतई कम नहीं होगी और समय समय पर राजस्थान क्षत्रिय महासभा की ओर से और सरकारी वक्ताओं की ओर से स्टेटमेंट निकले हैं, इस पर वाद विवाद हुआ है, विचार विमर्श हुआ है, उनको, सबको देखने से पता चलता है कि यह संख्या ३० और ३५ लाख के बीच की है।

अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि राजस्थान के इस चौथाई हिस्से की जनसंख्या के हिस्से पर जो अत्याचार और जिस प्रकार का भीषणपात होता है उसके लिये हमने उनको क्या क्या सुविधाएं दी हैं। माननीय अध्यक्ष, राजस्थान की वर्तमान सरकार ही नहीं बल्कि सन् १६४७ के बाद जितनी भी सरकारें राजस्थान में बनी हैं उन्होंने सबने इस मामले को एक ही दृष्टि से देखा है कि जागीरदारों का शोषण किया जाए, जागीरदारी समाप्त की जावे और उन लोगों को दर दर का भिखारी बनाया जावे। इन तीनों चारों सरकारों ने प्रगतिशील सरकार की आड़ में जागीरदारों को समाप्त करने की योजनाएं बनाई। मैं यह आपसे कहूँगा कि इस नये युग में कोई यह नहीं कह सकता कि जागीरदारी प्रथा वर्तमान युग के अनुकूल है। सब लोग इस बात की मांग करते हैं और करते आये हैं कि जागीरदारी को समाप्त किया जावे। मगर इस मांग के साथ साथ कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि इस मांग को पूरी करके जागीरदारों की जो जागीरें उनसे छीनी जाती है, उसके एवज में उनको जीवन निर्वाह के साधन छीन कर उनको कोई दूसरा सब्स्टीट्यूट पुनर्वासके लिये नहीं दिया जावे। सब यही कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। बात कहने के लिये तो बड़ी सरल है। हमारी सरकार कहती क्या है और भविष्य में भी कहेगी कि हमने राजस्थान के उन ३५ लाख लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिये कानून बनाये हैं और वह किस प्रकार का जागीर रिमजशन एक्ट के नाम से कानून बनाया है, उसके आधार पर माननीय अध्यक्ष, कानून बना है। लेकिन कानून बनाने के पीछे उनकी भावना किस प्रकार की थी यह देखना है।

सबसे पहले १६५२ में कानून बना। उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को यह भय था कि जागीरदारी प्रथा को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाय और अगर जल्दी

[श्री भैंरूसिंह]

से जल्दी समाप्त नहीं किया तो बहुत मुमकिन है कि उनको अगले चुनावों में शायद स्थान नहीं मिले। उन्होंने इसमें तजुर्बेकार लोगों की राय नहीं ली। उन्होंने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है। तुरन्त १८ फरवरी को यह कानून लागू कर दिया। उस कानून में बहुत सी अड़चनें थीं इसलिये जब उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आया तो लोगों को नोटिसेज दिये गये। उस समय कतिपय जागीरदारों ने गलत बने हुए कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर की। भले ही हाईकोर्ट में फैसला उनके अनुकूल नहीं हुआ हो। हाईकोर्ट का फैसला अनुकूल हुआ हो या नहीं लेकिन इस दरमियान में राजस्थान क्षत्रिय महासभा और राजस्थान सरकार में समझौते की बातचीत चली। दोनों ने यह सोचा कि जहां तक हो सके एमीकेबली मामला तय हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन उस समय भी एक ही दृष्टिकोण था। सबसे पहले हम इस समस्या को मान कर चलते हैं कि किसी प्रकार की आमदनी की जागीरें नहीं रहेगी। इसको लागू करने में कठिनाइयां आ सकती हैं इसलिये ५००० से ज्यादा की जागीरें रिज्यूम की जावें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्षत्रीय महासभा ने भी जो समझौता किया उसमें केवल एक ही दृष्टिकोण को लेकर वे चल रहे थे कि ५ हजार से नीचे की जागीरें रिज्यूम नहीं की जावें। हमारी कांग्रेस सरकार इस ख्याल में थी कि जागीर रिजम्पशन के सारे सिद्धान्त इन्होंने स्वीकार कर लिये हैं इसमें एक से लेकर ५ हजार की जागीरें भी आ जाती हैं, इसलिये दोनों ही पार्टी मुगालते में आगे बढ़ती रहीं। उस समय कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ और स्थिति आई कि स्पष्टीकरण आवश्यक हुआ। क्षत्रीय महासभा को कहा गया कि आपने ऐसे सिद्धान्त स्वीकार किये। मजबूरी थी, मगर राजस्थान क्षत्रीय महासभा के बारे में यह भले ही कहा जा सकता है कि सारे राजस्थान के जागीरदारों का प्रतिनिधित्व किया हो लेकिन मैं यह पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि छोटे जागीरदारों का प्रतिनिधित्व उसने नहीं किया। जिस समय समझौता हुआ ५००० से नीचे की जागीरों को समाप्त करने की बात उनके सामने नहीं आई। हुआ क्या कि दो तीन सदन के सदस्य और एक बाहर के सदस्य कुल चार सदस्य गये और उन्होंने समझौता किया। माननीय अध्यक्ष, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग गये थे उनको भूस्वामियों की स्थिति का कतई ज्ञान नहीं था। वे कतई उन चीजों से परिचित नहीं थे और इसी कारण से पंतजी के सामने छोटे भूस्वामियों की समस्या को ये लोग नहीं रख सके। इसलिये मैं यह कह सकता हूं कि समझौता करने वालों के मस्तिष्क में यह था कि ५ हजार से नीचे की जागीरें समाप्त नहीं हो रही हैं और इस कारण से इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि उनको किस प्रकार से कम्पेन्सेशन दिया जावेगा, उनके पुर्नःवास के लिये क्या व्यवस्था होगी। इस बात का विशेष तौर से ध्यान दिया गया अन्त में जिस समय पांच हजार से नीचे की जागीरों को समाप्त करने का प्रश्न आया, उस समय क्षत्रिय महासभा ने जान बूझ कर ऐसी बात की हो यह तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यह जरुर कहूंगा कि जो कमिटमेन्ट्स हो चुके थे पांच हजार से नीचे की जागीरों को लेने के लिये उस संबन्ध में वे ठीक प्रकार से सोच नहीं पाये थे। सन् १९५४ में हमारे सामने एक कानून बना और जागीर रिजम्पशन एक्ट में एक संशोधन लाया गया और वह भी पास हुआ। उसके बाद खास तौर से भूस्वामियों को ऐसा पता था कि जो कानून बना है उसका इम्पलीमेन्टेशन

[श्री भैंरू सिंह]

ठीक प्रकार से होगा जो राहत उनको मिलने वाली है मिल जायगी। बदकिस्मती है कि ३५ लाख भूस्वामियों का छोटे बड़ों का प्रश्न नहीं, बड़ों के साथ न्याय हुआ हो ऐसी बात नहीं है लेकिन छोटे भूस्वामियों के साथ इन ३५ लाख भूस्वामियों के साथ छोटे बडों का कोई अन्तर न रखकर दुधारी नीति से उनकी हत्या करने की नीति का पालन करना शुरु कर दिया गया।

जब हम किसी की जीविका को लें प्रगतिशील युग के कारण, वर्तमान परिस्थितियों के कारण किसी की सम्पत्ति छीनते हैं, कि सार्वजनिक हित की दृष्टि से छीनते हैं तो हमारा यह भी दायित्व हो जाता है कि जिस व्यक्ति की सम्पत्ति छीनी जा रही है उसकी सम्पत्ति की एवज में उसके जीवन निर्वाह के लिये सारे के सारे साधन जुटायें। इन ३५ लाख भूस्वामियों के लिये अगर मैं कहूं एक एक चीज को लेकर हमको बताना पड़ेगा कि इन ३५ लाख भूस्वामियों के जीवन निर्वाह के लिये हमने क्या क्या व्यवस्था की।

छोटे छोटे जागीरदारों, का प्रश्न आता है, एकसे पांच हजार तक जागीरों का प्रश्न आता है हमने उनको मुआवजा देने की व्यवस्था की है, उनको पुनर्वास को सहायता देते हैं सारा मिलाकर छोटे छोटे जागीरदारों को १५ गुना मुआवजा देते हैं। लेकिन आपकी सरकार के जो मुआवजा देने के नियम हैं, उनकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देखने से पता लगता है कि अगर किसी जागीरदार के पास अच्छा सा वकील न हो जबतक किसी वकील को ५०० रुपया न दे तब तक वह कम्पेन्सेशन लेने का जो तरीका अपनाया है वह न जान सकता है और न उसकी पूर्ति ही कर सकता है। एक हजार से पांच हजार तक की जागीर वाला तो इस आधार पर एक पैसा भी कम्पेन्सेशन ले नहीं सकता। कम्पेन्सेशन स्लिप मेरे पास है मैं सब को बताना नहीं चाहता किन्तु मोटे रूप से मैं एक स्लिप की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, एक वेरीफिकेशन स्लिप है जिसके ४६ खाने हैं। उन ४६ खानों की पूर्ति की अपेक्षा आप उस अनपढ़ और गरीब जागीरदार से करवाना चाहते हैं जिसके पास कोई जरिया नहीं। कोई भी व्यक्ति मान नहीं सकता कि एक गरीब और अनपढ़ जागीरदार इतना सब कुछ करवा सकता है। जब सरकार के पास कम्पेन्सेशन के फार्म नहीं आये तो किसी को इन्टरिम कम्पेन्सेशन मिलने का नहीं। इस बात को दुनियां में कोई भी व्यक्ति मानने वाला नहीं कि सरकार पैसा दे और कोई ले नहीं। लेकिन कहा यह जाता है कि हम तो पैसा देने के लिये तैयार हैं, लेकिन लेवें कैसे, जब कि आपने उन जागीरदारों के सामने एक प्रकार की दुविधा पेश कर दी है यह दुविधा ऐसी है कि किसी भी जागीरदार के लिये पैसा लेना संभव नहीं। यह जो वेरीफिकेशन की स्लिप है और भी नोटिफिकेशन हैं उनको भरना तो दूर रहा उनको पढ़ तक नहीं सकते उनकी भाषा तक नहीं समझ सकते, अगर समझ लें तो पूर्ति नहीं कर सकते और जब कि पूर्ति न हो तो कम्पेन्सेशन नहीं मिल सकता।

अध्यक्ष महोदय, सदन में पहले भी जिक्र आया। सदन के बाहर भी इस संबन्ध में वाद-विवाद हुआ कि राजस्थान सरकार लाखों आदमियों के पुनर्वास आदि की व्यवस्था हाथ में लिये हुए

[श्री भैंरूंसिंह]

है, उसको इस बारे में सहानूभूति से सोचना पड़ेगा । आज किसी जागीरदार के फार्म के विषय में या जागीरी फार्म के विषय में किसी प्रकार जांच की आवश्यकता होती है तो पहले कलेक्टर के पास जांच होती है। फिर वह कमिश्नर के पास जांच करायें। मैं समझता हूं कि जिनकी जागीरें एक हजार से लेकर पांच हजार तक की हैं, वे इन सब परेशानियों और खानों की पूर्ति करें, उनके लिये असंभव है। तो इसके लिये अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर इस प्रकार की एडवाइजरी कमेटियों का निर्माण कर दें जो गवर्नमेन्ट की सहायता से निर्धारित करें कि अमुक तहसील अमुक जिले में कितने जागीरदार हैं और किस किस जागीर की आमदनी कितनी कितनी है। जिस समय रिज्यूम करें उसी समय उनको क्लीअर सर्टीफिकेट दे दिया जाय। जैसे किसी की पांच हजार की जागीर है उसका बीस हजार रूपया मुआवजा हुआ उस समय उस को बीस हजार के सर्टीफिकेट दे दिये जाय ताकि वह बैंक में ले जाकर हेन्ड कैश करवा सके। इसके अलावा अगर आपकी तरफ से यह कह दिया जाता है कि हम पुनर्वास को सहायता नहीं देते तो मैं इसे स्पष्ट रूप से अच्छी चीज़ मानता हूं। लेकिन यह कहकर कि हम पुनर्वास की सहायता देना चाहते हैं और फिर उसका कंठ पकड़ें, यह न्यायोचित चीज कदापि नहीं कही जा सकती।

यह भी कहा जाता है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे फाइनेन्सेज ठीक नहीं है हम जागीरदारों को एकसाथ मुआवजा नहीं दे सकते। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है या नहीं यह तो हमें यहां हर सेशन में देखने को मिलता है कोई भी सेशन ऐसा नहीं गया जिसमें किसी न किसी प्रकारका जनता पर टेक्स न लगाया गया हो। हर विधानसभा के अधिवेशन में नये नये टेक्स जनता पर लागू किये जाते हैं। इस प्रकार के टेक्स लगाने के बाद भी यह कहना कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो मैं यह समझता हूं आपकी आर्थिक स्थिति इतना होने पर भी कभी ठीक हो सकेगी या नहीं। मुझे तो संभव नहीं लगता। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है तो क्या उन ३५ लाख भूस्वामियों की आर्थिक स्थिति ठीक है जिनको आजीविका के साधन आप ले चुके हैं। आप अपना खर्च कम करें और उन भूस्वामियों को एक साथ मुआवजा देकर और उनके पुनर्वास में किसी प्रकार से सहयोग दें।

माननीय अध्यक्ष, कम्पेन्सेशन का प्रश्न आता है; पुनर्वास का प्रश्न आता है। मुझे मुख्य मंत्री के वे शब्द याद हैं जो छोटे भूस्वामियों को भुलावे में डालने के लिये इसी सदन में कहे गये थे। आपने कहा था कि हम छोटे जागीरदारों के लिये जिनकी जागीर की २५० रुपया होती है उनको हम १५ वर्ष तक २२५ रुपये आमदनी की तौर पर देते हुए चलेंगे। इसके दूसरे पहलू की ओर माननीय अध्यक्ष, मैं सदनका ध्यान आकर्षित करूंगा। जितने भी छोटे छोटे भूस्वामी हैं वे अधिकांश स्वयं काश्त करते हैं। मान लीजिये किसी के पास १०० बीघा जमीन है, उसको एक रुपया पर बीघा के हिसाब से लगान देना पड़ता है जो स्वयं काश्त करता है उसे १०० बीघा पर १०० रुपये सालाना लगान देना पड़ता है। इस तरह कम्पेन्सेशन का जो केलकुलेशन होगा १०० में से दस परसेन्ट निकाल कर आप ले लेंगे इस प्रकार से आप उस जागीरदार को देंगे कुछ नहीं बल्कि उल्टा उससे

[श्री भैरूसिंह]

कुछ लेंगे ही, हर साल उसकी जेब से लेने वाले हैं, आप हर साल उसके कम्पेन्सेशन में से १० रुपया आप स्नेच कर लेंगे। यह जो २२५ रुपये हर साल मिलते रहेंगे यह कहना छोटे भूस्वमियों को मुगालते में डालनेके लिये कहा गया है। आप यह नहीं कर सकते कि जिनके जोवन निर्वाहके साधन आप ले रहे हैं उनके लिये साधन दें। यह आप अपने ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते कि हम उनको किसी न किसी प्रकार धन्धा दें। क्षत्रिय महासभा ने, राजस्थान के कतिपय जागीरदार नेताओं ने यह भूल की और मुआवजे की मांग की। चाहिये तो यह था कि वे मुआवजे की मांग नहीं करते और सारी जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देते उनके आजिविका के साधनों को जुटाने की, उनके पुनर्वास आदि की। आज उनको कहा जाता है कि हम तुम्हें मुआवजा देते हैं लेकिन मुआवजा किसी प्रकार से पुनर्वास नहीं कहा जा सकता। माननीय मुख्य मंत्री के शब्दों में, मैं कहूं जैसा कि उन्होंने कहा २५० को आमदनी वाली जागीर को २२५ रुपया मिलता रहेगा पन्द्रह वर्ष तक। यह तो उनके साल भर के नमक मिर्च के लिये भी काफी नहीं। क्या आप इसी प्रकार से अपनी पुर्नावास की भावना को कार्य रुप में ले रहे हैं? पुनर्वास तो उस समय हो सकता है जब कि आप उनको काम धन्धा दें और भी अन्य प्रकार के जीवन निर्वाह के साधन उनके लिये जुटायें और एक निश्चित अवधि के भीतर उनका पुनर्वास कर दें कम्पेनसेशन की आड़ में, पुनर्वास की आड़ में जो भूस्वामी शिकार हुए हैं, जिसका भूस्वमियों पर असर हुआ है ऐसी बात नहीं। माननीय अध्यक्ष, इस सदन की जानकारी के लिये मैं यह बताऊँगा कि राजस्थान सरकार ने जितनी जागीरों को रिज्यूम किया है उससे जितनी आमदनी रिज्यूम होने वाली है वह करीब ४ करोड़ रुपये की आमदनी है। उसमें से दो या ढ़ाई लाख जागीरदार होगें। छोटे छोटे जागीरदार जिनकी आमदनी एक हजार से लेकर पांच हजारसे कम है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज कटते हैं दस परसेंट। पांच हजार तक की आमदनी वाली जागोर पर दस परसेंट। दस हजार की जागीर पर १५ परसेंट और दस हजार से ऊपर वाली जागीरों पर ५० परसेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ कटेंगे।

इस तरह से रेशो करते हुए ऊपर तक ५० परसेन्ट तक चला जाता है। हमने इसे भी स्वीकार किया। हांला कि सदन में भी इसका विरोध हुआ, यह अन्याय है लगाना। क्योंकि जो कुछ वे काम करते थे स्वयं करते थे इसलिए इतना खर्चा किसी तरह से नहीं अन्दाज कर सकते। तो इतना एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ नहीं काट सकते। पर उत्तर मिला सरकार की ओर से कि कुछ न कुछ तो खर्चा करना पड़ता था और उसी से दस परसेन्ट कम से कम होता था। मैं उन्हीं को बातों को मान लेता हूँ। शायद सरकार के विशेष आँकड़ों की जानकारी के आधार पर यह कहा हो। इस टेन परसेन्ट के हिसाब से रेशो लगाया जावे तो राजस्थान के जागीरदारों को २४ परसेन्ट खर्चा करना पड़ता था। जो टेन परसेन्ट मिनिमम लिया है और ५० परसेन्ट तक गया है तो प्रत्येक जागीरदार का दस और पचास का एवरेज निकालने के बाद चौबीस परसेन्ट का रेशो बनता है। अब सरकार कहती है कि ४ करोड़ की जागीरें कुल हैं जो सरकार ने रिज़्यूम की हैं। अब ४ करोड़ की जागीरों में २४ पर सेन्ट अगर खर्चा होता था एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ के रूप में तो वह होता था नौकरों चाकरों आदि को तनख्वाह देने के लिये। तो जहां हम चार करोड़ की आमदनी समझते हैं उसमें यदि चौबीस

[श्री भैंरू सिंह]

परसेन्ट मे से ४ परसेन्ट और भी काट दो कन्टीनजेन्सी के तो भी बीस परसेन्ट बाकी रहता है। यदि बीस परसेन्ट को ४ करोड़ से विभाजित करें तो फिगर्स आते हैं ८० लाख के । अब यह ८० लाख रुपया सारे राजस्थान के जागीरदार खर्च किया करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज के तौर पर । ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ क्या थे ? नौकरों चाकरों की तनख्वाह थी। अब इसमें राजस्थान के जागीरदारों के यहां ५ रुपये की भी तनख्वाह पाने वाले नौकर थे और पाँचसौ के पानेवाले भी थे। अब हम एक आदमी की तीस रुपया तनख्वाह का एवरेज भी गिनें तो तीस रुपया एक नौकर को एवरेज पे दे दिया करते थे। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ के तौर पर ४ करोड़ की आमदनी वाली इन सारी जागीरों में जागीरदार २,६६,६६६ आदमियों को नौकर रख लेते थे और उनसे वे अपना काम चलाया करते थे। अब इसका हुआ क्या ? बदकिस्मती यह हुई कि राजस्थान के जागीर रिजम्प्शन एक्ट में व्यवस्था की कि जागीरदार के एम्प्लोयीज़ को नौकरी मिलेगी, पर योग्यता हो तो। मेरी समझ में यह नहीं आया कि एक तरफ भूतपूर्व रियासतों की सभी सर्विसेज़ को कोवनेन्ट के आधीन प्रोटेक्ट करते हैं कि वे इसी प्रकार बनी रहेंगी, उनकी तनख्वाह में भी कमी नहीं होगी और यह सब किया गया केवल एक दृष्टिकोण से कि राजा महाराजाओं ने त्याग किया है, सार्वजनिक हित की दृष्टि से और इसके एवज में उनको प्रिवी पर्स दी जावे और उनकी रियासतों की सर्विसेज को प्रोटेक्शन दिया जावे। पर जागीरदारों को कोई मुआवजा इस तरह का नहीं, उनकी सर्विसेज को कोई इस तरह का प्रोटेक्शन नहीं यह अजीब सी बात है । मैं अगर जागीरदार हूँ और मेरी अगर आय १०० रुपया मासिक है तो मेरे लिए तो वह सौ रुपया भी राजाओं की रियासत की आमदनी के बराबर है, मैं तो उसी से अपना काम चलाता हूँ, राजा चाहे लाखों से काम चलाता हो, मेरा तो यह सौ रुपया भी उनके लाखों की बराबर है और न्याय भी यही कहता है कि राजाओं के साथ जो न्याय किया गया, राजाओं के सर्वेन्ट और उनकी प्रजा के साथ जो न्याय किया गया वही न्याय इस सौ रुपये पाने वाले जागीरदार के साथ भी होना चाहिये न्याय का यही तकाजा है। राजाओं ने भी सार्वजनिक हित में अपनी रियासतों का त्याग किया और इन जागीरदारों ने भी सार्वजनिक हित में अपनी जागीरें आपके अर्पण करदीं । पर उनको तो हमने प्रोटेक्शन दे दिया कोवनेन्ट के अन्तर्गत । पर इनको यह कह दिया गया कि जागीर रिजम्पशन को इम्प्लीमेंट करने के लिये जितने नये आदमी चाहिये, जितनी नई पोस्टें क्रीएट होंगी उन पर जागीरों के एम्प्लोयीज़ लेंगे । बदकिस्मती यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि वह आश्वासन भी अमल में नहीं आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में सरकार ने पहले २४ जुलाई, ५४ तक सारी दरख्वास्तें मांगने की चेष्टा की कि जो नौकरी के लिए दरख्वास्त दें इस तारीख तक दे दें । सरकार के सामने लोगों ने इसके लिये दलीलें पेश की कि यह समय थोड़ा है, जागीरों के कर्मचारियों को पता नहीं लगा कि जागीरें कब रिजम्प्शन हो रही हैं, कब दरख्वास्तें देनी हैं, क्या करना है, कहां देनी हैं तो यह जानकारी अभी नहीं है, और इस जानकारी के लिए कुछ अधिक समय देना चाहिये । फिर हमारी सरकार ने तै किया २४ जुलाई, ५४ की अवधि मुकर्रर की । दो महीने की अवधि निकाली थी उसको बढ़ाकर २५ अगस्त, ५४ कर दिया। इस सारे पीरियड में कुल

[श्री भैरूंसिंह]

राजस्थान के जागीरों के बेकार हुए २,६६,६६६ लोगों में से केवल १११० आदमियों ने दरख्वास्तें दीं समय का पता नहीं लगने से। बिल्कुल यह सही बात है, ये फिगर्स भी सही हैं, मैंने गवर्नमेंट के रिकार्ड से ये बातें ली हैं। अब इन १११० लोगों में से भी कुल ४६६ आदमियों को धन्धा मिला है। २,६६,६६६ लोगों में से ४६६ की सरकार ने परिवरिश की है और इस पर, इस सरकार ने सोच लिया कि हमने सब जागीर एम्प्लोयीज़ को एम्प्लोय कर लिया, सब को धन्धे से लगा दिया। यह हमारी बदकिस्मती है। इसके सिवाय और क्या हो सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम जागीरदारी खतम कर रहे हैं पर जागीरदारों के इन एम्प्लोयीज़ के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? यह उचित नहीं होगा कि किसी सिस्टम को खतम करने से पहले हम यह नहीं सोचें कि उससे खतम होनेवालों की और उनके आश्रितों का क्या होगा? पर बदकिस्मती है, राजस्थान की कि यहां पर कुछ भी नहीं हो पाया।

इसी तरह से प्रश्न आता है पेन्शनर्स का। राजस्थान की जागीरों में कुछ जागीरें ऐसी भी हैं जिनका काम रियासतों के बराबर था। राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली रियासतों से भी सीकर, खेतडी, उणियारा, रायपुर, नीमाज आदि ऐसी जागीरें भी थीं जो बूंदी, झालावाड, जैसलमेर, बांसवांडा और डूंगरपुर इन रियासतों की आमदनी से भी आगे थीं और ऐसी स्थिति में उनकी आमदनी को देखते हुए, उनका प्रबन्ध किसी भी प्रकार से कोई रियासत से कम हो, ऐसी बात नहीं थी। तो वहां कुछ कर्मचारियों को पेन्शनें भी मिलती थीं, इनाम मिलते थे, ग्रेच्यूटी मिलती थी। पर जैसे ही रिजम्पशन हुआ इन जागीरों का ये पेन्शनें भी बन्द हो गई, नहीं मिलीं। अब तक ऐसे पेन्शन होल्डरों में से ६०० ने राजस्थान सरकार के समक्ष दरख्वास्तें भी पेश की हैं पर उन में से बीस को भी नहीं मिल सकीं यह मेरी जानकारी है और जो बिलकुल सही है, सरकारी आंकडों के आधार पर है, और मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में और कोई सही आंकड़े सरकार के पास हों तो सदन में वे उपस्थित करें और इस बारे में सारी बातें साफ साफ बतावें।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, पेन्शन होल्डर्स के अलावा वे गरीब लोग जिनको मेन्टीनेन्स मिलता था वे सारे के सारे आज सरकार की तरफ आंख लगाये बैठे हैं। रिजम्पशन ५४ से शुरू हुआ है पर आज ५६ हो गया जिन जागीरों की आमदनी में से कुछ गरीबों लोगों को मेन्टीनेन्स के नाम से कुछ दिया करते थे, गुजारे के नाम से कुछ दिया करते थे, सहायता के नाम से दिया करते थे, वे आज दो वर्ष होने को आये इन्टेरिम कम्पेन्सेशन में से काट कर किसी को दिया गया हो तो वह बहुत नगण्य सी है और अलग बात है, पर मेन्टीनेन्स अलाउन्स एक को भी नहीं मिला। वे बेचारे बैठे बैठे चिल्ला रहे हैं, जागीरदारों को भी रो रहे हैं और सरकार को भी रो रहे हैं। जिन्होंने सार्वजनिक हित की दृष्टि से जागीरों को समर्पण किया उसी सार्वजनिक हित की दृष्टि में उन गरीब लोगों तक के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। पेन्शन होल्डर्स अपाहिज आश्रित, मेन्टीनेन्स होल्डर्स की यह हालत है।

[श्री भैंरूंसिंह]

इसके अलावा बाहर गांवों में मन्दिर भी इनके थे। कोई भी गांव ऐसा नहीं था जिसमें जागीरदारों के निजी मन्दिर न हों। आज उन को दो दो साल हुये मन्दिरों को कोई मदद नहीं दी गई इस सरकार की ओर से, न उनका कोई प्रबन्ध किया गया। यह तो मन्दिरों के पुजारियों की महरबानी है कि वे पूजा करते हैं ठाकुर जी की और किसी तरह सेवा पूजा में व्यवधान नहीं आने दिया है, पर इस सरकार के भरोसे पर तो उन पर ताले पड़ जाते। यह तो किसी तरह से उन पुजारियों ने हिम्मत की और चला रहे हैं, नहीं तो मुमकिन था कि मन्दिरों के ताले लगाकर, वे चले जाते। यह बदकिस्मती है, इस राजस्थान सरकार को कि उसने मन्दिरों के ताले लगाने को लोगों को मजबूर कर दिया।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने और भी कारनामे किये। और यदि मैं यह कहूँ कि राजपूतों को क्रश करने का यदि कोई कानून बना है तो इस राजस्थान सरकार ने बनाया है। उन्होंने सोचा कि इन पांच सालों में जितना क्रश किया जा सके, इन्हें कर डालो। माननीय अध्यक्ष, राजस्थान में सन् ५१ के मेरे पास फिगर्स हैं कि २२ हजार लोगों को राजस्थान की फौज से बाहर निकाला गया था और वे राजपूत थे इसलिये रिट्रेन्चमेंट किया गया कि जो सेना में अधिकांश राजपूत आ गये हैं उनको कम किया जावे, नहीं तो किसी वक्त ये सरकार के खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं, कांग्रेस के शासन को समाप्त कर सकते हैं। इनको पनपाने वाली संस्था है मिलिटरी। इसमें इनकी अधिक संख्या है। यह भी कम की जावे। इस योजना के मातहत कोई ४० हजार राजपूतों को रिट्रेन्च किया गया। पर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् रिट्रेन्चमेन्ट स्कीम में ये लाये गये। ५० परसेन्ट वे और पचास हजार इण्डियन आर्मी में से रिट्रेन्च किये गये। तो इस तरह से २२ हजार वे और पचास हजार ये कुल ७२ हजार लोगों को कुल ६० परसेन्ट को रिट्रेन्च किया गया। इन ७२ हजार लोगों को यह विश्वास दिलाया गया था, कि सरकार उनको धन्धे में लगाएगी, पर बदकिस्मत है यहां भी कि राजस्थान सरकार यह भी नहीं कर रही है। आर० ए० सी० में भरती हुई। उस वक्त उसकी ८ हजार के करीब संख्या रक्खी और सभी फौजियों को, कमान्डरों को और दूसरे अफसरों को बार बार यह आवश्वासन मिला कि जितने भी मिलिटरी टाइप के आरगेनाजेशन होंगे उन सब में उन्हें रक्खा जावेगा। कहने को कह दिया पर किया क्या है, इस सरकार ने यह मैं बताऊं आपको। आंकडे बताऊं मैं; उस राजस्थान की आर० ए० सी० में जिसकी संख्या ८ हजार है, कहने को उन्होंने कहा लेकिन मैं आपको आंकड़ों के रूप में बताऊं कि राजस्थान में ८ हजार की संख्या आर्म्ड कान्स्टेबुलेरी की है, उस ८ हजार में भरती हुए हैं केवल १२०० फौजी। १२०० फौजी लेने के बाद बाकी लिये गये गढ़वाली, गुरखा, और यू. पी. के। वे राजपूतों का विश्वास नहीं कर सकते थे। राजपूत को किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिले। गुरखा आकर हमारा भला करेगा। गढ़वाली आकर हमारा भला करेगा। यू. पी. से आने वाला हमारा भला करेगा। लेकिन राजपूत हमारा भला नहीं कर सकता ? लेकिन वह इस बात पह उद्यत हैं। सरकार के हृदय में राजपूतों के प्रति जलन है। सरकार चाहती थी कि राजपूतों का सफाया कराया जाय। इसी दृष्टिकोण से राजपूत बेघरबार बनाये जा रहे हैं। मैं आपको यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गुरखा या गढ़वाली

[श्री भैंरू सिंह]

के मुकाबले में मारशियेलिटी में राजपूत किसी से पीछे नहीं हैं। राजपूत सिनसियेरिटी में दूसरे लोगों से पीछे नहीं हैं। उनको इनसिन्सियर बनाने की योजना बनाई जा रही है। केवल इसी कारण से उनको परेशान किया जाय। सरकारी सर्विसेज में से बहुत से लोग खत्म हो रहे हैं राजस्थान में एपाइन्टमेंट होते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज डिपार्टमेंट खोल रखा है। राजस्थान में दरख्वास्तें भी ली जाती हैं लेकिन मैं उन बातों की ओर न जाऊंगा। मेरा एक दूसरा रिजोल्यूशन है कि राजस्थान सरकार ने इन ५ वर्षों में किस प्रकार गलत ढंग से नियुक्तयां की हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि आज एक भी राजपूत जाति के अन्दर से नहीं लिया गया है। राजपूत जाति को भूखे मारने की दृष्टि से सर्विसेज में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। "सिंह" जिसका नाम है उसको धन्धा मिल जाय यह संभव नहीं है। उन लोगों को सिंह के नाम से ही जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा था कि कुछ लोगों को सिंह के नाम से हटा दिया, गिरफ्तार नहीं किया, सर्विसेज में नाम आया था 'सिंह' का नाम तो उन लोगों को हटा दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं 'सिंह' राजपूत नहीं हूं सिंह जाट हूँ उसके बाद में उसका सिलेक्शन हुआ है। मैं इतना अवश्य कहूँगा कि सर्विसेज़ के अन्दर राजपूतों को किसी प्रकार से नियुक्त कर दिया जाता हो ऐसी बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष, दूसरा प्रश्न यह है कि अगर हम उनको सर्विसेज़ में खपा नहीं सकते हैं तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वह दूसरा तरीका है, खेती पर लगाने का। उनको खेती के लिए जमीन देने का। अभी माननीय मन्त्री जी कहेंगे कि हम तैयार हैं देने के लिए, पंत जी के समझौते के आधार पर और पं० जवाहरलाल नेहरू के आधार पर, और क्षत्रीय महासभा की बातचीत के आधार पर, जागीर पुनर्ग्रहण कानून के अन्तर्गत, टेनेन्सी कानून के अन्तर्गत, कौन कौन सी जमीनें राजपूतों को खुदकाश्त के लिए दी जा सकती हैं। राजपूतों का मतलब भूस्वामियों से है उन जागीरदारों से, उन जागीरदारों को खुदकाश्त की जमीन, कौन २ सी दी जा सकती है। मैंने भी ऐसा समझा था शुरू से ही कि जो कुछ यह व्यवस्था की गई है, यह व्यवस्था केवल ढोंग मात्र है। उस ढोंग का स्पष्टीकरण तो अभी ८, ६ तारीख को हो गया जब कि एक प्रश्न पूछा गया था कि जागीर पुनर्ग्रहण कानून में खुदकाश्त भूमि जो प्रोवाइड़ करने की व्यवस्था की गई उन सारे प्रोविज़न्स के अन्तर्गत कितने भूस्वामियों को जमीने दी गई हैं? इसके उत्तर में माननीय राजस्व मन्त्री जी ने बताया कि एक भी व्यक्ति को जमीन नहीं दी गई तो यह मान कर चलता हूं कि वह कानून बिल्कुल ढोंग था, लोगों को धोखा देने के लिए कानून था। उसमें शर्त यह रखी थी कि १६४८ से पहले से ५ साल से जो काश्त कर रहे थे 'लगातार' शब्द को लिखा कि ५ साल पहले से काश्त कर रहे थे उनके खुदकाश्त की वह जमीन दी जायगी। छोटे छोटे भूस्वामियों के पास खेत होते हुए भी क्या हम उन लोगों से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वे ५ साल का रेकार्ड पेश करें और रेकार्ड के द्वारा यह साबित करें कि ५ साल पहले से खेती करते थे। उनका जमीन पर कब्जा था उस जमीन पर कब्जा दिलाया जाय। माननीय अध्यक्ष,

[श्री भैंरूसिंह]

सन् ४२ से सन् ४७ तक जहां मिलिट्री में रिट्रेंचमेंट होता था और रिट्रेंन्चमेंट होने के साथ साथ लोग आते थे खेती करने के लिए, अगर ४७ से ही उन्होंने काश्त शुरू की और ४८ में प्रोटेक्शन आफ टिनेन्ट्स आर्डीनेन्स जारी किया गया केवल इस दृष्टिकोण से एक स्ट्राक आफ पेन से किया कि आज जो जमीन पर काबिज उसको बेदखल नहीं कर सकते। इतना ही नहीं यह और लगाया कि १ अप्रैल, सन् १९४८ के दिन जो जमीन के ऊपर काबिज था उस किसान को उस जमीन से नहीं हटा सकते हैं। उसके बाद सन् ५४ में टिनेन्सी एक्ट बना। उसके पहले उस कानून में बारबार एमेंडमेंट आते रहे और उसको एक्सटेन्शन मिलता गया। जिन मन्त्रियों के आदमियों को खेती देकर धन्धा कराने की योजना बनाई, उसी तरह से वहां पर प्रोटेक्शन आफ टिनेन्ट्स ऑर्डीनेन्स लगा दिया कि उसको बेदखल नहीं करने की व्यवस्था कर दी। फौजियों को प्रोटेक्शन देने का एक आर्डर भी निकाला था। एक सरक्यूलर निकाला था कि प्रोटेक्शन आफ टिनेन्ट्स आर्डीनेन्स कोई फौजी आदमी किसी को बेदखल करता है तो लागू नहीं होगा। लेकिन वह भी दिखावा मात्र था। कुछ दिनों बाद वह भी विदड्रा कर लिया गया। फौजी रोते रहे। फौजियों ने मिलिट्री में जितना पैसा कमाया था वह सारे का सारा पैसा उन्होंने अपनी भूमि में इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने कूआ बनाया, किसी ने तालाब बनाया। वे मिलिट्री में सर्विस करते रहे और वहां की आमदनी को इधर लगाते रहे। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने, जिन लोगों ने अपने खेती के इन्वेस्टमेंट में अपनी फौज की आमदनी को खर्च किया था उसका उन्हें रिटर्न नहीं मिला और जिन्होंने दूसरे प्रकार से इन्वेस्ट किया था, जैसे किसी ने दूकानें बना लीं तो उसका किराया उन लोगों को अभी तक मिल रहा है। उन लोगों को इस प्रकार से फायदा अभी तक मिलता आ रहा है। उन्होंने भूमि में इन्वेस्टमेंट किया और दूसरी जगह नहीं किया तो उस फायदे से बिल्कुल महरूम कर दिये गये और आज भी उसी प्रकार से रो रहे हैं।

मैंने पहले निवेदन किया कि खुदकाश्त की प्रोवीज़न के अन्तर्गत किसी को खेत नहीं मिला। दूसरा मैंने निवेदन किया कि फौजियों को उनके इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं मिला और उनकी खेती के लिये जमीन नहीं मिली। तीसरा यह भी निवेदन करूंगा कि सरकार कहती है कि हमने उनके लिए भाखरा नांगल, चम्बल जैसे नहरी इलाकों में, हमने जमीन निकाली है और हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जमीन देने के लिए तैयार हैं लेकिन वहां प्रोब्लेम दो प्रकार के हैं। एक तो यह है कि हम वहां जाकर आबाद होंगे तो जमीन खरीदनी पड़ेगी। जमीन खरीदेंगे तो साथ साथ उसके इम्प्लीमेंट भी जुटाने पड़ेंगे और जुटाने के बाद खेती करने की स्थिति में आयेंगे। जिस जगह को हम छोड़ कर जा रहे हैं उस जगह पर हमारा इन्ट्रेस्ट कितना है यह भी देखना है। आज मैं अपने गांव को छोड़ कर जाता हूँ, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, मैं अपने स्वयं की बात कहूंगा कि, वहां मेरे ७, ८ हजार के मकान हैं। उन मकानों को किसको बेचूंगा। उन ७, ८ हजार के मकानों को यदि मैं छोड़ कर जाऊंगा तो एक हजार में भी कोई लेने वाला तैयार नहीं होगा, मुझे कहा

[श्री भैंरू सिंह]

जायगा कि गंगानगर में जाकर एक एकड़ जो मुझे मिलता है १० हजार देकर उसको खरीदो और ३ हजार के मकान बनाओ बैल खरीदो, हल खरीदो और उस जगह खेती करो और अपने जीवन निर्वाह के साधन जुटाओ, तो मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल असम्भव सी चीज़ है। उन लोगों को वहां से हटाना चाहते हैं इस दृष्टिकोण को अपनाने में यह देखना पड़ेगा कि उनका इन्ट्रेस्ट इस गांव में कितना है। उनके इन्ट्रेस्ट में क्लैश आये बगैर ही हम उनको हटा सकते हैं या नहीं। अगर नहीं हटा सकते हैं तो मजबूर होकर यह व्यवस्था करनी चाहिए कि उसको उसी जगह किसी प्रकार का धन्धा दें, खेती करने के लिए जमीन दें। अगर नहीं करते हैं आप, वैमनस्यता की भावना से तो वह गंगानगर जाकर करेगा क्या, क्योंकि वह इस स्थिति में नहीं हैं कि २० हजार खर्च करके जमीन खरीदे। वह इस स्थिति में नहीं है कि वहां जाकर मकान बनाये। आपने एक्ट में प्रोविज़न रखा है कि गंगानगर इलाके में नहरी जमीन खुदकाश्त के लिए लेलें। वहां अच्छी पैदावार होगी और उनके सारे दुःख दूर हो जायेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की बातों से हमारे दुःख किसी तरह से दूर करने के चेष्टा करते हैं तो उनसे दुःख दूर नहीं हो रहे हैं बल्कि दिन दूने ज्यादा बढ़ रहे हैं।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खुदकाश्त के लिए पड़त जमीन देदें, बंजर जमीन देदें और यह भी कहा कि सीलिंग मुकर्रर करने वाले हैं तो सीलिंग मुकर्रर करने के बाद जो कुछ जमीन बचेगी वह उन लोगों को देंगे। माननीय अध्यक्ष, सरकार बतायेगी, माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेगें कि इतने लोगों को उनके गांव के आसपास जमीने दी हैं। हमने इतने लोगों को गांव में जमीने दी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एक इन्डीविजुअल के केस को लेकर, जिन २ लोगों को सरकार ने जमीने दी हैं उनको केवल ऐसे खड्डों में दी हैं जहां खेती नहीं हो सकती है। ऐसी बंजर भूमि दी गई है कि जहां कुछ भी पैदावार नहीं हो सकती और सरकार इस बात का दावा करती है कि हमने लोगों को खुदकाश्त की जमीनें देदीं। वे स्वयं खेती नहीं करते हैं इसलिए नहीं कर सकते हैं और जबरदस्ती चिल्लाते हैं। खुदकाश्त का कोई प्रोब्लेम नहीं है! आप यह कह सकते हैं कि खुदकाश्त का कोई प्रोब्लेम नहीं है मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा यदि कोई एक्यूट प्रोब्लेम है तो वह खुदकाश्त का है। उस एक्यूट प्रोब्लेम को सॉल्व के लिये सरकार बिल्कुल असफल रही है यदि यह कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप यह चाहते थे कि जागीरदारों को जमीन देंगें उसके लिए नियम बनाये उन नियमों के द्वारा जागीरदार जो थे उनको खुदकाश्त की जमीन प्राप्त करने के लिए अन्तिम रूप से आवेदनपत्र पेश करने के लिए रखी है उस वक्त हम कहें कि किसी व्यक्ति को खुदकाश्त की जमीन नहीं दी लेकिन राजनैतिक पीड़ितों के नाम से, पीड़ित हों या नहीं, आपने निजी आदमियों के नाम से दी हैं। अपने निजी आदमियों के नाम पर खेती करते हैं। हमको चिन्ता है कि है कि कहीं वासहुरी की सारी जमीनें उन लोगों में बांट दी जायंगी। यह हमने दृष्टिकोण अपनाया है।

[श्री भैरूं सिंह]

यह कोई न्याय नहीं कहता कि किसी की कोई चीज छीने और उसके साथ साथ उस व्यक्ति को कोई धन्धा न दे । जागीरें लीं, मैं कहता हूँ कि जागीरें मत रखो, मुआवजा मत दो लेकिन उन व्यक्तियों की जो रिहेबिलिटेशन की जिम्मेदारी है वह अपने ऊपर ले लो और खुदकाश्त का जो पार्ट है उसके लिए नियम बना दो और जब तक उसको खुदकाश्त नहीं देते हैं तब तक फ्रेलो लैन्ड दे दी जायगी, लेकिन यह होना भी आपके द्वारा संभव है यह मुझे नहीं लगता ।

इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष, जागीरदारों को जमीनें नहीं मिली हैं । उनको जागीरें ले लेने के बाद कम्पनेशन नहीं मिला है । कम्पनेशन ही नहीं मिला है लेकिन ऊपर से एक छुरा चलाया जाय, यह राजस्थान की भाषा में कहा जाय, उनके ऊपर जो बकाया है उसकी वसूली कर रहे हैं, जो कुछ बकाया है उसका तकाजा कर रहे हैं, जो कुछ बकाया है उसके लिए कुर्कियां करके वह वसूल कर रहे है ! यह कोई न्याय नहीं कहता है कि जिन व्यक्तियों के पास से जागीरें ली जो कुछ असेस्ट्स थे वे उनके पास से ले लेते हैं, उनके पास से जो कुछ उनकी आमदनी के रिसोर्सेज़ थे वे ले लेते है, अगर आप उनकी आमदनी के रिसोर्सेज़ को ले लेते हैं तो आपको यह जिम्मेदारी भी लेनी पडेगा कि उसके ऊपर जो कुछ लायबिलिटीज़ है वे भी आप लें । जितनी इस रूप में गवर्नमेंट के ऊपर जागीरें लेने के कारण, उनके रिसोर्सेज़ छीनने के बाद जो कुछ गवर्नमेंट के ऊपर प्रबन्ध उनके लिए आ सकता था वह सारा का सारा उसने टाल दिया । उस दृष्टि से यह मानना पड़ता है कि उसके जिम्मे जितनी बकाया है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं लेकिन जागीरदार कहते हैं, न्याय कहता है, न्याय का तकाजा है कि अगर आप असेट्स लेते हैं तो उनकी लायबिलिटीज़ भी लें । लेकिन राजस्थान सरकार ने उनके असेट्स तो ले लिये और लायबिलिटीज़ को नहीं लिया, यह आश्वासन जरूर दिया है कि जागीरदारों के प्रति जो बकाया है उसको सरकार माफ करेगी । लेकिन बदकिस्मती है कि सन् १९५२ से लेकर ५६ तक, अप्रेल का महीना है, आज तक राजस्थान विधान सभा में .... केन्सेलेशन एक्ट राजस्थान विधान सभा में आया हो, नहीं मालूम होता, आयन्दा भी वह आयगा इस प्रकार की संभावना मालूम नहीं पड़ती । दूसरी रियासतों ने कानून बना दिया, दूसरी रियासतों ने यह किया कि जब असेट्स लेते हैं तो उनकी लायबिलीटीज़ केन्सिल कर दें । जो कुछ बकाया है उसको केन्सिल कर दें । उसके लिए कोई कानून बनाया हो और उसको केन्सल कर दिया हो, बदकिस्मती से, राजस्थान की सरकार कोई कानून नहीं बना सकी ।

उसके अलावा माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहूं कि जागीरदारों की खुद की कई रूप में बकाया है, साल्ट के रूप में बकाया है, एक्साइज़ के रूप में लेने बाकी हैं और भी कई प्रकार के टेक्सेज़ हैं, खाद के, नमक के टेक्सेज़ बाकी हैं, इस प्रकार से सारा का सारा रुपया सरकार पर बाकी है, सरकार ने उनको कोई बकाया नहीं दिया, जितनी काश्तकारों में जागीरदारों की बकाया है वह वसूल नहीं कराती, जागीरदारों की काश्तकारों की बकाया के सम्बन्ध में लैंड रिफोर्म्स एन्ड जागीर रिजम्पशन एक्ट में इसकी व्यवस्था की गई है कि जमीनों का लगान काश्तकारों में बाकी

[श्री भैंरूं सिंह]

पड़ा हो, ऐसी बकाया के लिए जागीरदार सरकार के पास स्टेटमेन्ट्स प्रस्तुत करें और यह सरकार का अधिकार होगा कि वह बकाया लैंड एरीयर्स के रूप में वसूल कराये, लेकिन बदकिस्मती है कि वसूली नहीं करायी । जिन लोगों ने जागीरों की बकाया की फेहरिस्ते राजस्थान की सरकार को सौंपी हैं, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे अपने भाषण में बतायें कि जिन लोगों ने राजस्थान की सरकार को फहरिस्ते बकाया की सौपी हैं, उसमें से आज तक कितनी वसूली कराई है । गंगानगर डिविज़न के जागीरदारों की बकाया की का तो अज़ीब हाल हुआ है । जिस वक्त बीकानेर में पोपुलर गवर्नमेंट थी, उस वक्त उस गवर्नमेंट में श्री कुम्भारामजी थे, नाम लेकर कहना पडता है, अध्यक्ष महोदय, एक संकेत करने के लिए, वे उस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर थे । एक तरीका निकाला कि गंगानगर डिविज़न के जागीरदार हैं वे किसी प्रकार का लगान काश्तकारों से न लें, रेम्युनरेशन के ओर्डर्स इश्यू कर दिये हैं, वहां के जितने ठिकाने हैं, जो....वगैरा ठिकाने हैं उन पर यह लागू होगा और आज तक वे ओर्डर्स लागू होते रहे हैं । जिस समय उनकी जागीरों का रिजम्पशन हुआ, उनके द्वारा रेम्युनरेशन के आधार पर बकाया की फहरिस्तें बनाई गई और फेहरिस्तें बनाकर उनको सरकार के समक्ष प्रस्तुत की और यह मांग की गई कि हमारी जो बकाया है वह वसूल कराई जाय । बदकिस्मती से सरकार ओर्डर्स देती है कि रेमीशन हुआ था, बकाया को माफ कर दें । बकाया है जागीरदारों की और सरकार माफ करती है । आपको क्या हक है कि आप उनकी बकाया माफ कर दें? रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से जो कुछ रेमीशन किया था, छः महीने के बाद होता है, उस वक्त अकाल पड़ा हुआ था, काश्तकारों के लिए एक पैसा भी देना मुश्किल था, सारा लगान माफ कर दिया, जागीरदारों ने दरख्वास्तें पेश की, जागीरदारों ने प्रार्थना की कि उसकी वसूली की जाय, लेकिन सरकार ने कोई वसूली की व्यवस्था की हो यह मुझे मालूम नहीं होता, जागीरदारों ने उन बकाया की फेहरिस्तें पेश कीं लेकिन आज तक उनकी वसूली नहीं हुई ।

लगान का प्रश्न आया है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी जागीर को रिज्यूम करें तो यह सरकार का लेजिटीमेंट क्लेम रहता है जो कुछ लगान के रूप में जागीरदारों की बकाया है, वह सरकार अपनी जिम्मेदारी पर ले ले, सरकार यह जिम्मेदारी ले ले कि जितनी भी इस रुप में बकाया है जिन लोगों की बकाया रहती है उसकी जिम्मेदारी ले ले । सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका रेमीशन होता है या नहीं होता है । लेकिन सरकार माफ करती है, सरकार को क्या अधिकार है दूसरों की बकाया को माफ करने का ? लेकिन माफ करती है तो वह माफ करे अपने खजाने से । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बकाया के सम्बन्ध में सरकार की अनिश्चित नीति रहती है, इसलिए सभी लोगों को परेशान होना पड़ता है, निश्चित नीति रहे तो परेशान न होना पड़े ।

माननीय अध्यक्ष, एक चीज मैं और निवेदन कर देना चाहूंगा कि मैंने भूस्वामियों के सम्बन्ध में आज कल कई गलत चीज़ें सुनी हैं और उसी कारण से मुझे एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने

[श्री भैंरूसिंह]

का साहस करना पड़ा है। राजस्थान की सरकार बार बार यह कहती है कि हमने उन सारी चीजों को जो जागीरदारों की ओर से समय समय पर मिली हैं उनको दूर करने की चेष्टा की है। भूस्वामी यह कहते है कि हमने जो जो मांगे रखी हैं उनको ठुकराया गया है, यह मैंने बता दिया है कि इस एक्ट को इम्प्लीमेन्ट करने के लिए जो मशीनरी इवोल्व की है वह गलत सिद्ध हुई है, और गलत मशीनरी के कारण कोई राहत नहीं मिल सकी है और उन्होंने परेशान होकर एक साथ यह मांग की है कि इस प्रकार एक्ट को इम्प्लीमेन्ट करने से दिक्कत दूर हो जाय यह संभव नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि चाहे मुख्य मंत्री स्वयं इसको स्वीकार करें लेकिन दुनिया इस बात को स्वीकार नहीं करती है, कि जागीरी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मशीनरी लगा रखी है वह पर्याप्त है। मैं इतना ही कहूंगा जितने दूसरे डिपार्टमेंट्स में सरप्लस आदमी थे, जितने दूसरे डिपार्टमेंट्स के आदमी जिनको को पेन्शन पर रिटायर करना था, जितने डिपार्टमेन्ट थे उनमें रिडक्शन या रिड्यूस होने के कारण जिन को कहीं न कहीं जगह देना था, उन सब को इक्ट्ठा करके उनको जागीर डिपार्टमेन्ट के अन्दर लगा दिया। कोई सर्जाईज से आया है, कोई कस्टम्स से आया है, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से आया है और उन सब को लाकर एक जगह इक्ट्ठा कर दिया। यह जो डिपार्टमेंट है वह राजस्थान में सब से महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जिसमें करोड़ों रुपयों का हिसाब होगा, करोड़ों रुपयों का मुआवजा देना पड़ेगा और एक भानमति का कुनबा इक्ट्ठा करके उस डिपार्टमेंट द्वारा हम राजस्थान के लोगों को मुआवजा दिलाने की बात कर रहे हैं। इसके सारे ढांचे को बदलें, इस विभाग में एक ज्युडिशियल ऑफिसर नियुक्त करें जो कानून को ठीक प्रकार से इन्टरप्रेट करके उसको इम्प्लीमेंन्ट कर सके और लोगों को न्याय प्रदान कर सके। उनकी जमीनें छीन रहे हैं, जिनको जीवन निर्वाह का और कोई साधन नहीं है उनके प्रति आप सहानुभूति प्रकट करें। अगर उस ज्युडिशियल ऑफिसर के हाथ में आप इस डिपार्टमेंट को दें और लोगों के ग्रीवान्सेज़ दूर करें और पता चले कि कम्पन्सेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लोगों को कम्पन्सेशन और रिहेबिलीटेशन ग्रान्ट मिलती नहीं, भविष्य में मिलेगी या नहीं मिलेगी इस प्रकार की चीज उनमें व्याप्त हो रही है। दो वर्ष का समय निकल गया, आप प्रबन्ध नहीं कर सके, लोगों को भय है कि जब सरकार प्रबन्ध नहीं कर सकी तो भविष्य में क्या प्रबन्ध कर सकेगी और आज भी वे चक्कर में पड़े हुए हैं कि बार बार आश्वासन के बावजूद भी कोई राहत नहीं मिली। खुद काश्त नहीं मिली, नौकर थे उनको नौकरी नहीं मिली, जमीनें नहीं मिली, सर्विसेज में थे और जिनको पेन्शन मिला करती थी उनको पेन्शन नहीं मिली, जिनको मेन्टीनेन्स अलाउन्स मिलता था मेन्टीनेन्स अलाउन्स नहीं मिला। मेन्टीनेन्स अलाउन्स नहीं मिला। नौकर थे और उनको नौकरी मिलनी थी उनको नौकरी नहीं मिली, उन सब लोगों ने मिल कर सरकार के खिलाफ आन्दोलन करने की की, विश्वास करने की बात हुई। आन्दोलन फिर चालू हुआ जब माननीय मुख्य मंत्री से बात चीत चेष्टा लेकिन उन्होंने उन सारी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। छः बातों पर ध्यान देकर अपने हाथ से हुई लिखा हुआ पत्र उस भू-स्वामी संघ के अध्यक्ष ठाकुर मदनसिंह जी दांता के पास भेजा गया। उनको ऐसा विश्वास था कि सरकार कोई बेईमानी थोड़े ही करेगी, अपने इरादे पर पक्की रहेगी। लेकिन ४,

[श्री भैंरूसिंह]

५ दिन हुए तब इस सदन में विस्फोट हुआ। गृह मंत्रीजी ने कहा कि सरकार के और भू-स्वामियों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ। मुख्य मंत्री जी ने दूसरे रोज पुष्टि करते हुए यही बात कही, आज भी वे उसकी पुष्टी करेंगे मैं ऐसी आशा करता हूँ। यह जो आन्दोलन शुरू हुआ है, वह उस दिन उनके इनकार करने के कारण हुआ है। गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने एक दूसरे की पुष्टी करते हुए कहा कि समझौता नहीं हुआ। इसी के कारण आन्दोलन दुबारा शुरू हुआ। उसके फलस्वरूप राजस्थान ही क्या भारत के इतिहास का रेकर्ड तोड़ दिया, ३००० आदमी एक दिन में गिरफ्तार किये गये। आन्दोलन के कारण आज तक ५ भूस्वमियों ने अपनें आप का बलिदान किया। आज भी राजस्थान की जेलों में ८००० भूस्वामी बैठे हुए हैं और आह के डंडे सह कर जेलों में कराह रहे हैं और हमारी सरकार सुख का स्वप्ना ले रही है। आप फरमाते हैं कि भूस्वामियों ने कोई मांग नहीं रखी। आन्दोलन करना चाहते थे इसलिए कर रहे हैं। इस में पोलिटिकल रंग है। पोलिटिकल वजूहात की वजह से कर रहे हैं आप इसको पोलिटिकल स्वरूप देंगे तो भूल करेंगे। आप ऐसा कह कर सत्याग्रह करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आपको चाहिये कि इकोनोमिक प्रोब्लम्स को आर्थिक पहलू सामने रखकर ही हल करना चाहिये। आप शायद इस अभिमान में हैं कि हम इनको क्रश कर देंगे, इस अभिमान में हैं कि हम इनको जेलों में ठूंस देंगे। आप शायद यह समझते होंगे कि इन में आपस में फूट पड़ गई है इसलिये एक नहीं हो सकते। आप यदि इस मुगालते से कार्यवाही कर रहे हैं तो आप धोखा खायेंगे। आपनें भस्मासुर को जगाया है, कहीं ऐसा न हो कि वह आप को स्वंय को ही निगल जाय। ऐसा नहीं हो कि हमें विषम परिस्थितयों में से निकलना पड़े, जिन की अपेक्षा नहीं करते हैं। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप को ठंड़े दिल से सोचना है, मूलभूत छिपी बातों को सोचना है और समस्या का हल निकालना है। यदि कोई हल नहीं निकाल सके तो दिक्कत आ सकती है। मैं कह सकता हूं कि आप इसनें असफल हुए हैं, राजस्थान सरकार असफल हुई है। राजस्थान सरकार में भूस्वामियों को भरोसा नहीं रहा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह सामने आया कि उन्होंने सरकार से बात करना छोड़ दिया। उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया है, यदि मैं प्रस्ताव के शब्दों को यहां दोहराऊंगा तो बहुत मुमकिन है वे कहेंगे कि अन पार्लियामेन्टरी लेंग्वेज यूज की गई है उन्होंने कहा है कि जब तक *

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय..........

श्री भैरूसिंह—ये मेरे शब्द नहीं हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बाहर कहीं किसी ने कोई शब्द कहे हैं उनको सदन में इस तरह दोहराया जाय, क्या यह तरीका वाजिब कहा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—बिल्कुल नहीं।

---

* श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य विवरण से हटाया गया।

श्री भैंरू सिंह—मैंने पहले ही कहा था कि आपत्ति की जायगी। लेकिन कहना जरूरी था इसलिये कहा।

श्री अध्यक्ष—आपका टाइम हो गया।

श्री भैंरू सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह इम्पोर्टेन्ट मसला है, थोड़ा और समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble member can say within the time.

श्री भैंरू सिंह—मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने यह प्रस्ताव पास करके इस बात की निश्चित धारणा कर ली कि इस सरकार में हमारा विश्वास नहीं है इसलिये हम बात नहीं कर सकते, तब सरकार ने अनकोंस्टिट्यूशनल स्टेप लिया। आपने राजप्रमुख को मध्यस्थ बनाया : कोई कानून यह बात नहीं कह सकता कि वैधानिक दिशा में स्टेट का मालिक या हेड ऐसे मामलों में बीच में पड़े यह ठीक नहीं है। लेकिन राजस्थान सरकार ने अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, कहीं दूसरे व्यक्ति को बाहर से नहीं बुला लिया जाय इसलिए राजप्रमुख को मध्यस्थ बनाया। कांस्टिट्यूशन के विपरीत कॉंस्टिट्यूशनल हेड से छोटा काम कराया है। जिनकी जिम्मेदारी इस प्रकार के कार्यों में नहीं कही जा सकती, लेकिन हमारी सरकार ने इस प्रकार का कार्य उनसे करा लिया। अब दो दिन से इस बात की चर्चा है कि भूस्वामियों के साथ चलने वाली बात चीत जल्दी ही टूटने वाली है, वार्ता असफल होने वाली है। उस समय राजप्रमुख की क्या स्थिति होगी? राजप्रमुख सरकार और भूस्वामियों के बीच में पड़े लेकिन वह वार्ता असफल रही इससे राजप्रमुख की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार से कमी हुई है अगर मैं यह कहूं तो अत्योक्ति नहीं होगी। इस समझौते के असफल होने के कारण से, लोगों की गिरफ्तारियों के कारण से, पुलिस की ज्यादतियों से राजस्थान के भूस्वामियों का राजस्थान सरकार में विश्वास नहीं रहा है। सरकार भी किंकर्तव्यविमूढ़ है, यदि मैं यह कहूँ तो अत्योक्ति नहीं होगी। इस समस्या को अब आप अकेले नहीं सुलझ सकते हैं। आप दूसरों से भी मदद लें। कलेक्टेड गोल मेज परिषद बुलावें। जितने राजनैतिक दल है, जानकारी कर सकते हैं, उन सब लोगों को एक साथ बैठाकर, एक टेबल पर बैठाकर हम कुछ निर्णय पर पहुँचें, विचार-विमर्श करें, इस समस्या को हल करने का एक तरीका निकालें और उसको इम्पलीमेन्ट करें तो अच्छा होगा। भूस्वामियों का सरकार पर विश्वास नहीं रहा इसलिये आवश्यक है कि हम दूसरे लोगों को भी बुलावें, इसलिये बुलावें कि हम फेल हो चुके हैं। ३० लाख भूस्वामियों की समस्या को ठीक नहीं कर सकते इसलिये आवश्यक है कि दूसरे लोगों को भी बुलावें। किसी प्रजातन्त्र में जहां सरकार के सामने इस तरह की समस्या हो और वह अपने दल के सहयोग से उसे हल नहीं कर सकती तो आवश्यक होता है कि प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाले जितने भी तत्व हैं उनको इकट्ठा करके उनसे जानकारी करें और उसके बाद किसी तरह का कानून लागू होता हो तो लागू करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव मंजूर हो या नहीं हो लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से व्हिप इश्यू हुआ है इसके पहले से ही कि मैं क्या कहूंगा क्या नहीं कहूंगा, मैं किस

[श्री भैंरूसिंह]

बात को रख रहा हूँ, मेरा मुद्दा क्या होगा, उसकी चिन्ता नहीं, लेकिन व्हिप इश्यू करके सबको कहा गया कि इस प्रस्ताव का विरोध करना है, पक्ष में वोट नहीं देना है। मैं पूछता हूं क्या यह डेमोक्रेसी है ? किसी के विचार सुनने से पहले ही कांसीक्वेन्सेज पर विचार करने से पहले ही तय करते हैं कि इसका विरोध करना है। आपको इस तरह से विरोध नहीं करना चाहिये। यह ३० लाख लोगों का मामला है, शायद इतनी आपके सदस्यों की संख्या भी नहीं है। उन लोगों के प्रश्न को तय करने के लिये केवल विरोधी भावना, प्रेज्युडिस भावना से, यह कह दें कि हम तय करने वाले नहीं हैं, यह अच्छा नहीं होगा। अच्छा यही है कि एक साथ बैठ कर इस सदन के सदस्य चाहे वे किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हों, चाहे वे भूस्वामी संघ के सदस्य हों, चाहे क्षत्रीय महासभा के सदस्य हों, चाहे वे कम्युनिस्ट हों, चाहे वे प्रजा सोशलिस्ट हों, चाहे रामराज्य के सदस्य हों, चाहे जनसंघ के प्रतिनिधि हों, जितने भी लोग सहयोग दे सकते हों, इस जटिल काम को सुलझाने के लिये योगदान दे सकते हों, राय दे सकते हो उनको इकट्ठा करके एक राय बनाकर इसे हल करना चाहते हैं या इसके लिये हल निकालना चाहते हैं तो यह हल न्याय संगत होगा। अध्यक्ष महोदय, यह हल निकले या नहीं, लेकिन सरकार के हाथ इससे जरूर मजबूत होंगे। सरकार कमजोरी महसूस नहीं करे। दूसरे लोग जो राय देंगे वह सरकार से किसी भी हालत में पीछे हो ऐसी बात नहीं समझनी चाहिये। वर्तमान समस्या क्या है, दुनिया किधर जा रही है, ये सारी चीजें उनके सामने हैं। इसलिये यदि सब मिल कर तरीका निकालें तो सरकार की अकेले की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि राजस्थान के डेढ़ करोड़ जनता के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होगी। इन ३० लाख भूस्वामियों की समस्या को हल करने के लिए मैंने जो गोल मेज परिषद का प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार करें।

अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे लोगों को जलन क्यों हो रही है, क्यों सरकार में उनका विश्वास नहीं रहा, इसका एक अंतिम पहलू और बताऊंगा जो बहुत महत्व पूर्ण है। मैं अध्यक्ष महोदय, २ मिनट और लूंगा। राजस्थान के जागीरदारों से सरकार को परेशानी हो सकती है। जब कभी सरकार गलत कानून बनाये तब उनसे राहत पाने के लिये उनको हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, रिट पेश करनी पड़ी। उसके बाद हाई कोर्ट ने ऐसे फैसले किये कि अमुक अमुक काम में भूस्वामियों या जागीरदारों के साथ अन्याय हुआ है, सरकार ने गलत कानून बनाया है। जब सरकार ने गलत कानून बनाये तो हाई कोर्ट से उनको रिड्रेस मिला। उन सब को इच्छा थी कि अब हाई कोर्ट से फैसला हो गया है इसलिए अब सब कुछ ठीक हो जायगा, लेकिन उनकी धारणा गलत सिद्ध हुई। हाई कोर्ट की हुक्म उदूली करके, हाई कोर्ट के हुक्म की तौहीन करने की जिम्मेदारी के साथ गलती को सुधारने के लिए पुनः कानून को सुधारा और उसको रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट दिया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स सेस एक्ट में ३ लाख रुपये की बकाया थी, ढंग से नहीं पास किया था। हाई कोर्ट ने कहा कि एक्ट में कहीं गलती है, गलत एक्ट से वसूली नहीं की जा सकती तब हमारी विधान सभा ने रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट देकर फिर से कानून बना दिया।

[श्री भैंरू सिंह]

जागीरदारों को परेशान करने के लिये, सेटलमेंट करने का जो तरीका था, उस तरीके के आधार पर सेटलमेंट नहीं हुआ, बल्कि सेटलमेंट गलत तरीके से हुआ। सेटलमेंट को हाई कोर्ट में चेलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने मान लिया कि सेटलमेंट गलत हुआ है। तो सरकार विधान सभा में कानून पास करती है कि जो हमने किया है वह सही है और उसे ५ वर्ष पहले से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिया। रेंट कन्ट्रोल के बारे में कनून बनाया उसको हाई कोर्ट द्वारा रद्द किया गया, उसे विधान सभा द्वारा रिटोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया। कोई भी प्रजातन्त्री सरकार इस प्रकार का कानून नहीं बना सकती, बल्कि ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट, तानाशाही सरकार, एक तन्त्री सरकार ही ऐसा कर सकती है। हमारी सरकार कानून बनाती है, गलतियों को कानून से सही बनाने के और उनका सबसे अधिक बुरा असर होता है इन गरीब राजपूतों पर, इन गरीब भोमियों पर, सेटिलमैंएट का प्रश्न इन राजपूतों से, इन गरीब भोमियों से ताल्लुक रखता है, जागीरदारों से ताल्लुक रखता है, सेटलमेंट में जो व्यवस्था की है उसमें हम हेरफेर करना चाहते हैं। लगान कम से कम हो यह हम चाहते हैं, कोई भी आज इस बात की वकालत नही कर सकता कि किसानों पर लगान ज्यादा हो। सरकार की इच्छा है कि लगान कम करे पर इस इच्छा के बाद सरकार की यह इच्छा भी है कि जागीरदार मारे जायं।

जागीर रिजम्शन में बेसिक इयर माना है, उसके आधार पर कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। सन् १९५१ किसी का बेसिक ईयर है डिग्गी का बेसिक इयर ५१ है ५२ है ५३ है ५४ है ५५ है और ५६ है, ५१ से लेकर ५६ तक है। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट किया कि सेटलमेंट गलत हुआ है। इस ठिकाने की ८ लाख आमदनी थी वहां ३ लाख की आमदनी रह गई है। तो आप इसको १९५१ से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और पहले जो उनकी ८ लाख की आमदनी थी, जो दूसरे तरीकों से आमदनी थी उसे नहीं माना जाय और सेटलमेंट के रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दें तो

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष, मैं एक दो मिनिट और लूंगा। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की जो यह व्यवस्था की है वह एक बडी भारी भूल है।

मैं अब भी कहता हूं कि लगान काश्तकारों का कम करें लेकिन इसके साथ दुलत्ती मत चलाइये, उन लोगों पर छुरी मत चलाओ। इसको बेसिक ईयर पर हल करने की आवश्यकता नहीं।

मैं यह भी कहूं माननीय अध्यक्ष, कि हमारे लिये जितने कानून बने हैं, समेरी सेटलमेंट एक्ट, रेंट रेगुलेटिंग एक्ट, रेकरिंग एक्ट, राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एन्ड, जागीर रिजम्शन एक्ट, राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स एक्ट, जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस टेक्स, दी जयपुर लॉज् वेलिडेटिंग एक्ट,

[श्री भैंरू सिंह]

इतने एक्ट बनाये हैं, इतने कानून बनाये हैं, उनमें यह दृष्टिकोण रखा है कि कानून बनाया जाय जागीरदारों को हिट करने के लिये और रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू रखे जायं। जागीरदारों के पास अगर कोई जमीन पड़त रखी है तो राजस्थान प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेग्मेन्टेशन एन्ड कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट के द्वारा यह कानून बना दिया कि वह पड़त जमीन नहीं रख सकता। एक तरीका रखा चौथा हिस्सा लगाना लेने का उसके बाद छुट्टे हिस्से का कर दें जहां प्लानिंग कमिशन ५ वें हिस्से के लिये करता है। तो जागीरदारों के लिये सोचा जाय तो चौथे बांटे उस मुआवजा देने की बात सोची जाय, क्योंकि अब जो सेटलमेंट किया गया है उसके अनुसार उनकी आमदनी पहले से कई गुना घट गई है। किसानों का लगान कम करें पर वैमनस्यता के जरिये नहीं। राजस्थान सरकार द्वारा जितने कानून बनाये गये हैं सब वैमनस्यता के आधार पर बनाये गये हैं........

(समय समाप्त सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष, २ मिनट और लूंगा।

अन्त में मैं कहूंगा कि राजस्थान में कानून बने हैं सब वैमनस्यता के आधार पर बने हैं, वह वैमनस्यता है डिग्गी मालपुरा की, कांग्रेस की, वर्तमान रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की और डिग्गी के कंवर साहब की........

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member is going beyond the scope of the Resolution the purport of the Resolution has been over & now he is ventilating his other learnings.

श्री भैंरू सिंह—दो मिनट और लूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत इम्पोर्टेन्ट बात बता रहा हूँ........

श्री अध्यक्ष—I have allowed the double time, still the member is not satisfied,, I can't help.

श्री भैंरू सिंह—कन्क्लूड कर दूं।

श्री अध्यक्ष--You don't conclude but want to go out of the scope of the Resolution.

श्री भैंरू सिंह—तो मैं निवेदन करूंगा कि सदन में जो बातें मैंने प्रस्तुत की है उन पर ध्यान दें और मेरा यह प्रस्ताव जो सारे भूस्वामियों की समस्याओं को हल करने के लिये उनकी

Page No.46

[श्री भैंरू सिंह]

समस्याओं पर विचार करने के लिये एक गोल मेज कांफ्रेन्स बुलाई जाय, इसे स्वीकार किया जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की स्थिति में होंगे।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने पेश किया है, मैं उसके समर्थन में कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, भू-स्वामियों के बारे में माननीय सदस्य ने बहुत कहा मैं उतना नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। भू-स्वामी अन्दोलन गत तीन चार मास से चल रहा है, जहां तक हमने नोट किया है, सरकार ने विचार तक नहीं किया है कि उनके साथ फैसला किया जाय, न उनसे कोई बात चीत की है। रात दिन उनके जलूस बाजार में निकलते हैं, उनको एरेस्ट करते वक्त उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, जब बाजार में जलूस निकलता है तो उनको घसीट कर, टांगा टोली करते हुए जानवरों की तरह लारी में डाला जाता है। दस भू-स्वामियों को एरेस्ट करते हैं तो सरकार ५० से ज़्यादा सिपाही उनको एरेस्ट करने के लिये रखती है। ऐसी सूरत में जब कि सरकार खुद भी परेशान है तो उनके साथ समझौता करके उनकी मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिये। अन्दोलन तीन महीने से ज्यादा समय से चल रहा है तो सरकाकार को चाहिये था कि उनके साथ समझौता कर लेती।

माननीय सदस्य ने जो सर्वदलीय राउन्ड टेबल कांफ्रेन्स बना कर भू स्वामियों की मांगों पर विचार करके उनकी समस्या को हल करने का जो प्रस्ताव रखा है यह भू-स्वामियों के साथ समझौता करने का बहुत उत्तम उपाय है, सरकार को इसे मान लेना चाहिये। रोज सुनते हैं कि आज एक भू-स्वामी उस जेल में मर गया, आज दूसरा भू-स्वामी उस जेल में मर गया, सरकार को सोचना चाहिये कि भू-स्वामियों का मसला अब कोई मामूली मसला नहीं है, यह एक बहुत अहमियत का मसला है, अब इसे और नहीं टाला जा सकता। एक बहुत बड़ा समूह सरकार से मांग करता है तो लोकतन्त्र सरकार के नाते सरकार को मानना चाहिये।

मैं आपको जोधपुर का किस्सा सुनाऊं, २-२-५६ के पास पास की बात है कि वहां पर भी भू-स्वामियों पर लाटी चार्ज किया गया था।

श्री अध्यक्ष—भू-स्वामियों की समस्या के बारे में कह रहे हैं या लाठी चार्ज के बारे में ?

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—मैं समर्थन में कह रहा हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—समस्या तो है सो है ही, समर्थन में कह दें।

श्री अध्यक्ष—आपको पता नहीं, आपके समर्थन से प्रस्ताव का फोर्स कम होता है।

(हंसी)

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि राउन्ड टेबल कांफ्रेन्स सर्व दलों को बुलाने का जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही उत्तम है, सरकार को इसे मान लेना चाहिये। इस तरह से कह कर इस प्रस्ताव को न टाला जाय कि यह विरोधी दल की ओर से आया है, इस लिये इसे स्वीकार न किया जाय इनके आन्दोलन के कारण बाजार में मंहगाई भी बढ़ गई है और इतने आदमियों की इनर्जी भी व्यर्थ बैठे २ वेस्ट होती है। अतः इस प्रस्ताव को मानना चाहिए।

श्री ईश्वरीसिंह—अध्यक्ष महोदय, थोड़ी बातें मैं भी इस बारे में अर्ज करनी चाहूं। थोड़े वर्षों पहले जयपुर में सीकर एक ठिकाना है वहां पर इस तरह का आन्दोलन हुआ उसकी आप लोगों को एक मिसाल बताऊंगा। वटे एक आन्दोलन हुयो और बड़ो जबरदस्त आन्दोलन हुयो और वा मिसाल बताने से सबके समझ में आ जासी और वाको थोड़ो समझ में आ जावेला। १०, १२ वर्ष काश्तकार कूकता रया और कोई उणरी शुणवाई नहीं हुई। रावराजा जी विलायत परा गया और सीकर रावराजा जी ने खत दियो कि आप इस विषय में आकर यहां पर मिलो। रावराजा जी ने खत दिखायों जी पर जबाब दियो और राव राजाजी दरवाजा जुड़ लिया। उन्होंने कहा कि हम आपको लगान देते हैं सीधा दिल्ली दे देसों हमको आपकी कोई जरूरत नहीं है। इस विषय में लाखों फौज जयपुर सु चली आई और लाखों भू-स्वामी सीकर भेला हो गया। ओ अन्दोलन तीन महीना चलतोरियो। आखिर में ओ हुओ के एक दिन भू-स्वामियों मीटिंग करी और ३०० भू-स्वामी आदमी भेला होया और तलवारां बन्दूकों लेकर गाडी में बैठ गया। उस वक्त स्टेशनमास्टर तार दियो कि भू-स्वामी जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गया है और आ रया है। वी वक्त तमाम फौज स्टेशन पर आ पंहुची। मैं भी देखियो को फौज क्यों आई है, कोई बड़ो ओफिसर आतो होगो। वहां आते ही भू-स्वामियों ने कयो के धारा १४४ लग रखी है। शस्तर अठे मेल देओ और जा सको हो सीकर में जावो तो सस्त्र यहां जमा करा दो। ए सस्त्र छोड़ दो वटे शस्त्र बहुत हैं। ६०–६५ बन्दूकों ही........

एक माननीय सदस्य—यह इसका समर्थन कर रहे है या विरोध।

श्री अध्यक्ष—यह विरोध में जा रहे हैं।

श्री ईश्वरीसिंह—नतीजो के हुयो के वी ठौर ११ भू-स्वामी मर गया और ८० या ९० घायल हुआ, बाद में भी दरवाजा नहीं खोलिया। ये राज करने वालाँ लोगाँ ने मारे। १३ भू-स्वामियों को तेल डाल कर जला दिया गया। उसके बाद भी यह आन्दोलन एक महीना फेर चलियो। बाद में हुक्म हुयो के दरवाजा तोड़ दिया जावे रावराजा जी ने पकड़ लिया जावे। जब एडो हुक्म हुयो तब जमनालाल जी बजाज बोलया कि आप अपनी इस जिद को छोड़ दो तो ठीक है नहीं तर सारो सीकर बरबाद हो जावेगा। इस पर रावराजाजी को पकड़ लिया गया और दिल्ली भेज दिये गये।

श्री अध्यक्ष—आपकी कहानी पूरी हो गई।

श्री ईश्वरीसिंह—थोड़ी बाकी है।

महाराजा के ६२ हजार रुपया बांध दिया। ७ साल तक रावराजा जी दिल्ली रया। दूसरा सीकर का ठिकानों के ८४ राव हैं जिसमें एक एक गांव दे दिया और बाकी का सब खालसा कर दिया।

(घंटी)

चार साल हो गया इन ४ सालों में एक भी काम कांग्रेस से ठीक नहीं हुयो तो आगे आ सरकार कौनसी राज जमालेसी।

(घंटी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं यह नहीं समझ सका कि आखिरी बात क्या कही ?

श्री अध्यक्ष—मैं भी नहीं समझ सका।

रावत श्री शंभूसिंह—अध्यक्ष महोदय, भैरूंसिंहजी ने जो संकल्प रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ है। आजकल भू-स्वामियों की जो समस्या चल रही है उसमें सरकार की गलत नीति के फलस्वरूप स्थिति भयंकर रूप धारण करती जा रही है, इसलिये एक गोल मेज कॉन्फरेन्स जिसमें सभी राजनैतिक पार्टी के प्रतिनिधि हों, बुलाई जानी आवश्यक है। यह जो समस्या इस वक्त हमारे सामने है इसका मूल कारण वर्तमान सरकार द्वारा बनाये गये वह कानून हैं जो जागीर रिजम्प्शन और भूमि सुधार कानून के नाम से हैं, इन कानूनों को बनाकर सरकार ने ऐलान किया था कि अब हमने किसानों को राहत पहुँचा दी है और पहले जो किसान जागीरदार की चक्की में पिसते थे उनको छूट दिलादी है।

अध्यक्ष महोदय, कार्यवश हमें राजस्थान से बाहर भी जाना पड़ता है और वहां पर यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या राजस्थान में जागीर पुनःग्रहण और भूमि सुधार कानून बने उससे किसानों को किसी प्रकार का राहत मिला और क्या किसानों को अब कोई लगान नहीं देना पड़ता है ? अब किसानों की जो पहले दशा और बात थी वह नहीं है। तो हमें निरूत्तर होना पड़ता है। हमें यही कहना पड़ता है कि किसानों को वही लगान देना पड़ता है जो जागीर पुनर्ग्रहण से पहले देने पड़ते थे और जो किसान खालसे में थे वही देते थे और वही लगान अब भी उनको देना पड़ता है। वहां के लोग प्रश्न करते हैं कि अगर यही स्तिथि है तो फिर आखिर भूमि सुधार कानून किस मर्ज की दवा है ? किसानों के हित में ढ़ढ़ोरा पिटा दिया तो इसका क्या मतलब है जब वे वही लगान जो पहले देते रहे थे दे रहे हैं। जब सरकार ने उनको किसी प्रकार की सहूलियतें नहीं दी। हां उनको भ्रष्टाचारी अधिकारियों के हाथ सौंप कर उनका अहित ही हुआ है। अध्यक्ष महोदय, [illegible] सुधार और जागीर रिजम्प्शन एक्ट का संबन्ध है इसमें यह कहा जाता है कि हमने

[रावत श्री शंभू सिंह]

किसानों के शोषण को खत्म कर दिया। मैं नहीं समझ सकता कि किस तरह के शोषण को आपने खत्म कर दिया और जागीरदारों द्वारा किस तरह से किसानों का शोषण होता था और अब किस तरह से रोक दिया गया ? जब जागीरदारों के जमाने में थे उस समय भी उनको वही सहूलियतें मिल रही थीं और वही रैन्ट देना पड़ता था जो सेटलमेंट द्वारा तय किया जाता था। फिर कौनसी प्रोटेक्शन मिल रही है ? जागीर रिजम्शसन से उनको क्या सहूलियतें मिल रही हैं ? जिस तरह से लेबर को कानून द्वारा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है उसी तरह से किसानों को भी रेंट सेटल करके कानूनी प्रोटेक्शन दें। जब उनकी स्थिति निश्चित कर दी गई तो यह फिर क्या बात है कि पुनः ग्रहण किया जाता है जिसकी वजह से यह सारे झगड़े खड़े होंगे। खैर हुआ सो हुआ लेकिन जब पुनर्वास की की बात सरकार के सामने आई तो सरकार ने अपनी उदासीनता दिखानी शुरू कर दी। जब उनसे पूछा गया कि कितने जागीर पुनः ग्रहण किये हुए लोगों को मुआवजा मिल चुका है, तो उत्तर में यह बताया कि अभी तक एक भी जागीर का कम्पेन्सेशन का मामला निश्चित रूप से तय नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है कि जागीर पुनः ग्रहण किये दो वर्ष होते हैं मगर अभी तक एक भी मामला सरकार तय नहीं कर पाई, तो भूस्वामियों को किस प्रकार से इतमिनान हो कि उनका मामला जल्दी हल हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार जिस रवैये से इन भूस्वामियों के पुनर्वास के मामले को तय करने जा रही है और जिस रफ्तार से यह मामला तय हो रहा है तो मैं समझता हूँ एक दो तीन बरस में तो क्या बीसियों बरस में भी यह मामला सुलझने वाला नहीं अब तो सरकार ने इन कामों में रोड़े अटकाने के वास्ते वकीलों की भी नियुक्ति कर दी है जो कम्पेन्सेशन के डिसाइड होने में तरह तरह के रोड़े अटकाते हैं। आज इन वकीलों की नियुक्ति काफी तादाद में कर दी है ताकि कम्पेनसेशन में रोड़े अटका सकें। बार बार जो कम्पेनसेशन के केसेज़ तय होते हैं किसी जागीरदार के उनमें ये वकील लोग अड़चनें डाला करते हैं, इस तरह से अब तो यह निश्चित हो गया है कि पुनर्वास का मामला भी तय होने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अब तक पुनर्वास देने के वास्ते अब तक बोन्ड तक छपाने का प्रबन्ध नहीं किया। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए "भूखा क्या नहीं करता" इस कहावत के अनुसार भूस्वामियों के सामने और कोई चारा नहीं रहा, उन्हें मजबूर होकर आन्दोलन चलाना प्रारम्भ किया। जब यह आन्दोलन चला तो सरकार ने लिखित आश्वासन भी दिया उस आश्वासन में यह बात भी थी कि पांच हजार से नीचे की जागीरों की जितनी आमदनी होगी वह उन भूस्वामियों को उनके गांवों में ही दे दी जायगी। इस बात में कोई और किसी प्रकार की कन्डीशन नहीं डाली गई, लेकिन खेद है कि आज तक एक भी भूस्वामी को उसकी जागीर की आमदनी उसके गांव में नहीं दी गई। मैं कोई कारण नहीं समझता वह आमदनी भूस्वामियों को क्यों न दी गई, जब कि सरकार से उनको लिखित आश्वासन दे दिया गया। इसमें सरकार को ऐसा क्या खतरा था कि उनको आमदनी अभी तक नहीं दे पाई ? क्या वे आमदनी को खा जाते, वैसे ही सरकार को उनके हिस्से का बहुत सा रुपया देना है। भूस्वामी को उसके बदले आमदनी का दस गुना मुआवजा लेना बाकी है। एक साल की आमदनी सरकार

[रावत श्री शंभूसिंह]

नहीं दे पाई इसमें क्या बात है ? उसकी आमदनी तो सरकार को दे देना चाहिये यदि जो कुछ भी होता वह तो कम्पेसेशन में एन्ड हो जाता लेकिन यह नहीं हुआ, इस तरह से सरकार अपने वायदे से मुकर गई। पांच हजार से नीचे की आमदनी सरकार वसूल करती जा रही है इसकी आमदनी लौटाना तो दरकिनार बराबर वसूल करते जा रहे हैं। सरकार की तरफ भूस्वामियों का दसगुना कम्पेसेशन होते हुए भी उनको आमदनी नहीं लौटाई जा रही है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इन सारी बातों से भूस्वामियों को एक बहुत धक्का पहुंचा और उन्होंने आन्दोलन शुरू किया। इस सब समस्या को सुलझाने के लिये जो सुझाव माननीय श्री भैरोंसिंह जी ने रखा है वह वाजिब है उसको एक पक्ष या दूसरे पक्ष की तरह देखना उचित नहीं होगा। सरकार अपनी एक पक्षीय नीति से इस समस्या को सुलझा नहीं सकती इसमें सभी पार्टियों का सहयोग लेना चाहिये ताकि यह समस्या ठीक प्रकार से सुलझाई जा सके, राजस्थान में इसी समस्या को लेकर जो आन्दोलन चल रहा है वह अवांछनीय बात है। राजस्थान का भूस्वामी इस देश का बहुत बड़ा सेवक रहा है, इस देश की सुरक्षा के प्रति सदा जागरूक रहा है, उसको इस प्रकार से असन्तुष्ट रखना सरकार के वास्ते कदापि शोभनीय नहीं कहा जा सकता। इसलिये जो गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया गया है सरकार को उसे तुरन्त स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष भूस्वामी समस्या को लेकर जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसके बारे में मैं भी दो शब्द निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर भूस्वामी समस्या एक बड़ी जटिल समस्या है। इस समस्या को अगर सरकार द्वारा शुरू से ही सही तरीके से, सद्भावना की भावना से सुलझाने की कोशिश की होती तो यह समस्या आज से पहले कभी की सुलझ जाती। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य रहा है सरकार द्वारा इस समस्या को एक जातिवाद की समस्या का रूप दिया गया, सरकार ने इस समस्या को अपने पुराने बदले चुकाने की समस्या माना है। आज की मौजूदा सरकार जो है वह सरकार भूस्वामी समस्या को सहानुभूति की नजर से नहीं देखती। वह यह तो समझती है कि जिस प्रकार से भी हो भूस्वामियों को परेशान किया जाय, उनको तंग किया जाय। मैं इस समस्या के ज्यादा डिटेल में न जाते हुए इतना अवश्य अर्ज करूंगा कि यह जो भूस्वामी आन्दोलन आज चल रहा है उसकी जड़ यह सरकार है। आज राजस्थान के अन्दर इस भूस्वामी आंदोलन के ऊपर जितना पैसा खर्च हुआ है, जितनी पुलिस को तकलीफ उठानी पड़ी, जितने राजपूत मारे गये उनकी हत्या, उनकी तकलीफों को देने के भागी राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया हैं। मैं इस बात को निश्चित भावना से कहता हूँ और मैं यह मानता हूं कि अगर राजस्थान के अन्दर इस कुर्सी पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो यह नौबत कभी नहीं होती। मैं इसकी डिटेल्स में जाऊंगा और सदन को यह बताऊंगा कि यह बातें किस प्रकार हुईं। यह राजस्थान का दुर्भाग्य रहा है कि जिस रोज से भू-स्वामी समस्या खड़ी हुई उस रोज से जागीर विभाग माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास रहा और उन्होंने जिस रोज से यह समस्या उनके सामने प्रस्तुत

[श्री मानसिंह महार]

हुई उसी रोज से उस समस्या को सुलझाने के बजाय उलझाना अपना परम कर्तव्य समझा। यह जो मैं बात कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं उसका नमूना यह है कि राजस्थान का जागीर डिपार्टमेंट का जो हाल है वह आप देखिये। इस बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था, हम आशा करते थे कि हमारे उस कथन पर राजस्थान का जागीर डिपार्टमेंट में उन आदमियों को रखा जायगा जो जागीरदारों को सद्भावना के साथ देखेंगे और जागीरदारों की समस्या को सहानुभूति से देखेंगे। लेकिन हमारी इस बात की तरफ किसी प्रकार भी ध्यान नहीं दिया गया। आज राजस्थान के जागीर डिपार्टमेंट में जो जागीर कमिश्नर रखे गये हैं वे व्यक्ति ऐसे हैं जो जागीरदारों को अपना दुश्मन समझते हैं, जो यह समझते हैं कि उन लोगों को जितना नीचा दिखाया जाय, उनकी समस्या को जितना जटिल बनाया जाय, उतना जटिल बनाना चाहिए। वहां पर महज एन्टी-जागीरदार प्रचार के लिये एक डिवीज़न के लोगों को विशेष रूप से रखा गया है। उस डिवीज़न विशेष के आदमी हैं जो मुख्य मन्त्री के इशारे पर नाचते हैं। अध्यक्ष महोदय, भूस्वामियों पर यह लांछन लगाना, जागीरदारों पर यह लान्छन लगाना पुरानी क्षत्रिय महासभा पर लान्छन लगाना कि तुमने समझौते को भंग किया गलत है। जो कुछ समझौता हुआ था अच्छा हुआ या बुरा यह मैं नहीं कहता, किन्तु यदि उस समझौते का भंग हुआ तो वह हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्री द्वारा। इसका जो कुछ परिणाम हुआ है उस पर मुख्य मन्त्री जी को सदन में जवाब देना पड़ेगा। मेरी यह निश्चित धारणा है कि जागीरदारों के मामले में जो कुछ भी गड़बड़ियां हुई उनके जिम्मेवार हैं मुख्य मंत्री। आज मुख्य मंत्री और उनकी केबिनेट इस प्रकार के प्रस्ताव पास करती है कि भूस्वामियों की क्या मांगें हैं उनको पता नहीं, जब कि उनकी जागीरें उनसे छीन ली और उनको मुहताज बना दिया अब भी आप कहते हैं कि उनकी क्या मांगें हैं हमें पता नहीं। और यह भी कहा जाता है कि उनकी मांगों को हल नहीं कर सकते वे दिल्ली जायें और पन्तजी से और नेहरू जी से इस संबन्ध में मिलें। दिल्ली हम क्यों जायं हम दिल्ली नहीं जायेंगे आप जब हमारी समस्या का हल नहीं निकाल सकते तो आप कुर्सी छोड़ दीजिये.......

श्री अध्यक्ष—ज्यादा तेज न होइये।

श्री मानसिंह महार— अध्यक्ष महोदय, तेज हुए बिना कुर्सी छोड़ने वाले नहीं, हमें तो कुर्सी छुड़ानी है।

श्री अध्यक्ष—भाषा में थोड़ा संयम से काम लें, भाषा की कहता हूँ।

श्री मानसिंह महार—तो मैं कुर्सी छोड़ने की बात कह रहा था, तो मैं यह कहूंगा कि भूस्वामी संघ वालों का भी इसमें कुछ विश्वास नहीं रहा है उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि हम इस सरकार से किसी प्रकार की बातचीत करना नहीं चाहते। हम इस सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते और यह बिल्कुल सही बात है। अध्यक्ष महोदय, कि वे लोग ऐसी सरकार पर क्या विश्वास करें जिसने उनके साथ विश्वासघात किया। जिन्होंने वादे किये और वादे करने के बाद इस सदन में

[मानसिंह महार]

आकर राजस्थान के मुख्य मंत्री यह कहें कि मैंने कोई वादा नहीं किया और बाद में हमें पचास तरीकों से घेर घार कर कमिटमेन्ट पर लाना पड़े और उनके दस्तख्ती कागज सदन की मेज पर रखना पड़े और इसके बाद कहें कि वादा तो किया था पर वह तो उसी दिन खतम हो गया। आज खतम हो गया तो क्या हुआ? खतम होने की बात थोड़े थी। बात तो यह थी कि आपने कुछ ब्लैक अैंड वाइट में दिया है क्या? यह जबतक आप नहीं कहें हम कैसे मानें?

इसके बाद इस समस्या को जिस दूसरे आदमी ने उलझाया है वह है राजस्थान क्षत्रिय महासभा के वाइस प्रेसीडेन्ट। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दूसरा आदमी जिसने इस समस्या को उलझाया है वे वह हैं। वह सदन में नहीं है। फिर भी मैं आपकी [अध्यक्ष की] आज्ञा से उनका नाम जरूर लूंगा।

श्री अध्यक्ष—आज्ञा मैं नहीं दे सकता। जो व्यक्ति सदन में नहीं, जिनको जवाब देने का मौका नहीं, उनका नाम लेना ठीक नहीं।

श्री मानसिंह महार—वह तो सुखाड़िया साहब उनकी पैरवी करेंगे।

श्री अध्यक्ष—Not proper.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, बार बार सीमाओं को लांघ कर चाहे जैसी बात बोलने का माननीय सदस्य का बतीरा बन गया है। इसकी कुछ न कुछ चैक होनी चाहिए। यह वाजिब नहीं की रिजोल्यूशन कुछ और है और माननीय सदस्य कुछ और ही कह रहे हैं। आखिर इसका कहीं तो अन्त हो।

श्री मानसिंह महार—यह भूस्वामी अन्दोलन पर रेजोल्यूशन है और मैं उसी पर बोल रहा हूं। वह समस्या कैसे उलझी है और आल पार्टी कान्फरेन्स से कैसे सुलझाई जावेगी इस पर बोल रहा हूं और वास्तविकता को लेकर कह रहा हूँ, इससे उनको नाराज नहीं होना चाहिये। अगर कोई बात गलत कह रहा हूँ और मुझे यह समझा दिया जाय कि मैं गलत कह रहा हूं तो अपनी गलती उसी वक्त स्वीकार कर सकता हूं और सदन से माफी मांग सकता हूँ इसी तरह से अगर उनसे भी कोई गलती हुई है तो मैं तो यह आशा करता था कि वे कोई दूसरा ही रवैया अख्तियार करते तो बैटर होता। तो इसमें नाराज होने की बात नहीं है। ये तो वास्तविक बातें हैं जिनके बारे में अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो वे सदन से माफी मांगें। मैं तो जो कुछ कहता हूं गुड फेथ में कह रहा हूं।

तो मैं रेफर कर रहा था वह वाइस प्रेसीडेन्ट दूसरा आदमी है, जिन्होंने इस समस्या को उलझाया है। उन्होंने बार बार प्रेसीडेन्ट की मौजूदगी में, प्रेसीडेन्ट के मौन रहते हुए भी स्टेटमेन्ट दिए हैं और वे ऐसे दिए हैं जो समस्या को उलझाते गए हैं।

[श्री मानसिंह महार]

दूसरी बात मैंने यह निवेदन की ।

अब मैं आता हूँ जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट जो पास हुआ था उसका इम्प्लीमेन्टेशन किसी प्रकार के किया इस पर। इसके तीन मुख्य मुद्दे थे जिन पर ध्यान देना चाहिये। सबसे बड़ी जागीरदारों की समस्या से पैदा हुई दूसरी समस्या है बेकारी की। जागीरों में जो कर्मचारी थे उनको जहां तक हो सके सरकारी नोकरियों में खपाया जाना चाहिये। लेकिन बात बिलकुल उससे उल्टी हुई। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि कम से कम दो लाख जागीर कर्मचारी ऐसे थे जिनको सरकारी नौकरियों में खापना चाहिये था। लेकिन, यह हमारा दूर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय कि इन दो लाख के बजाय सरकार ने आज उनमें से जो थोडे बहुत लोगों ने दरख्वास्तें दीं उनमें से भी ७५ परसेन्ट को रिजेक्ट कर दिया गया और उन २५ परसेन्ट को लिया गया। और वे भी चन्द व्यक्ति विशेष के आदमी हैं। मैं सदन के अन्दर बार बार रेफेरेन्स भी देता हूं उन आदमियों का पर कोई जवाब नहीं आता है। कहा यह जाता है कि बहुत बुरे तरीके से बोलता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अगर हम इस तरह की बात न कहें तो क्या करें ? इतना कहने पर भी सरकार जवाब देने को तैयार नहीं तो फिर उससे क्या आशा कर सकते हैं ? मैं यह समझता हूं कि जागीरदारों की सर्विसेज़ का मामला दुबारा रिओपन करना चाहिये। यह सबसे अहम मसला है। आप जागीरदारों के जो नौकर बेकार हो गये उनको नौकरी दीजिये। वे लोग भी बेघरबार हो गये उनको नौकरी देना आपका परम कर्त्तव्य है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी सिविलाइज्ड गवर्नमेन्ट अपने यहां पर लाखों आदमियों को इस प्रकार से बेघरबार कर दे उनको आज के डेमोक्रेटिक जमाने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट कहना गवर्नमेन्ट शब्द के लिये लांछन होगा। ऐसी स्थिति में सरकार का परम कर्त्तव्य हो जाता है कि उसने जब जागीरें रिज़्यूम की हैं तो जागीरदारों को और उनके नौकरों को रिहेबिलिट करें। सरकार इस बात से इन्कार नहीं कर सकती कि उनका प्रथम कर्तव्य है कि उनके नौकरो को और उन लोगों को रिहैबिलिटेट करे और इसका सबसे बडा अच्छा तरीका है सरकारी नौकरी में उनको रखना। कहा यह जाता है कि इतने आदमियों को हम कहां से रक्खें ? लेकिन मैं कहता हूं कि रखने के लिये जगह बहुत हैं पर दिल नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह कोई बात नहीं है। जगह तो बहुत है पर रखने के लिये वह विशाल हृदय नहीं है।

यह कहा जावे कि आज के युग में कि हम किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते। आप इसे देख लीजिये कि आज राजपूत कौम को लेकर किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पर मुझे फिर यह कहा जावेगा कि तुम अब विषयान्तर जा रहे हो पर किया क्या जावे सही बात तो जो है वह कही ही जावेगी और कहने में हम निर्भीकता से कहेंगे। हमें डर नहीं है इस बात में हम चाहते हैं कि हम सरकार को सही बात बतावें और यह समझावें कि आप जो व्यवहार हमारे साथ करते हैं वह अनुचित व्यवहार है। वह व्यवहार बडा अन्यायपूर्ण व्यवहार है। आज हमारी मांग है कि आपने

[श्री मानसिंह महार]

हमारी जागीरें ली हैं, हमारा सर्वस्व लिया है तो हमारे साथ न्याय करें। आज आप देखिये अध्यक्ष महोदय, कि एक ओर जागीरदारों द्वारा अपनी खुदकाश्त के लिये जमीन मांगी जाती है तो उनको जमीन नहीं दी जाती और अगर कहीं पर दी जाती है तो खड्डों में या खड्डों में दी जाती है जहां पर कि अगर दो सौ रुपया साल का खर्च करें तो रिटर्न होता है सौ रुपया साल ही। वे क्या करें उन जमीनों का ? लेकिन कहा जाता है खुदकाश्त की इतनी सी अरजियां आई। किसके पास दें हम अर्जियां। जिनमें हमारा विश्वास नहीं, जिनको हम यह मानते हैं कि वे ऐसी खराब जमीनें देंगे उनको हम खुदकाश्त की जमीनें देकर क्या करें ?

(घंटी)

आज के युग के अन्दर अध्यक्ष महोदय,...........

श्री अध्यक्ष—मैं पन्द्रह मिनिट दे सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा नियमानुसार।

श्री मानसिंह महार—पांच मिनिट और दीजिये।

श्री अध्यक्ष—फिनिश करिये आप।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, जागीरदारों की खुदकाश्त की समस्या के बारे में भी मैं निवेदन करूंगा कि आज सरकार कहती है भाखरा जाओ, किसी को कहते हैं चम्बल जाओ, किसी को कहते हैं कहीं जाओ, किसी को कहते हैं वहां जाओ। हम क्यों जावें भाखरा चम्बल कहीं भी ? हमारे गावों में जब जमीनें मौजूद हैं तो वहीं मिलनी चाहिये। अब सरकार जवाब देती है कि गांवों में जमीन नहीं है। कैसे नहीं है ? परसों ही मेरे मित्र ने एक सादडी की मिसाल दी थी। सादडी में एक अपने कृपापात्र व्यक्ति को डेढ़-सौ दो-सौ बीघा जमीन दे दी गई जब कि वहां के भूस्वामी जमीन के लिये भटकते फिर रहे हैं। बूंदी की हिंडोली तहसील में आप चले जाइये वहां पर डेढ़ डेढ़ सौ बीघा जमीन माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने रिश्तेदारों को अलाट कर दी हैं। डेढ़ डेढ़ सौ बीघा पक्की जमीन अपने रिश्तेदारों को देते हैं और हमें जवाब मिलता है कि जमीन नहीं है। किससे हम जवाब तलब करें ? हम आशा करते थे कि राजस्थान में हमारे साथ कुछ न्याय होगा, हमारी समस्या की ओर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दिया जावेगा। पर यहां कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर हमारी समस्या का दूसरा भी अंग है। वह है जागीरदारों का कम्पेन्सेशन। जागीरदारों को कम्पेन्सेशन वगैरह देना तै किया गया है। वह किस प्रकार से ? जो कुछ भी तय किया है वह किस प्रकार का है ? इसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि कम्पेन्सेशन देगें किस को ? आपने आज तक कम्पेन्सेशन के जो बोन्ड्स हैं वह तक नहीं छपाये हैं। आप चाहते हैं कि हम धैर्य रखें आपकी सरकार पर विश्वास रखें तो कैसे रखा जाय, अध्यक्ष महोदय, उस सरकार पर विश्वास जो सरकार ३ वर्ष होगये जागीर उन्मूलन कानून को पास हुए और उस सरकार ने

[श्री मानसिंह महार]

बौन्ड तक नहीं छपवाये। एक रोज इसी सदन में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जागीर रिजम्पशन हुआ लेकिन लोग मुआवजा लेने नहीं आये हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचेंगे मुझे यह समझ में नहीं आया। अगर हमारी जागीरें लेते हैं तो मुआवजा आपको देना पड़ेगा। क्या बात हो गई कि एक तरफ तो आप यह धमकी देते हैं, धौंस देना चाहते हैं, सरकार दबाना चाहती है, हमारी आवाज को बन्द करना चाहती है।....

(घंटी)

दो मिनट।

कि हम लोग मुआवजे के लिए उनके दरवाजे पर झुकें। यह नहीं हो सकता, अध्यक्ष महोदय, सरकार को हमको मुआवजा देना पड़ेगा। हम मुआवजा लेगें, सरकार ने हमारी जागीरें ली हैं तो सरकार को यह देना पड़ेगा।

अब एक नया ढंग सरकार ने अपने कृपापात्रों को जागीरदारों को परेशान करने के लिए लगाया है और वह यह लगाया है कि प्रत्येक डिविजन में एक एक वकील नियुक्त किया गया है। उसमें सरकारी धन का, अध्यक्ष महोदय, दुरुपयोग है। उसके अन्दर निश्चित् यह भावना है कि जागीरदारों को परेशान किया जाय। क्या ऐसी आवश्यकता थी जहां कि डिप्टी कलेक्टर, जागीर, और उनके सहयोग साथी आर. ए. एस. वकीलों की बहस सुन सकते हैं। उनके एडवाइजर्स के रूप में उनके कृपापात्रों को लगा दिया है। उनके नाम लेकर सदन में मैं कहूं, अध्यक्ष महोदय, तो यह साबित हो सकता है कि किस २ के वे विशेष आदमी हैं। उनको किसी प्रकार से परवरिश देने के लिए यह किया गया है। एक एक आदमी को एक एक मिनिस्टर से लगा सकते हैं। लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फिर अभी यह कहा जायगा कि नाम पर जाते हैं। यह जागीरदार वर्ग के, साथ भूस्वामी वर्ग के साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ है। सरकार को क्या आवश्यकता थी कि इतना भारी खर्च करे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस समस्या का हल जिस प्रकार से होना चाहिए, था उस प्रकार से सरकार ने नहीं किया। यह एक बड़ी जटिल समस्या है। (घंटी) इस समस्या का आज के युग में हल नहीं करते हैं तो हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। ऐसी सूरत में, अध्यक्ष महोदय, में एक बात और निवेदन करूंगा, वह यह है कि आज राजपूत जाति के ऊपर ऐसा घोर अन्याय हो रहा है तो भी हम में से एक भाई ट्रेजरी बेन्चेज पर जाकर बैठा हुआ है तो वह हमारी कौम को कलंकित कर रहे हैं (घंटी) और उनको मैं अपील करता हूँ कि इस प्रस्ताव को समर्थन करने के लिए केबिनेट से आज इस्तिफा देकर इधर आकर बैठ जायं।

एक माननीय सदस्य—इसके भागी तो आप भी हैं।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, मैं भागीदार हूँ चाहे नही, लेकिन में माननीय मित्र से अपील करूंगा कि ट्रेजरी बेन्चेज् को छोड़कर इधर आकर बैठ जांय और हमारी कौम को कलंकित न करें। (घंटी) बस इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री द्वारकादास पुरोहित—अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खेद है कि प्रस्तावक महोदय ने इस बहुत महत्वपूर्ण मसले पर बहुत उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया। शायद ऐसा ख्याल हो कि जो एटमोस्फियर, जो वातावरण से इन्फ्लुएन्स्ड होकर उन्होंने यहां पर बड़ी उत्तेजना के साथ में कई बातें कहीं। उन बातों के सिलसिले में एक दूसरे माननीय साथी ने इस समस्या को राजपूत कम्युनिटी की समस्या लेकर इस सदन में कई एक बातें रखीं। मेरा ख्याल है, जैसा कि प्रस्ताव है कि भूस्वामियों की समस्या को सुलझाना है उस प्रस्ताव को आधार मानकर अगर उसके मुतल्लिक भी सारी बातें कही जातीं तो इतनी उत्तेजनापूर्ण बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। आखिर समस्याएं सुलझाई जाती हैं एक अच्छे वातावरण में, उत्तेजनापूर्ण वातावरण में नहीं। इस बात को कहते २ वह यह भी कह गये कि इस आन्दोलन के सिलसिले में बहुत बड़ा रिप्रेशन हो रहा है। लाठी चार्जेज होते हैं, और बहुत तंग किये जाते हैं जो आन्दोलनकारी हैं, जो गिरफ्तार होते हैं, या जो हिस्सा लेते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि इस आन्दोलन को डील विथ करने में सरकार ने इस मामले में, कम से कम इस मामले में बहुत सन्जीदगी से काम लिया है। मैं इस बात को मानता हूं कि आन्दोलन में कोई कठोरता जिसका कि बड़ा बयान बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वैसा नहीं हुआ है। मगर इतनी बात जरूर है कि कहीं कहीं जोधपुर में या यहां पर भी कहीं कहीं एकाध दफा सीरियस लाठी चार्ज हुआ है। हो सकता है कि कुछ सरकार के अधिकारी उस समय, पुलिस के अधीकारी काम करने वाले एक ही कौम के कुछ ज्यादा हों कि जिन्होंने इसको डीलविथ किया हो, और उस वजह से उस लाठी चार्ज के सिलसिले में ज्यादा सीरियसनेस बरती गई है, लेकिन यह कतई ठीक नहीं है कि सरकार इस आन्दोलन को रिप्रेस करने की दृष्टि से ही काम कर रही हो और बहुत ज्यादा सख्ती बरती हो इस मामले में। खाली एकाध इन्सीडेन्ट या दो-चार इन्सीडेन्ट्स को लेकर उन्हें इस तरीके से रोशनी दी जाय तो मेरा ख्याल है कि समस्या के सुलझाने का जो रास्ता है उस पर ठीक तरीके से इस सदन के प्रांगण में डिबेट नहीं की जा सकेगी।

मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा इस सदन को बता देना चाहता हूँ कि यह समस्या, जागीरएबालिशन की समस्या जो है वह बहुत बडी समस्या है। हमारे यहां इस राजस्थान में आज से नहीं, मुल्क आजाद हुआ है तब से नहीं, बल्कि इसके पहले से जागीरों की जब्ती के लिए कई किस्म के आन्दोलन हुए हैं और कई वर्ष बीत चुके हैं। सन् ४७ के पहले सन् ३७ से लगातार इसके सिलसिले में आन्दोलन हुए हैं। चूंकि यह आउट ऑफ डेट चीज है इसलिए इसको खत्म करने के लिए हर प्रकार की कुर्बानी हर प्रकार के प्रयत्न लोगों ने, पोलिटिकल पार्टीज़ ने, कांग्रेस ने, किये हैं और यह एक बहुत अच्छा दिन था, जो मैं समझता हूं यद्यपि देर से आया, कि जिस वक्त में हमने रिजम्पुन ऑफ जागीर्स एक्ट पास करके जागीरों को लेने के लिए तय किया। मैं यह भी मानता हूँ कि जिस वक्त जिस वातावरण में वह बात तय हुई थी वह वातावरण उस समय अच्छा बना था, और उस समय जागीरदारों ने भी इस मामले में सहयोग दिया, सहयोग से बातचीत करके इस मसले को तय किया और तय करने के बाद जागीर एबोलिशन का एक्ट पास हुआ। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि उसके पास होने के साथ ही सरकार पर बहुत बड़ी जिम्मेवरी आती थी; जिस तरीके से कि मेजर ओपरेशन करने पर जो जिम्मेवरी सरजन और डाक्टर पर आती है पेशेन्ट की लाइफ के लिए, उसी तरह से एक बहुत बड़ी जिम्मेवरी सरकार पर आई थी। इतनी बड़ी समस्या को हल करने में, जिसमें

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

कि लाखों की तादाद में जागीरदार हों उस समस्या को हल करने में छोटे-बड़े जागीरदार थे। उसमें केवल राजपूत ही नहीं, बल्कि करीब करीब सभी कौमों के लोग थे, जिनमें ब्राह्मण-चमार भी थे, जिनमें हरिजन भी हैं, जिनमें और सभी वर्गों के लोग शामिल हैं; चाहे तादाद में थोड़े ही क्यों न हों, लेकिन सभी तरह के लोग जिसमें शामिल हों तो उनके लिए समस्या जो खड़ी हुई थी वह समस्या रिहेबिलिटेशन की थी। वह समस्या इस समाजवादी समाज में जिसकी रचना हम करने जा रहे हैं, उस समाजवादी रचना में, यह थी कि जो लोग जागीर एबोलिशन एक्ट से इफेक्टेड होंगे, वे लोग जो कि बगैर जमीनों के होने के बाद में, जिनके पास में खाने-पीने के साधन कुछ नहीं रहेंगे। जिनके लिए मैं यह बात और कहूँगा कि केवल यही बात नहीं थी लेकिन सरकार के लिए और बात भी सोचने की थी कि जिस समय राजस्थान बना और प्रिंसेज ने अपने राज्य समर्पित किये उस वक्त में वे लोग, ज्यादातर राजपूत लोग जिनकी जागीरें थीं वे लोग रूलिंग क्लास के लोग थे और रूलिंग क्लास के लोग होने के नाते उनको हजारों वर्षों तक यह प्रिविलेज रहा। वह इस बात का ही रहा कि मिलटरी में और पुलिस में बहुत हद तक उनको सर्विसेज मिला करती थी, मिलीटरी में बहुत हद तक वे ही लोग थे और जागीरदार के यहां जागीरी का काम करते थे, उनके रिश्तेदार भी वे लोग हुआ करते थे, काम किया करते थे, कामदार भी वही किया करते थे। एक वातावरण था। इस प्रकार की प्रिवेलेज को कई अर्से से वे एन्जोय करते रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारी स्टेट्स में उनके मिनिस्टर भी होते थे, उनके मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके हेड्स ऑफ डिपार्टमेन्ट्स हुआ करते थे और एक प्रिविलेज्ड क्लास की तरह फंक्शन करते रहे। वे एक साथ खत्म हुए और उसके साथ साथ जागीरों का मसला भी खड़ा हुआ। साइकोलोजिकल असर होना लाजमी था, वह हुआ। यह लाजमी था कि उनको अच्छा डील दिया जाता उनकी समस्याओं को सोच करके, जागीर डिपार्टमेन्ट कायम हुआ तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए महकमा कायम होता और उनके सम्बन्ध में प्रोपोज़ल्स लाकर उनको रिहेबिलिटेट करने का काम किया जाता, कौनसा उनको काम-धन्धा दिया जाय, इसका रिसर्च होता; जिसे आसानी वे कर सकते थे, गवर्नमेन्ट व्यवस्था कर सकती थी और शायद आज के दिन यह मासला हमारे सामने खड़ा नहीं होता। मैं यह निश्चित रूप से मानता हूं कि जब पाकिस्तान बना और रिफ्युजीज़ का प्रोब्लम खड़ा हुआ तो उस वक्त करोड़ों रुपया लगाकर उनको रिहेबिलिटेट किया गया।

(घन्टी)

तो हमारे यहां भी जब यह प्रोब्लम खड़ा हुआ जो कि उसके बराबर था, हमें उनको काम-धन्धा देना था, सरकार प्रोपोज़ल्स लाकर उसको हल करती तो कुछ मुश्किल ऐसी बात नहीं थी कि उसको हल नहीं कर पाते। आज इतनी बड़ी तादाद में एक मिलिटेन्ट कौम है जिसका पेशा मिलिटरी में नौकरी करना था, जिनका काम है तलवार चलाने का, उन लोगों को पाकिस्तान के बोर्डर पर, राजस्थान के बोर्डर पर खड़ा करके युनाइटेडली सरकार के खिलाफ कर देना; यह बड़ी भारी ओमीशन सरकार की हुई। भूल हुई थी और माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिए कहूंगा कि हाउस को

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

कि इस समस्या को सुलझाने के लिये जल्दी से जल्दी और भी कदम उठायें और एक अच्छा वातावरण बनायें जिससे यह समस्या हल हो सके। मैं मानता हूँ कि भैरोंसिंह जी ने प्रस्ताव रखा है गोलमेज कान्फ्रेन्स का जो आइडिया दिया है वह तो एक पुराना आइडिया है, जो किसी समय ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने रखा था, वहीं उन्होंने आज इस सदन में रखा है। इससे मैं नहीं मानता कि समस्या सुलझाई जा सकती है। सबसे बात करके जल्दीसे जल्दी कदम उठाया जाय जिससे तसल्ली हो उनके दिमाग में। आज उनके दिमाग में तसल्ली नहीं है जिससे वे प्रोजेक्ट एरिया में जमीन ले लें। वे मानने को तैयार नहीं हैं। वे इस बात को ऐसा ले लेते हैं कि पोलिटिकली उनको ऐसी जगह भेजा जा रहा है कि जहां वे माइनोरिटी में रह जावेंगे और दूसरों पर अपना इन्फ्लुएन्स नहीं डाल सकेंगे इसलिए वे शायद सोचते हैं कि उनको ऐसी जगह लेजाया जा रहा है कि वे खत्म हो जांय। आर्थिक रूप से अच्छा माना जा सकता है, वहां पर उनके लिए पानी की समस्या हल हो जायगी। ऐसी जगह जांय फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उसका कोई मूल कारण है और वह है वातावरण। जिस वातावरण में हम यह सुझाव दे रहे हैं वह वातावहरण आज उपलब्ध नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उस वातावरण को सुधारें और इस समस्या को हल करें। माननीय अध्यक्ष, इस सिलसिले में इस मसले को डील करने के लिये मैं दो-तीन बातें अर्ज करूंगा।

श्री अध्यक्ष—Time is up.

श्री द्वारकादास पुरोहित—रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ। मैं माफी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—No repetition. whithin 15 minutes the Hon'ble member should have finished his speech and should not exceed 15 miuitues, the time fixed for this.

श्री द्वारकादास पुरोहित—मैं कोशिश करूंगा, कुछ टाइम आप देंगे।

श्री अध्यक्ष—Within 2 minutes the Hon'ble Member should finish his speech.

श्री द्वारकादास पुरोहित—एक साल होने आया, अन्दोलन सस्पेन्ड हुआ और पुनः चालू हुआ। यह समस्या जिस तरह से शुरू हुई है वह सरकार के लिए अच्छी नहीं है। मैं एक एक ही बात कहूंगा। समय कम है, इसको डील ठीक तरह से नहीं किया गया। अगर आज भी इसको ठीक तरह से डील किया जाय तो यह समस्या सुलझाई जा सकती है।

एक इम्पोर्टेन्ट चीज़ जो ध्यान में आई है जो यह है, कि अखबार में पढ़ने को एक रोज मिला कि श्रीमान् राजप्रमुख इस मामले में मध्यस्थ बनाये गए हैं। यह कोनसा कन्वेन्शन एस्टे-

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

बिलश करने जा रहे हैं। राजप्रमुख रियासत के हैड होकर इस मामले की मध्यस्थता करें, यह कौन सा अच्छा कन्वेशन है ? श्रीमान् राजप्रमुख इस मामले को लेकर अगर उनके नेगोशियेशन्स, मान लीजिये फेल हो जाते हैं तो उनका क्या असर पड़ेगा ? उनकी रेजिडेन्स पर पहुँच कर सब वहां पेश हों, वे मध्यस्थता करें, यह कौनसी चीज़ हुई है ? नेता महोदय को अपने भाषण शुरू करने से पहले ही रोशनी डालनी चाहिये। यह कोन्स्टिटुशनली बड़ी डिफेक्टि है और सदन को इस पर सख्त एतराज होना चाहिए, राजप्रमुख को इस बीच में खींचा जाने के लिये। मान लीजिए कि केबिनेट ने फैसला किया कि वे उनको एडवाइज़ करें कि पांच हजार की जागीरों का तो अब तय नहीं कर सकेंगे, वे देबर भाई या पंतजी ने तय कर दी हैं, तो यह कौनसा तरीका है और यह सही है कि इससे हमारे ऊपर एक कलंक आता है कि किस तरह से मामले को डील करते हैं। एक ऐसा मसला पार्लियामेंट में भी खड़ा हुआ नागौर के बारे में, श्री जयपालसिंह ने उसको रखा था और उन्होंने प्रश्न किया था कि पंडितजी तय करें। पंडितजी ने जवाब दिया कि यह तो उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर की चीज है, वह नहीं कर सकते हैं, जब तक कि स्टेट गवर्नमेन्ट एप्रोच करे। तो यह कौनसा तरीका है जिस तरह से स्टेट गवर्नमेन्ट ने इसको इस प्रकार से मध्यस्थता करने के लिए तय किया है। यह कन्फ्युजन में डालने वाली बात है। यह किस स्टेज में है यह पता नहीं लगता। इसलिए माननीय अध्यक्ष, में अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह से इसको डील किया जा रहा है, आज यह बात आयी, पहले यह बात आती रही कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने समझौता किया, उसको डिनाई किया और फिर चिट्ठी पेश हुई। चिट्ठी हो,

[घन्टी]

मैं उनकी राय से इत्तिफाक करता हूं कि चिट्ठी थी। वह नहीं समझते हैं कि यह एक समझौता हुआ था और फिर उससे अलग होना, लिखी हुई बात न होना, इकट्ठे होकर फिर आन्दोलन हो जाना, स्थिति का गंभीर हो जाना मैं समझता हूँ कि राजस्थान के लिये, हमारे लिए खेद और दुर्भाग्य का विषय है। यह जो बड़ी चीज़ खड़ी हुई एक समस्या के रूप में उसको ठीक तरह से हल करना चाहिए, इधर उधर कौम विशेष से न किया जावे।

[घंटी]

श्री अध्यक्ष—Your time is over.

श्री द्वारकादास पुरोहित—एक बात और कह दूं।

श्री अध्यक्ष—No repetition.

श्री द्वारकादास पुरोहित—I am not repeating, sir.

श्री अध्यक्ष—Stressing and repeating the some point.

श्री द्वारकादास पुरोहित—I am not repeating.

मैं यह कह रहा था कि माननीय भैंरूसिंह जी ने कहा था कि जितने कानून इस विधान सभा ने पास किये हैं वे सब कानून शायद जाट और राजपूत की समस्या को लेकर ही पास किये गए हैं। मेरे ख्याल से उनका इस तरह से सोचना बहुत ज्यादा है, शायद प्रीओकुपाइड़ है लेकिन इतना जरूर है कि कानून पास करते समय हमें यह जरूर सोचना चाहिये। कि समस्याएं उलझन में नहीं पड़ें। प्रोग्रेसिव विचार-धारा को हम कार्यान्वित जरूर करें लेकिन ऐसा ध्यान रखें कि वह ऐसे उलझन में नहीं पड़ जाय जिससे बैक आउट होना पड़े या उलझनीय वातावरण पैदा हो जाय। लॉ एंड ओर्डर की स्थिति जो बहुत मुश्किल से सुधारी गई है उसमें वापिस बिगाड़ नहीं पैदा हो जाय। मुझे इतना ही कहना था।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, भूस्वामी आन्दोलन काफी दिनों से चल रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं कि जनता में भी और इस सदन के भी प्रत्येक भाग में मैं समझता हूं उनकी गतिविधियों को न केवल चिन्ता के साथ ही बल्कि संजीदगी और विचार के साथ देखा जा रहा है। यह सही है और यह मानेंगे कि इस बात को कोई भी व्यवस्थित सरकार ऐसे किसी भी आन्दोलन को जिसमें लॉ एण्ड ओर्डर में खलबली पड़ती हो, अव्यवस्था फैलती हो, उसको खुली छूट नहीं दे सकती। उस पर अंकुश लगाना, उसको सीमाओं के अन्दर रखना किसी भी सरकार का परम कर्त्तव्य होता है और इस दृष्टि से जो भी कुछ सरकार ने किया है, कर रही है; संभव है उसमें कोई अतिक्रम हो गया हो। डिटेल्स मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ व्यवस्था रखना आवश्यक चीज है।

लेकिन इतना करने के बाद भी जो मूल प्रश्न है वह हमारी दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता क्योंकि वह मूल प्रश्न बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने का है जो एक प्रकार की सामाजिक क्रान्ति के कारण, जो समय का तकाजा था, उसकी प्रवृत्ति के कारण अपने आप को आज कठिनाई में पाते हैं। इस प्रकार की समस्याएं खाली कानून के आधार पर सुलझा नहीं करती हैं। कानून इनमें सहयोगी हुआ करता है लेकिन ये समस्याएं मानव समस्याएं हैं और इनको मानवीय ढंग से ही सुलझाया जा सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार उनको सुलझाने के लिये चिन्तित नहीं है, अथवा प्रयत्न नहीं कर रही है। मैं समझता हूं कि इसे सुलझाने के लिये सरकार अपना भरसक प्रयत्न कर रही है लेकिन फिर भी कहीं कुछ ऐसी उलझन पड़ी हुई है जिससे सुलझ नहीं पा रही है। मैं कोई निश्चित सुझाव डिटेल्स के बारे में न रखना चाहता हूं और न रखने की स्थिति में ही हूँ, लेकिन यह जरूर व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस सदन के सदस्यों की मनोभावना को जितना मैं जान सका हूं, आप जनता की मनोभावना को जितना जान रहा हूं उसके अनुसार सभी यह महसूस करते हैं कि इस समस्या को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिये, इसको सुलझाना आवश्यक है। जो लोग छोटी स्थिति के हैं, आर्थिक दृष्टि से छोटी स्थिति के थे या हैं उनके साथ

[श्री टीकाराम पालिवाल]

निश्चय ही कुछ भिन्न बरताव हमको करना पड़ेगा बनिस्पत उन लोगों के जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी है। यह ठीक है कि तफसील में जाने में कुछ समय भी लगता है, कुछ कठिनाइयां होती हैं लेकिन फिर भी यह ऐसी चीज है जिससे हम हार नहीं मान सकते।

भावनाएं व्यक्त की गई हैं द्वेष के बारे में, और और भी कई प्रकार की; लेकिन मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कोई अवसर नहीं रह गया, कोई द्वेष रखने के लिये तथा द्वेष की शंका करने के लिये। अब तो एक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करने के लिये हमने कुछ कानून बनाये और उन कानूनों का उन लोगों पर कुछ उल्टा असर पड़ा जो पहले से सुविधा प्राप्त लोग थे। उनकी सुविधाओं को जो विशेष थीं उनको समाप्त करना पड़ा क्योंकि उनको समाप्त करने की आवश्यकता थी। लेकिन जब वे समाप्त हो गईं तब कोई भिन्न वर्ग नहीं रह गया। अब तो न वे जागीरदार हैं और न भूस्वामी हैं लेकिन वे अब साधारण जनता के अंग हैं। विशेषता है तो यह है कि वे कुछ समय पहले व्यवस्थित थे, अपनी आजिविका को प्राप्त कर रहे थे, कई साधनों से चाहे विशेषाधिकार से या दूसरे साधनों से लेकिन आज उनके पास वे साधन नहीं रहे। अब यह सरकार की और हमारी जिम्मेदारी है कि वे साधन उनको दिये जांय, उनको देने में जितनी उदारता हम रख सकें। जितनी अधिक तत्परता हम बरत सकें उतनी ही अधिक सहूलियत से, आसानी से, जल्दी ही हम लोगों को व्यवस्थित कर सकेंगे और उनकी सहानुभूति सद्भावना प्राप्त कर सकेंगे। मैं नहीं जानता कि उनकी संख्या ३० लाख है, ३५ लाख है या १० लाख या ५ लाख है, फिलहाल कितने ही हैं, संख्या का उतना महत्व नहीं है। महत्व है मानवी ढंग से इसे सुलझाने का। यदि इनकी बड़ी संख्या है तब भी प्रश्न उसी ढंग का है और छोटी संख्या है तो भी उसी ढंग का है। लेकिन उनको रिहेबिलिटेट करने का कर्तव्य हमारा है। उस कर्तव्य के बारे में मैं समझता हूँ सरकार चिन्तित अवश्य है लेकिन जो रास्ता इस समस्या को सुलझाने के लिये अपनाया गया है उससे वे सफल नहीं हो सके, उनको संतोष नहीं दे सके, उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर सके। इसलिये उससे आगे बढ़कर किसी प्रकार से खास दिशा में चलना होगा। यह कर्त्तव्य सरकार का है कि इस समस्या को सुलझावे। यदि बाहर से सलाह लेना चाहेंगे तो वह भी उपलब्ध होनी चाहिये लेकिन तत्परता जरूर होनी चाहिए। मैं समझता हूं इस दृष्टिकोण से चलेंगे तो यह समस्या हल हो सकती है।

एक प्रश्न यह सामने आया कि राजप्रमुख को बीच में लाने की यह कौनसी वैधानिकता है। मैं निवेदन करूंगा कि यह समस्या न केवल कानून और विधान से सुलझने वाली है बल्कि इसको सुलझाने के लिये एक मानवीय दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। यदि उसमें राजप्रमुख का सहयोग हो सकता है तो इसमें मैं कोई बहुत बड़ी बाधा या आपत्ति नहीं समझता। मूल बात यह है कि सब लोग मिल कर इसका हल निकालें। जिनके पास इसको हल करने के लिये सुझाव हैं वे सब मिलकर पूर्ण सहानुभूति के साथ यह सोचें कि इसका हल कैसे निकल सकता है? कुछ लोग यह सोचते होंगे

[श्री टीकाराम पालीवाल]

कि समस्याऐं उन लोगों की रह गई हैं जो पहले से ही आर्थिक स्थिति में कमजोर थे और जब पहले भूस्वामी थे तब भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसलिये न तो कुछ बचा पाते थे और न कोई दूसरी आजीविका का प्रबन्ध कर पाये क्योंकि समय उनके पास बहुत थोड़ा था। उनको सोकर उठने का समय नहीं मिला और उनके पास बचत का साधन था नहीं, इसलिये उनकी स्थिति संभल नहीं पाई। उनको एकदम उनके स्थान से उखाड़ दिया गया है इसलिए सहानुभूतिपूर्ण ढंग से अधिक से अधिक उदारता से उनको रिहेबिलिटेट करना है। मैं समझता हूं, उनको विश्वास रखना चाहिये कि सरकार की ओर से और सदन के प्रत्येक भाग की ओर से उनके प्रश्न को हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। कम से कम उनको ऐसी तो आशा रहे कि हम सब लोग चिन्तित हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिये।

श्री मथुरादास माथुर—अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री भैरोंसिंहजी के प्रस्ताव पर सदन में कई तरह के विचार रखे गये। उनके प्रस्ताव में सभी पार्टियों के नुमायन्दों की एक गोलमेज बैठक बुलाई जाकर इस समस्या को हल करने की मांग की गई है। भूस्वामियों की समस्या राजस्थान में आज ही पैदा हुई है ऐसा मैं नहीं मानता। मैं इस राय का हूं कि जब जागीर रिज़्यूम्पशन हमारे यहां पर किया गया उसके पहले भी छोटे भूस्वामियों या छोटे जागीरदारों की समस्याएं मौजूद थीं।

जिन जागीरदारों कि आमदनी सालाना दो तीन हजार रुपया थी, उनकी उस वक्त भी समस्या मौजूद थी। यह ठीक है कि जागीरदारी प्रथा खत्म करने से पहले, उन लोगों को जो छोटे भूस्वामी थे उनके मुकाबले दूसरे काश्तकारों को रियायत थी, पर उनकी आर्थिक हालत ऐसी ही खराब थी जैसी कि आज है। मगर जागीरी लेने के बाद में इस समस्या के दो पहलू हमारे सामने आये, एक राजनैतिक पहलू और दूसरा आर्थिक पहलू। राजनैतिक पहलू, जहां तक इस समस्या का है, उसके बारे में मैं अन्त में चर्चा करूंगा। पर इसका जो आर्थिक पहलू है वही एक बडा पहलू है और इसी पर सदन में विचार किया है, उस पर मैं भी पहले अपने विचार प्रकट करूंगा।

सदन में यह कहा गया है और मैं खास तौर से बड़े जोरों से रखना चाहता हूँ कि छोटे भू-स्वामी कहिये, या इन्हें जागीरदार कहिये और कुछ लोगों ने छोटे राजपूत और काश्तकारों के नाम का भी इनके लिये प्रयोग किया है। किसी भी नाम से कहा जाय इनकी एक समस्या है। इनकी समस्या हमारे राजस्थान के अन्दर गांवों में रहने वाले आम किसानों की समस्या से अलग समस्या नहीं हो सकती। यह सोचना गलत है कि हम भू-स्वामियों की समस्या एक तरह से अलग तौर से हल कर पायेंगे। जहां तक खुदकाश्त और कम्पेन्सेशन से सम्बन्ध है, इनके लेने के लिये हमने कानून बनाये हैं और इस ओर कदम बढ़ाने का इशारा किया गया है। पर मैं मानता हूँ कि इन चीजों के होने से ही समस्या हल नहीं हो जायगी। इस समस्या

[श्री मथुरादास माथुर]

का हल करने के लिये हमारे यहां जो देहातों की आर्थिक हालत है उस पर विचार करना होगा। हमारे यहां देहातों में रूरल अनएम्प्लोयमेंट हो रहा है, उसका इलाज करना होगा।

जंग के समय देहातों से हजारों आदमी सेना में भर्ती किये गये, हजारों की तादाद में भू-स्वामी कहलाते हैं वे भी थे, जो कौम के नाम से राजपूत कहे जाते हैं; उनके अलावा जाट, मीणे और कायमखानी भी थे, ये लोग देहातों से निकल कर जंग में लाखों की तादाद में गये। जंग के बाद नौकरी तोड दी और वे बेकार गांवों में बैठे हैं, आज के भू स्वामियों की समस्या से अलग उनकी समस्या नहीं। रूरल अनएम्प्लोयमेंट जो हमें दिखाई देता है वह भू स्वामी समस्या का एक अंग है। इसलिये हमें इस बात पर सोचना चाहिये कि बेकारी के कारण, जंग के खत्म होने बाद फौजें तोड दी गई थीं, इससे बेकारी पैदा हुई, इसको हल करने के लिये क्या करना चाहिये। इस दृष्टि से इस समस्या को देखेंगे तो इसका हल कर सकेंगे। गांवों में कोटेज इन्डस्ट्री पनपाना, जिन इलाकों में भू-स्वामी ज्यादा हैं उन इलाकों में एम्प्लोयमेंट के दूसरे तरीकों को टेप किया जाय तो यह समस्या एक वर्ग विशेष की, एक कौम विशेष की समस्या नहीं रहेगी, यह आम लोगों की, राजस्थान के देहातों में रहने वाले आम लोगों की समस्या है।

हमारी पूरी हमदर्दी है, हमारी ही नहीं इस सदन के सभी सदस्यों की पूरी हमदर्दी है कि भू स्वामियों की आर्थिक समस्या का हल करना चाहिये। और वक्तन फवक्तन इस सदन ने इस समस्या पर विचार किया है। जागीर रिज़म्पशन कानून बनाया था उस वक्त इनके रीहेबिलिटेशन की बात को सोचा था, वह कानून में मौजूद है, कम्पेन्सेशन की बात है वह भी इस कानून में मौजूद है। यह क्रिटिसिज़्म समझ में आ सकता है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में देर हुई है, इस तरह के रूल्स बने हैं जैसा कि माननीय दांतारामगढ से आये हुए सदस्य ने कहा कि रूल्स इस तरह के बने हैं कि उन्हें यह सब प्राप्त करने में तकलीफ हो रही है, वे फायदा नहीं उठा सकते। इसके लिये मांग यह होनी चाहिये थी कि रूल्स में तब्दीली की जाय, होना यह चाहिये था कि हमारे सदन में बैठे हुए जो इस प्रकार की बातें यहां करते हैं वे गांवों में जाकर उनके कम्पेन्सेशन के फोर्म भरवा कर यहां पेश कर उनको कम्पेन्सेशन और खुदकाश्त हासिल करने में उनकी मदद करें।

श्री मानसिंह महार—क्यों नहीं सरकारी अफसरों को भेज कर भरा लिये जायं?

श्री मथुरादास माथुर—इसमें भी आपत्ति नहीं, पर एक तकलीफ आ सकती है। फेक्ट्स और केल्कुलेशन्स में हजारों झगडे फंस जायेंगे, पर यह भी तरीका सोचा जा सकता है। पर इस समय इसके डिटेल्स के तरीके पर चर्चा करने के लिये मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ। प्रस्ताव वह कि मुख्तलिफ पार्टियों का गोलमेज़ सम्मेलन बुलाया जाय, यह आर्थिक समस्या को हल करने का तरीका नहीं, यह राजनैतिक पहलू है। मेरी राय है कि कुछ राजनैतिक पार्टियां भू-

[श्री मथुरादास माथुर]

स्वामियों का राजनैतिक शोषण कर रही हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि आगामी चुनावों में हमे इससे मदद मिलेगी। यह कोई आर्थिक समस्या का हल नहीं। हमें खेद है इस बात का कि भू स्वामियों की तरह से उनकी आर्थिक समस्या को हल करने के लिये उनकी सही मांगें हमारे सामने पेश नहीं हुईं और न उनका कोई ओफिशियल स्टेटमेंट हैं कि हमारी ये मांगें है। उनकी गरीबी आर्थिक समस्या का हल करने के लिये उनकी भावना को भड़का कर कुछ लोगों ने अपने राजनैतिक तरीके से कोशिश की है, वह बड़े खेद की बात है।

श्री मानसिंह महार—आपने भी तो जाटों को भड़काया है।

(घंटी)

श्री मथुरादास माथुर—उनकी कोई समस्या नहीं आई। आपने यह ठीक ही कहा है। माननीय अध्यक्ष, इस भावना का यहां प्रदर्शन किया है कि कुछ आदमी इस भावना को लेकर भड़काते हैं, तो वे भी भड़काते हैं यह कम से कम उन्होंने कबूल किया है। एक गलती को दूसरी गलती से ठीक नहीं किया जा सकता। तो मैं यह समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को कोई सुझाव देने के लिये आगे आना चाहिये।

आज के दिन भूस्वामियों की यह मांग नहीं है कि हमारे यहां पांच हजार, ६ हजार या १०००० की जागीरें हैं वे न ली जायं। आज की इस सोशलिस्टिक पैटर्न, जिस प्रजातन्त्र का आधार है, उसमें इस तरह का सिस्टम लागू रहे, यह तो कम से कम कोई भी सदन का सदस्य जो आज की हवा को समझता है, नहीं स्वीकार करेगा। जागीर चाहे वह एक पैसे की भी हो, वह अब इस युग में नहीं रह सकती, यह फ्यूडल टेन्योर देश में नहीं चल सकता। हमें उन साथियों को समझाने की कोशिश करनी चाहिये कि इस जमाने में इस तरह की मांगें नहीं रखें। जहां तक जागीर उन्मूलन का सवाल है, छोटे राजपूतों की समस्या है उनकी समस्या को हल करने के लिये यह होना चाहिये कि उनके साथ जो दूसरे लोग गांवों में रहते हैं उनकी समस्या को हल करना चाहिये, इसके लिये वैधानिक तरीका होना चाहिये। पंच समझौते की चर्चा की गई। सदन का हर एक सदस्य इस चीज को जानता है कि पंच समझौते में ५ हजार की जागीरों को लेने का तय हुआ था, दोनों तरफ से मुगालता ही मुगालता था। इस मुगालते को साफ क्यों नहीं कराया जावे? पंत एवार्ड दूसरी दफा निकला, उसको हमने पढ़ा है। आज हम जानते हैं कि हमारी चुनी हुई सरकार है, और प्रजातंत्र के जमाने में चुनी हुई सरकार होती है और जब चुनी हुई सरकार होती है तो हमें वैधानिक तरीकेसे काम करना चाहिए। जिस प्रकार पहले पंत और श्री नेहरू ने इसको पास किया था और यह कहा जाता है कि उस समय भूस्वामियों की बात का ख्याल नहीं आया था और मुगाल

[श्री मथुरादास माथुर]

दोनों का रहा। मैं यह कहूंगा कि चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों नहीं हो, हमको चाहिये कि पहले उनको सरकार के सामने रखें और अगर उसके बाद समस्या का कोई हल नहीं हो सके तो वैधानिक तरीकों से उसका हल निकालें। पंडित नेहरू और पंत, जिसमें देश का विश्वास है उनके पास जावें। उन पर दोनों का विश्वास है। पंडित नेहरू और पंत जो फैसला कर दें, देश के हित में, प्रान्त के हित में, तो वह फैसला हम सबको मन्जूर होना चाहिये। आज हम पंडित नेहरू के पास जाना पसन्द नहीं करते। आज हम अपनी मांगों को लिखित रूप में देना पसन्द नहीं करते। हम सिर्फ मांगों को लेकर राजनैतिक आन्दोलन चालू करना चाहते हैं। मैं यह कहूंगा कि यह गलत रास्ता है। उनके नाम पर लोग राजनैतिक मतलब हल करना चाहते हैं। सदन के इस ओर बैठ कर वापिस उस ओर चले जावें भले ही, लेकिन आज इस तरफ बैठने वालों को भी इसके प्रति पूरी हमदर्दी है, यह नहीं कि आपको ही हमदर्दी है।

(हियर-हियर)

मैं यह कहूंगा कि उधर बैठकर उनके द्वारा इस प्रकार कार्यवाही करके उनका नाजायज फायदा उनको नहीं उठाना चाहिये। उनको चाहिये कि उनकी सेवा करें। उनको मुआवजा दिलाने के लिए फोर्म भरें, उनको दूसरी सहायता दें और उनकी सेवा करें, न कि राजनैतिक तौर पर अपना मतलब सिद्ध करें। यह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ राजनैतिक वातावरण पैदा करें। मैं आपको तसल्ली दिलाना चाहता हूँ कि जो भाषण इस ओर से और उस ओर से दिये गये हैं उससे यह प्रतीत होता है कि इस समस्या का हल सभी लोग चाहते हैं। मगर आन्दोलन से नहीं बल्कि एक दूसरे की बातों को जानकर उसका हल करें तो ज्यादा अच्छा होगा और मैं यह समझता हूँ कि भूस्वामियों का मसला हल हो जावेगा। आज उनके सामने गरीबी और रोटी का प्रश्न है और इस प्रश्न के नाम पर जब कभी राजप्रमुख का भाषण होता है तो लोग प्रश्न उठाते हैं और बोलते हैं, चाहे वह बजट का भाषण हो, इस प्रश्न को लेकर बोलते हैं और मैं यह कहूंगा कि इस समस्या को लेकर उन्होंने हर एक भाषण देना शुरू कर दिया। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस आर्थिक पहलू को हमें ठंडे दिमाग से हल करना चाहिये और इस समस्या को हल करने के लिए सरकार और उनको सहयोग देकर इस समस्या को हल कराया जाना चाहिये। अगर ऐसा करें तो यह समस्या हल हो जायगी। अगर इस समस्या को हम हल नहीं कर सकते तो हमें चाहिये कि इस समस्या को पंडित नेहरू और पंत से हल करावें और जो वे फैसला करें वह फैसला हम सबको मन्जूर करना चाहिये।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष, मैं दांताराम गढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है जिसमें गोलमेज सम्मेलन बुलाने की मांग की है, मैं उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

भूस्वामियों की समस्या के बारे में बार बार जिक्र किया गया और उसको सुलझाने के बारे में कहा गया। मैं इस सम्बन्ध में कुछ मौलिक और भूतपूर्व बातों पर निवेदन करना चाहूंगा जिसका

[श्री जगतसिंह झाला]

मेरे मित्रों ने उल्लेख नहीं किया है फोर्मर राजस्थान के राव साहब देवली ने हाईकोर्ट में रिट की और उसके बारे में फैसला हुआ कि लाखों रुपयों की राशि फोर्मर राजस्थान के जागीरदार को देनी चाहिये, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया है।

एक दूसरी और बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि भूस्वामियों के तालाबों की समस्या है उसको सरकार और सरकारी अधिकारी जानबूझ कर जटिल बनाते जा रहे हैं। मै निवेदन करना चाहूंगा कि कानून में यह बात स्पष्ट है कि जो तालाब भूस्वामियों के हैं उनको समाई पर खाली कर दिया जावेगा। लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इन तालाबों के पानी को खाली नहीं किया है। इसके लिए माननीय मंत्रीजी और उनके सदस्य जिम्मेदार हैं और उन्होंने ही इस प्रश्न को जटिल बनाया है। उधर बैठने वालों ने ही इस प्रश्न को जटिल बनाया है, नकि इधर बैठने वालों ने। मैं निवेदन करूंगा कि जागीरदारों ने हजारों और लाखों रुपये लगाकर तालाब बनाये उनको उन पर पूरा हक है कि वे उसमें खेती करें। मगर सिंचाई विभाग के अधिकारी और दूसरे सरकारी अधिकारी उनके खिलाफ कार्य करते हैं जो कानून बना हुआ है। यह राजपूत कौम के प्रति दुर्भावना का प्रतीक है। आप उनके साथ बदला लेने की भावना से, प्रतिशोध की भावना से यह करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बात को लेकर किसी प्रकार की किसी भावना को उभारने का प्रयत्न हमारी तरफ से नहीं किया गया है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उन्होंने इस प्रकार के भाषण देकर भावनाओं को उभारा है कि जागीरदारी खत्म हो गई है और अब जागीरदारों को कुचलना है, उनको भी कुचल दिया जायगा। सांप तो मर गया है उसकी ठोडी को कुचलना बाकी है उसको भी कुचला जावेगा। इस प्रकार के उनके भाषण हैं और उनके इस प्रकार के भाषणों की ही यह प्रतिक्रिया हुई है। आप एक जाति को इस प्रकार कुचलना चाहते हैं यह आपके भाषण से साफ प्रकट होता है मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि अगर आप एक वीर जाति को कुचलना चाहते हैं तो वह ज़ाति अपने प्रतिकार का बदला लेने के लिये तैयार रहेगी। इसलिये हमारी तरफ से किसी प्रकार की भावनाओं को उभारने का प्रश्न नहीं उठता। आप भूस्वामियों की मांगें हैं उनको देखें और ठंडे दिमाग से उन पर सोचें इस प्रकार का संकेत मेरी ओर करके एक सदस्य ने कहा मैं उनसे यह कह देना चाहता हूं कि पहले भी मैंने कहा और एक बार फिर कह देना चाहता हूं कि यहां पर केबिनेट के, आपके एक मिनिस्टर हैं जो आज यहांपर मौजूद नहीं हैं मै उनका नाम लेना नहीं चाहता, आप समझ गये होंगे उन्होंने ३५० बीघा जमीन अपने नाबालिग लड़के के नाम पर ले रखी है और भूस्वामियों पर जिनकी जमीनें वहीं पर हैं कहा जाता है कि भाखरा और नांगल में जाकर बसिये। मै यह नहीं समझ सका कि जिन भू स्वामियों की जमीन ली जा रही है उनको तो कहा जा रहा है कि तुम अपना देश छोड़कर दूसरी जगह बहुत दूर रहो और अपने अपने व्यक्तियों को इस तरह से जमीन दी जा रही है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि भू स्वामी उसको खेती वहां पर नहीं करने देंगे।

[श्री जगतसिंह झाला]

एक भी भूस्वामी रहेगा हरगिज उनको खेती वहां नहीं करने देगा। उनको भी जमीनें देनी होंगी जिनकी जमीनें जागीर रिजम्पशन एक्ट से ली गई हैं और उनको वंचित किया गया है। आप एक वर्ग के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए जमीनें देते हैं और जो लोग कदीम से खेती करते आये हैं और जिनकी जमीनें ली जा रही हैं उनको जमीनें बहुत दूर दे रहे हैं इससे आपकी भावना स्पष्ट है कि आप एक जाति विशेष के साथ प्रतिशोध की भावना रखते हैं। मैं यह कहूंगा कि जिन लोगों को आप जमीन भूस्वामियों से लेकर दूसरों को देंगे और भूस्वामियों को उनके स्थान पर जमीन उपलब्ध होते हुए भी नहीं देंगे तो भूस्वामी उनको कभी खेती नहीं करने देंगे।

(हिअर-हिअर)

इसी तरह से आप यह चाहते हैं कि जागीरदारलोग दूर जाकर अपना काम करें यह आपकी भावना चल नहीं सकती। आप ग्रो मोर फूड कम्पेन के सिलसिले में ३५० बीघा जमीन छोटी सादड़ी में नाबालिग लड़के को दे देते हैं और उस जमीन पर हजारों रुपयों के वृक्ष लगे थे जिसका २० हजार रुपयों का ठेका होनेवाला था उसको केन्सिल करवा कर मंत्री महोदय ने अपने पोर्ट फोलियों का दुरूपयोग किया। क्योंकि आप वन मंत्री थे और अपने पद का दुरूपयोग करके उन्होंने अपने स्वार्थ के लिये सरकार का नुकसान किया और अपने नाबालिग लडके के नाम वह जमीन करवाली।

("शेम शेम" की आवाज)

नारमगरा में आप आदिवासियों को जमीन दे रहे हैं और गाडुलिया लुहारों को बसा रहे हैं इससे हम नाराज नहीं हैं। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि आप एक वर्ग विशेष के साथ दुर्भावना और अन्याय न करें और प्रतिशोध की भावना दिखाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि भूस्वामियों को दूर निकाल दिया जावे। ऐसा हो नहीं सकता। हम शांति चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि अशांति हो आपही लोग, आपके ही नेता लोग इस तरह के भाषण दे कर इसको राजनैतिक रूप देते हैं और फिर आप फरमाते हैं कि यह राजनैतिक रूप हमारी ओर से दिया जाता है। आप यह समझते हैं कि हम जागीर रखना चाहते हैं। हम जागीर रखना नहीं चाहते लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि दूसरे लोग खेती करें और जमीन के मालिकों को फलसे के डन्डों से मार कर निकाला जाए और हम इस बात को देखते रहें। आप इस वस्तु स्थिति को राजनैतिक स्थिति से बदलना चाहते हैं। आप ने चित्तौड़ डिविजन में भूस्वामियों पर जुल्म करने के लिये ऐसे एस. पी. को भेजा है जिन्होंने पहले मेवाड़ में एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता को पीटा है। उसको वहां पर रखने का स्पष्ट कारण यही है कि भूस्वामियों को तंग किया जावे। इसी आशय से उसको वहां पर रखा गया है और पार्लियामेंट के सदस्य हैं। उन्होंने उनको वहां इसी वजह से रखा है। उन्होंने अपने भाषण में भूस्वामियों के बारे में कहा है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि सांप तो मर गया है और अब उसकी टोड़ी को कुचला जावेगा। इस से यह कहा जा सकता है कि आप जातिविशेष से बदला लेने की भावना और प्रतिशोध से ऐसा कर रहे हैं। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस वीर जाति को इस तरह

Page No.68

[श्री जगतसिंह झाला]

से कुचल नहीं सकेंगे। यह जो समस्या है उसको आपको ठंडे दिल से हल करनी चाहिये। आप कहते हैं कि अगर हम हल नहीं कर सकते हैं तो हम पंडित नेहरू और पंत को कहें और समस्या को हल करावें। मैं यह कहूंगा कि क्यों उनसे कहें आप क्यों नहीं हल कर सकते। अगर आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते तो कुर्सियें छोड दीजिये और अपने दूसरे साथियों को बैठने दीजिये वे इस समस्या को हल कर देंगे। आप इस प्रजातन्त्र के युग में लोगों को मुगालते में रखना चाहते हैं, नहीं रख सकते। भूस्वामियों के साथ हजारों वारदातें हुई हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास होगा। लेकिन मैं यह कहूंगा कि इस उलझन का श्रेय वर्ग विशेष के लोगों पर है। इसलिये कहा जा सकता है कि आप जानते हैं कि राजपूत जाति की जो मान मर्यादा रही वह आज फिर उसी प्रकार है आप चाहते हैं इस प्रकार इस जाति को नष्ट करने के लिये नारा लगाते हैं आप चाहते हैं कि इस जाति को किसी न किसी तरह नष्ट कर दिया जाय। लेकिन यह विश्वास रखिये सौ हजार आदमियों को आप नष्ट कर सकते हैं लेकिन जाति कभी नष्ट होने वाली नहीं। यह वीर जाति है जिसने हमेशा देश की रक्षा के लिये अपना खून बहाया है उसको आप इस प्रकार नष्ट नहीं कर सकते।

आप मेवों को बसा सकते हैं जो दस पन्द्रह वर्ष पहले यहां आये थे उनको आप जमीन धौलपुर और भरतपुर में दे सकते हैं तो क्या कारण है कि आप यहीं के निवासियों को यहीं पर उनके इलाके में भूमि नहीं दिला सकते। इन सारी बातों से यही दिग्दर्शन होता है कि आप एक जाति के साथ प्रतिशोध की भावना लेकर चल रहे हैं। आज मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और जो गोलमेज सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव है वह बुला लेना चाहिये, यह कोई बुरा प्रस्ताव नहीं आया है। सभी राजनैतिक पार्टियों का सम्मेलन कर इस भूस्वामी समस्या पर उनके विचार भी जानने चाहिये वे किस तरह से इस समस्या का निराकरण करना चाहते हैं इस बात का हमें पता लग सकता है। आप कहते हैं कि पतजी या नेहरू जी जो कुछ कर देंगे वही हम करेंगे हम तो कुछ नहीं कर सकते वे लोग जो करेंगे वह हमें मन्जूर है इस प्रकार की आपकी नीति ठीक नहीं है। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो समस्या प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तुत की गई अगर इसको मूल रूप में देखा जाय तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी इसको बनाया गया है।

हमारे इस देश के अन्दर अहिंसक क्रान्तियां हुई सामाजिक और आर्थिक क्रान्तियों में हमें हमारे पूज्य महात्मा गांधी से प्रेरणा मिली और उन्हीं की प्रेरणा से हमारा देश आजाद हुआ। उसी सिद्धान्त के अनुसार इस प्रदेश के अन्दर भी जागीरदारी प्रथा को सुलझाने की कोशिश की और उसवक्त की सरकार ने और अब की सरकार ने इसको ठीक तरह से और ठीक ढंग से शान्तिपूर्ण और अहिंसक तरीके से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की। यह मैं मान सकता हूँ कि शान्तिपूर्ण और

[श्री सोहनलाल भटनागर]

अहिंसक ढग से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करने पर एक वर्ग विशेष को जिसका पीढ़ियों से सैकड़ों वर्षों से एक वेस्टेड इन्टरेस्ट चला आ रहा था उनके हित में बड़ा भारी आघात पहुँचा। उसकी क्षति पूर्ति के लिये चाहे उनको जमीन दे दी जाय. चाहे उनके पुनर्वास के लिये कितना ही रूपया दे दिया जाय लेकिन जैसा कि वे चाहते है वे पुरानी परिस्थितियां, पुरानी हालत थी जब कि उनके द्वारा गरीबों का शोषण होता था घर बैठ कर गरीब की कमाई पर ऐशोआराम करते थे वे परिस्थितयां अब हर्गिज उत्पन्न नहीं हो सकतीं। मैं यह मानता हूं कि जिस वक्त यह समस्या उठाई गई और लोगों ने दरख्वास्त का कि इस समस्या को शान्तिपूर्ण और सुलभ बनाया जाय और इसी चीज को मानकर जागीरदार लोग पन्त के पास पहुँचे और जो उन्होंने अवार्ड दिया वह सब के सामने है उससे सभी परिचित हैं। पहले जो जागीर रिजम्पशन बिल पेश हुआ था पंत जी के अवार्ड के बाद कम्पेनसेशन की दर बढ़ायी गयी क्यों कि सरकार यह चाहती थी इस समस्या को ठीक ढंग से सुलझाया जाय। दूसरी समस्या जो खुदकाश्त की जमीन की थी मैं उसके लिए निवेदन कर सकता हूँ सिर्फ उदयपुर डिवीजन के अन्दर ६० प्रतिशत जागीरदारों के पास खुदकाश्त की जमीन मौजूद है यह उनके लिये बनावटी समस्या है। इसके बावजूद भी यह कहा जाय कि जागीरें ली जा रही हैं रिहैबीलिटेड किया जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं छोटे जागीरदारों के लिये जो ग्रान्ट रखी गई कम्पेनसेशन की अगर उनको ठीक प्रकार से देखा जाय तो कम से कम एक रुपये में से १४ आने की रकम उस जागीरदार को जिसकी आमदनी पांच हजार तक की है दस वर्ष तक मिलते रहेंगे। आपको पता है हिन्दुस्तान का बटवारा हुआ पाकिस्तान से लोग आये उनको पुनर्वास करने की समस्या सरकार के सामने थी। उनको पुनर्वास के लिये करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च किया, उनको मुआवजा दिया लेकिन यदि कोई यह कहे कि मुआवज़ा उन्हें सारी उमर मिलता रहे यह परिस्थिति हमेशा चल. नहीं सकती। जिस जागीरदार को १०,१५ वर्ष तक रुपये में पन्द्रह आने मिलते रहें और इन्टरिम पीरियड के लिये जिनको जमीन दी जा रही है जिनके जरये वे खेती कर लें। जब इतनी सुविधायें है फिर भी यह कहना कि कुछ नहीं किया जा रहा है मैं नहीं मानता इसके अलावा उनके सामने कौन सा प्रश्न रह जाता है। मुआवजे को किसी भी रुप में कम नहीं कहा जा सकता। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूस्वामी यह चाहते हों कि उनकी पुरानी जो स्थिति थी वही वापिस चली आय यह होने वाला नहीं है। आज राजस्थान का किसान जाग चुका है उसमें भी जागृति उत्पन्न हो गई है आज जो उनके लिये प्रगतिशील कानून बन चुका है उससे पीछे कदम नहीं उठाया जा सकता। अगर सरकार पीछे कदम उठाती है जागीरदारों को खुश करने के लिहाज से जो किसान को सुविधा दे रखी है अगर उसको छीन लिया गया उसको बेघरबार कर दिया गया तो मैं निवेदन करना चाहूंगा अभी जो यह समस्या है उससे भी ज्यादा भयंकर समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिसको संभालना मुश्किल हो सकता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन जागीरदार भाइयों के पास जमीन नहीं उनको जमीन दी जाय। लेकिन उस जमीन में से नहीं जो खुदकाश्त नाम पर बसे हुए हैं किसान की जमीन छीन ली जाय और इनको दे दी जाय यह कतई न्याय संगत नहीं और पांच हजार तक की जागीर कायम रखी जाय। मैं यह भी,

[श्री सोहनलाल भटनागर]

कह देना चाहता हूँ कि अगर इस चीज पर सरकार को हटना भी पड़े और उसको इस्तीफा देना पड़े तो कोई बात नहीं किन्तु जो बात हो चुकी, जिस बात को सिद्धान्ततया मान चुके उससे वापिस फिरना कतई उचित नहीं होगा। आज इस युग में जब कि आप समाजवादी समाज रचना की ओर बढ़ रहे हैं तो वैसी हालत में हम पुराने युग की ओर नहीं बढ़ सकते।

दूसरी बात यह कि इस समस्या के साथ आम राजपूत का संबन्ध है यह आम राजपूत की समस्या है। मैं यह मानता हूँ यह वस्तुस्थिति से परे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जागीरदार केवल राजपूत ही नहीं अन्य कौम के भी हैं। आज जो राजपूत जाति के हिमायती यह कह रहे हैं कि यह राजपूत की समस्या है क्या वे उस स्थिति को भूल गये जिस समय आपही के द्वारा आपके जाति के लोगों का शोषण किया जाता था आम राजपूत जब किसान था वह किस प्रकार जागीरदार के सामने बेगार करता था उनके लड़कों की शादी में बेगारी की तरह काम करता था। आज वे ही माननीय सदस्य यह मानते हैं कि भूस्वामियों को बेरोजगार किया जा रहा है। आज बेचारे भूस्वामी आन्दोलन के नाम पर उन भोले भाले बेचारे राजपूतों को बहकाकर वे उन पर फिर हावी होना चाहते हैं। आम राजपूत का आर्थिक जीवन जैसा एक किसान का जीवन है वैसा है आज वे सुखी हैं वे जीवन में अब कुछ रिलीफ अनुभव कर रहे हैं आज उनके लिये सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं, उनके लिये आवागमन के साधन सड़कें आदि बन रही हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिये पाठशालायें खुल रही है आज आम किसान वर्ग के लिये सरकार प्रयत्न कर रही है कि उसका आर्थिक जीवन ऊपर उठे वह समाज में अपना स्थान ग्रहण करे इस तरह से आम राजपूत सुखी है वह सोचता है कि वह जमाना बीत गया जब कि उसे एक गुलाम की तरह एक जागीरदार की गुलामी करनी पड़ती थी फिर भी पेट भर भोजन नहीं मिलता था और बेगार करनी पड़ती थी। आज आम राजपूत के सामने प्रशस्त मार्ग खुला है उसकी तरक्की के लिये रास्ता खुला है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां भी हजारों की संख्या में राजपूत किसान हैं वे आज इन नये कानूनों की वजह से और खेती के साधनों की वजह से बहुत खुश हैं लेकिन इतना होते हुए भी जाति के नाम पर लोग उनकी भावना को प्रोत्साहित करते हैं और उनमें जातीयता की भावना उत्पन्न करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं जहांतक यह समस्या है सरकार की ओर से ठीक ढंग से सुलझ रही है इसमें भारत के बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया और जो कुछ अवार्ड उन्होंने दिया उसी के अनुसार यह कार्य हुआ अब मैं नहीं मानता कि कौनसी समस्या बाकी रह जाती है। एक मनोवैज्ञानिक कारण है जिसके कारण इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न किया गया है इस सम्बन्ध में मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार कितना ही झुक जाय फिर भी उन की मनोवैज्ञानिक धारणा, कि उनकी जागीरें समाप्त न हों किसी प्रकार भी वापिस होने वाली नहीं है। चाहे आप गोलमेज कान्फ्रेंस बुलायें चाहे और कोई कार्यवाही करें उनका जो मनोवैज्ञानिक असर है वह कभी दूर नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उनसे निवेदन करना चाहता हूँ वे इस तरह से जो राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं न करें। आज जिस ढंग की परिस्थिति देश की राजनैतिक आर्थिक व सामाजिक चल रही है उसको उसी प्रकार कायम रखने में मददगार हों।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, इस पर हम भी बोलना चाहेंगे। अभी नहीं तो शाम को ४ से ८ तक और समय रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष—No. जितनी भी पार्टीज़ थीं उनके लीडर और उनके सदस्यों को बोलने का मौका दे दिया गया और वे अपने विचार व्यक्त कर चुके, अब मैं आवश्यक नहीं समझता कि हर एक माननीय सदस्य को इस पर बोलना ही चाहिये।

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री मोहनलाल सुखाड़िया।

श्री श्रीदास गोयल—डेमोक्रेसी में लीडर की भी अलग अलग परिभाषायें रखी हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष महोदय,............

श्री वेदपाल त्यागी—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इसमें एक नई बात मुझे कहनी है।

श्री अध्यक्ष—कोई पोइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस प्रस्ताव से नई समस्या सामने आई है। ऐसी बात नहीं है। इस बारे में राजप्रमुख के भाषण के बहस के दौरान में तथा बजट के दौरान और और मौकों पर बहस काफी हो चुकी है।

इस प्रस्ताव में यह मांग की गई है कि भूस्वामी समस्या पर विचार करने के लिये एक गोलमेज कान्फ्रेन्स बुलाई जावे। मैं नहीं समझ पाया कि उस कान्फ्रेन्स के बुलाने के लिए और उसके अन्दर पूरी तौर से विश्वास रखकर चलने के बारे में भूस्वामी संघ की तरफ से कोई उनके पास इस प्रकार का आश्वासन है कि जो कान्फ्रेन्स हम बुलाने की बात कहते हैं उसका कोई सक्रिय परिणाम हो सकता है।

यह बात मैंने वैसे ही कही। दूसरी बात यह है कि ऐसे मसलों पर सदन के सभी लोग बैठकर एक साथ विचार करें उसमें ही समस्या हल हो जावे तो यह आसान बात नहीं होती है। वैसे जो सारी बहस यहां पर हुई उसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मैं कुछ ज्यादा कहूँ तो यह वाजिब नहीं होगा।

सदन में भी यह चर्चा सामने आई है और मैं समझता हूं कि सभी लोग इसको जानते हैं कि भूस्वामी संघ और राजस्थान सरकार के बीच में कुछ बातचीत चल रही है। जब बातचीत चलती है तो उस दौरान में हो सकता है कि कोई बात यहां पर कही जावे उसका असर उस

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

बातचीत पर विपरीत पड़े । इस सदन में पहले भी और आज भी इस समस्या को हल करने के लिये कहा गया । और मैं समझता हूं कि बहुत से व्यक्तियों ने इस बात पर अपनी सहानुभूति प्रकट की कि इस समस्या का हल किया जाना चाहिये । मैं इसके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस स्टेज पर हम लोग अपनी तरफ से यह प्रयत्न करना चाहते हैं और यह आशा भी करके चलते हैं कि जो बातचीत शुरू हुई है उसके परिणाम शुभ आवें । अगर शुभ आते हैं तो सब के लिये अच्छा है ।

कई बार यह कहा जाता है कि राजस्थान सरकार और हमारे जैसे एक मित्र ने कहा कि वर्तमान सरकार, वर्तमान सरकार में फिर आगे बढ़े तो मैं व्यक्तिगत तौर पर, जैसे हम राजपूत विरोधी हों, उस भावना से सारे काम किये जा रहे हों, उन सारी बातों पर जोर दिया जाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उससे हम प्रश्न को हल करने में मदद नहीं देते, बल्कि प्रश्न को उलझाने का प्रयत्न करते हैं ।

आज यह कहा जा सकता है, कहने के लिये कि हम लोग क्योंकि राजपूत विरोधी हैं इस लिये ऐसा कर रहे हैं । पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले ही नहीं, आज भी इस राजस्थान के अन्दर शायद यह बात किसी से छिपी नहीं होगी कि महाराणा प्रताप की जयन्ती सबसे पहले मानने का कार्य अगर किसी ने किया है तो इस तरफ बैठने वाले लोगों ने किया है । (करतल ध्वनि) प्रताप का जीवन इतना उज्जवल और गौरवमय और प्रेरणादायक रहा पर इस पर ध्यान दूसरे लोगों का कम गया, ज्यादा ध्यान जिन लोगों ने दिया वे कांग्रेस वाले ही हैं, जिन्हें आज वे कहते हैं कि इस जाति के विरोधी हैं ।

दूसरी बात कहना चाहता हूं उस अतीत के इतिहास के बारे में । मैं इतिहास के उन पूर्व पृष्ठों की याद आपको दिलाना चाहता हूँ इतिहास के उन पन्नों को आप पलट कर देखें उस जाति के लिये कहा गया कि वे वहां से चितौड से हटे और इस वजह से हटे कि उनको आजादी पसन्द थी, उस पुराने इतिहास की ओर और चितौड के किले पर दुनिया की निगाहें खींचने के लिये. उन हजारों वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान की तरफ खींचने के लिये जो काम भी किसी ने किया तो इधर बैठने वालों ने किया । तो ऐसी बातों के रहते हुए यह कहा जाय कि कुरबानियों को कदर इस तरफ बैठने वालों को नहीं है और जो बड़ी चीजें इतिहास में हुई उनको एप्रीसियेट नहीं करते हैं ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये । मैं और कहता हूं कि यहां पर भी जब सवाई जयसिंह के बारे में कार्यवाही शुरु हुई तो इस तरफ के बैठने वाले लोगों ने इसी भावना से सहयोग दिया है । और उदाहरण मिल सकते हैं । पर कई बार सरकारी अफसरों को, दूसरे आदमियों को इस प्रकार लेने की कोशिश करते हैं कि जैसे किसी जाति विशेष के प्रति अन्याय करने की भावना से कोई काम व्यवस्थित तौर से किया जा रहा है । मैंने पहले भी कहा कि कोई किसी जाति का हो कोई राजपूत भी है तो उनमें भी हम कभी किसी बात के कारण अविश्वास को लेकर एक मिनिट के लिये भी नहीं चले हैं और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कि इतने प्रेशर के अन्दर भी जिस पुलिस में अधिक से अधिक राजपूत अफसर हैं उन्होंने बहुत ठीक तरह से काम किया है और उनकी वफादारी और काम के बारे में हम लोगों को गर्व है । हम लोगों ने इस प्रकार की बातों को मानकर किसी के भी बारे में, किसी भी कारण से, किसी भी अफसर को तबदील किया हो या इधर उधर किया हो ऐसा नहीं है जो जहाँ पर है उसको एप्रीसियेट करके और उस पर भरोसा करके चलते हैं। पर इसके बावजूद इस तरह की बातें करने से वातावरण सुलझता नहीं । मुझे आश्चर्य और हुआ जब सदस्यों को मालूम था कि इस वक्त हम डेलीकेट सेचुएशन से पास हो रहे हैं, मैं उस मौके पर उम्मीद करके चल रहा था कि वातावरण को दूषित करने की बात से बचा जायगा और कन्स्ट्रक्टिव वाली बातें करेंगे पर आश्चर्य हुआ कि बातें कुछ उल्टी की जा रही हैं। जिनके दिलों में है कि कन्स्ट्रक्टिव वाली बातें करनी हैं तो या तो वे चाह रहे हैं कि जो बातें हों वे इस दृष्टि से हों जो वे मानते हैं या नहीं तो बात खतम हो जाय । मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिनमें कुछ व्यक्ति इन्टेरेस्टेड हैं कि यह बात असफल हो और झगड़ा चलता रहे, जिनको वातावरण बिगाड़ने का मौका मिल रहा है उनको ज्यादा मौका मिलता रहे। यह कहता हूँ तो इससे मेरा तात्पर्य भू-स्वामी संघ के मेम्बरों से नहीं है पर उनके अलावा कुछ आदमी दूसरे हैं जो इस तरह चाहते हैं। उन्होंने अलग २ मौकों पर प्रयत्न किया है और इस सदन में भी उनके ये प्रयत्न सामने आये हैं। पर मैं कह दूं कि इससे हम समस्या हल कर सकते हैं यह बात नहीं है। समस्या को हल करने का तरीका यह नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह समस्या महत्वपूर्ण है। एक सामाजिक व्यवस्था जब बदलती है तो उसका कुछ असर होता है और जब वे असर पैदा होते हैं तो इसका हल करने के बारे में भी गम्भीरतापूर्वक अवश्य विचार किया जाना चाहिये और आज के दिन हम इसी भावना को लेकर चलते है कि अगर कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी समस्या है कि जिस पर विचार किया जाना चाहिये तो उस पर जरूर विचार किया जावेगा और हल किया जा सकता है तो हल भी किया जावेगा। कोई भी चीज दुनियां के अन्दर आखिर शाश्वत नहीं होती। कुछ घटनाओं के दबाव से बातें सामने आती हैं और उनके प्रति मनुष्य को हमेशा एक खुले दिमाग से सोच कर चलना चाहिये और हमें इस समस्या को भी खुले दिमाग से सोचना है। हम इस दृष्टि से नहीं सोचते कि अमुक जाति या व्यक्ति की यह समस्या है। बजाय इसके यह एक आर्थिक समस्या है। किस प्रकार की यह समस्या है, कैसे हल की जा सकती है, कैसे उस पर आगे बढ सकते हैं इन चीजों पर विचार किया जाय और मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसको अगर दोनों पक्ष चाहते हों कि हल किया जाय तो हल न हो। हल हरेक का है बशर्ते कि इरादा दोनों तरफ से यह हो कि आपसी बातचीत के जरिये सहानुभूति के साथ अच्छे वातावरण में हल करना है। आवश्यकता इस बात की थी कि हम अच्छा वातावरण बनाने का प्रयत्न करें। मैं समझता हूं कि अच्छा वातावरण बनता है तो असर होता है। हम यहां पर वातावरण में भावनाओं को उत्तेजित करने की बात करते हैं तो मैं उत्तेजित होकर नहीं बढ़ने वाला कि कुछ व्यक्ति सदन में खड़े होकर

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

बोलें और चाहें कि मैं भी उत्तेजना में आ जाऊं। आप कह सकते हैं पर मैं अपनी बात को समझता हूं उस हद्द तक अपनी बात कहना चाहूंगा।

मैं निवेदन करूंगा आपसे कि बहुत सों ने यह कहा, बहुत सों ने तो नहीं लेकिन कुछ भाइयों ने, कि जागीर डिपार्टमेंट इस प्रकार का बनाया गया है कि जो जागीरदारों को समाप्त करने में विश्वास करता है। मेरा ख्याल यह है कि बहुत से जागीरदारों से मुझे भी ऐसी बातचीत करने का मौका मिला उन्होंने मुझे ऐसी बातें नहीं कहीं। लेकिन एक माननीय सदस्य इस बात को हमेशा दोहराते हैं इसलिए मुझ पर उसका ज्यादा असर इसलिए नहीं होता है कि यह उनकी स्ट्रेटेजी आफ पार्ट है और उसके पार्ट को वे दोहराया करें उससे ज्यादा उस चीज़ का असर होता नहीं है। और जो जागीर कमिश्नर हैं वहां पर मैं व्यक्तियों में नहीं पड़ना चाहता लेकिन कहना पड़ता है, उनकी तो परम्परा चली आ रही है जागीरदारों के साथ में उनका सम्बन्ध रहा है। वे अच्छी तरह से जागीरों की समस्याओं को जानते हैं, और जो जागीरदारों के विरुद्ध मनोवृत्ति की बात कही है उन पर उस वृत्ति से चलने का प्रश्न ही नहीं आता है।

आज बोन्ड के बारे में कहा गया। तो बोन्ड्स का प्रोसीजर कितना लेंग्दी था। रिजर्व बैंक से बात करना पड़ती है, यू. पी. में किस प्रकार से इशू किये गये हैं उसको जानने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की फाइनेन्स मिनिस्ट्री से बात करने की आवश्यकता है हम उन सारे फेजेज को पूरा करके फाइनल स्टेज पर पहुँच चुके हैं। बोन्ड्स प्रिन्ट करने के लिए दिये जा चुके हैं। उन चीजों में समय लगता है तो समय लगने के अन्दर समाप्त करने की या बरबाद करने की भावना नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा हो कि वे समझें कि हमारी दिक्कतें क्या हैं। किस वजह से देर लगी ?

मैं, अध्यक्ष महोदय, और निवेदन करूंगा एक फेक्टर जो कि कई बार हमारी निगाह में नहीं आती है वह हमारे सोचने जैसी बात है। जागीर रिजम्पशन बिल जब से पास हुआ उसके बाद से गवर्नमेंट का रिट एप्लीकेशन में बहुत समय लगा। बराबर रिट एप्लीकेशन्स चलती रहीं। इस फेज के बाद एजीटेशन का फेज शुरू हुआ। इस एजीटेशन के फेज के अन्दर लोगों ने इन्टेरिम क्लेम्स नहीं भेजे, दरख्वास्तें भरकर नहीं भेजीं। जिन लोगों ने अपने क्लेम्स नहीं भेजे हैं उन लोगों के लिए सरकार के पास यह मुश्किल चीज है कि क्या कार्यवाही करें बिल भेजने के अन्दर। जमुआ रामगढ़ से आये हुए हमारे माननीय मित्र ने यह कहा कि उनको जागीर कमिश्नर ने लिखकर नहीं भेजा जो कि दूसरों को लिखकर भेजा है कि आप अपने इन्टेरिम कम्पेन्सेशन के क्लेम का फॉर्म भर कर भेजो। आपने फॉर्म भरकर नहीं भेजा इसलिए मुझे मालुम है। कुछ लिख कर नहीं भेजना चाहते हैं और फिर आप यह कहते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लेम्स फॉर्म नहीं भरकर भेजते हैं, इन्टेरिम कम्पेन्सेशन के लिए लिखकर नहीं भेजते हैं

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

तो यदि कोई समझता नहीं हो तो उसको हेल्प कर दें, लेकिन असेम्बली के एक माननीय सदस्य जो कि इसके पूरे इम्प्लीकेशन्स को समझते हैं उनके लिए यह सवाल नहीं आ सकता है कि फार्म भरने के लिए, समझाने के लिए जांय तो फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति हुई है।

खुदकाश्त के लिए मैं नहीं कह सकता कि जो बातें कही गई हैं उन बातों को और हमारे पास में जो प्रार्थना पत्र आये हैं अब तक खुदकाश्त के लिए उनके बीच में क्या सत्य है और क्या नहीं। खुदकाश्त की दरख्वास्तों के लिए राजस्थान भर के लिये यह कहा गया था कि अमुक तारीख तक खुदकाश्त के लिए दरख्वास्तें देदें। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि खुद काश्त की कुल दरख्वास्तें, अध्यक्ष महोदय, जो कि सरकार के सामने आई हैं उनकी तादाद ७ हजार के करीब होती है। ७ हजार की तादाद में से करीब करीब ४०, ५० प्रतिशत एप्लीकेशन्स, सारी की सारी मैं नहीं कह रहा हूं, कैंसल हो गईं, लेकिन जितनी कैंसल हुई हैं उनमें ४०,५० प्रतिशत बोगस पाई गई हैं। बोगस का मतलब यह है कि जमीन होते हुए भी खुदकाश्त के लिए एप्लाई किया गया और दूसरे किसी के नाम से खुदकाश्त के लिए एप्लाई किया गया है इस तरह से जो एप्लीकेशन्स आई थीं उनको तदाद ५ हजार हमारे सामने थीं। और ५ हजार एप्लीकेशन्स के बारे में ही विचार करके गवर्नमेंट चलती थी। हमने कहा कि ज्यादा एप्लीकेशन्स होती तो ज्यादा अन्दाज हो सकता था कि समस्या कितनी बड़ी है। ५ हजार की बात हमारे सामने आई है तो मालूम हुआ है कि जहां ३० लाख का सवाल है वहां एप्लीकेशन्स ५ हजार हैं तो तथ्य क्या है? यह हो सकता है, आज ज्यादा इस बात में नहीं जाना चाहता, कि उसमें भी तथ्य नहीं हो। कुछ आदमियों ने जैसे कि कुछ इन्टेरिम क्लेम्स नहीं भरे, इन्टेरिम कम्पेन्सेशन के फार्म नहीं भरे, शायद दरख्वास्तें भी नहीं दी हों। इस वजह से दरख्वास्तों में कमी हो। लेकिन फिर भी इन्टेरिम कम्पेन्सेशन क्लेम्स की तादाद ज्यादा हो सकती है उसी प्रकार से ज्यादा तादाद का अन्दाजा भी हो सकता है। लेकिन यह समस्या ऐसी नहीं है कि जिस समस्या का हल नहीं किया जा सकता है। इसका हल किया जा सकता है। जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों पर विचार किया जा सकता है, और मैं समझता हूँ कि हल इसी प्रकार से निकल सकता है कि जिस हल से इस सदन में बैठने वाले सभी सदस्यों को संतोष हो सकता है। यह कतई मुश्किल समस्या नहीं है कि जिसके बारे में विचार करके हल नहीं किया जा सकता हो। जो बात चीत चल रही है उससे आशा करनी चाहिए कि कोई ठीक परिणाम निकल सकेगा। जो परिणाम निकल जाय और बातचीत पूर्ण हो जाय उस समय इस समस्या पर यह ज्यादा बेहतर होगा उसके ऊपर विचार करने के लिए ज्यादा गुंजायश हो सकती है। जब यह रिजोल्यूशन आज आगया है तो उसमें उस हद तक विचार करने की आवश्यकता हो जाती है। और इसी खयाल से उसको बातचीत के लिए रहने दिया कि इस से यह लाभ है कि असेम्बली में जो चर्चा होती है उस से अन्दाज होता विचारधारा का, और विचारधाराओं के अन्दाज से आगे बातचीत करने में शायद दोनों को कुछ मार्गदर्शन मिले। उससे लाभ है जो बात यहां पर सामने आती है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

सरविसेज के बारे में ऐसा कहा गया है कि दो लाख के ऊपर आदमी सरविसेज के अन्दर जागीरदारों के यहां पर थे। मैं नहीं समझ पाया कि यह हिसाब कैसे लगाया गया है। एक तरफ तो यह हिसाब लगाया गया है २० परसेन्ट के हिसाब से करीब ८० लाख रूपये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज में खर्च होता था। २,२६,००० आदमी सरविसेज के अंदर थे तो उस हिसाब से हरएक को करीब करीब साल के ३० या ४० रू० मिलते होंगे। क्योंकि २,२६,००० आदमियों पर ८० लाख रूपये का खर्चा था। तो जहां एक व्यक्ति को एक साल में ३० या ४० रूपये मिलते हों यानी ३०,४० रु० का एवरेज फी व्यक्ति का है तो इस तरह से २, २६,००० आदमियों के सरविस में होने की तादाद को बहुत बड़ा बनाकर वे उन सरविसेज को महत्व दे सकते हैं कि इतने लोग उनके यहां जीविका प्राप्त करते हैं। ३५, ४० रुपये साल के हिसाब से महीने का एवरेज २ या ३ रुपये आता है तो उस वक्त शायद उनको वहां वैसा ही दिया जाता होगा तो सम्भवतः परमानेन्ट सरविस में नहीं होंगे।

हमने इसके लिए प्रार्थनापत्र मांगे तो करीब १२०० के आसपास प्रार्थनापत्र सरकार के पास आये। उनमें से ६०० के आसपास सरविसेज में रखे गये। नहीं रखे गये हों ऐसी बात नहीं है। कई व्यक्ति होल टाइम नहीं थे। कई व्यक्ति कोई योग्यता नहीं रखते थे। कुछ की आवश्यक जानकारी कि वे सरविसेज में थे या नहीं यह चीज उनके रेकार्ड से साबित नहीं हो पाई। तो इन सारे फेक्टर्स को मिलाने के बाद करीब ५० प्रतिशत आदमी गवर्नमेंट सरविसेज के अन्दर लिये गये हैं। यह मैं आपकी जानकारी के लिए कह सकता हूँ। सरविसेज में नहीं लेने की नीति इस मामले में काम में ली गई है इस प्रकार की नीति सरकार को नहीं रही है।

दूसरी बात पेन्शन के लिए कही गई। कुछ ठिकानों में पेन्शनें थी। मैं समझता हूं माननीय सदस्य जानते हैं कि जिन रियासतों में पेन्शनें थी तो उसके लिए रूल्स थे कि किन रूल्स के मुताबिक पेन्शनें दी जा सकती हैं और उसमें जो अब तक डिपार्टमेंट के पास में ऐसे केसेज आये हैं उनकी ३०६ कुल तादाद है। जिनमें से २४७ फैसल कर दिये गये हैं। तो पेन्शन केसेज में कुछ नहीं किया जा रहा है यह बात भी नहीं है। ३०६ केसेज में से २४७ केसेज जो कि पेन्शन्स के थे उन पर निर्णय दिया जा चुका है तो मैं समझता हूं कि उससे अन्दाज हो सकता है कि कोई यह पालिसी लेकर चल रहा है कि विचार नहीं किया जाय, किसी को पेन्शन नहीं दी जाय ऐसी बात नहीं है। फेक्टस को एक्युमुलेट करने में देरी लग सकती है, क्योंकि जो प्रोसीजर है, मैं समझता हू. उससे सदन अपेक्षा करेगा कि कई केसेज में दिक्कतें चलती रहती हैं। पेन्शनर है तो पेन्शन के लिए दरख्वास्त हो तो वह पेन्शन के लिए हकदार है या नहीं। वहां के सरविस रूल्स के मुताबिक वह पेन्शन के हकदार हैं तो पेन्शन कन्ट्रीब्यूशन पहले ठिकाने में जमा होता रहा है या नहीं। यह सारे फैक्टर्स हैं कि जिनकी जांच करनी होगी। उन फैक्टर्स के प्रतिकूल एप्लीकेशन आने पर डिसिजन नहीं हो सकता है। इन सारे प्रोसीजर की वजह से काम के अन्दर देरी लग सकती है। तो जो

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

पेन्शन ऑफ सरविसेज के बारे में कहा गया है उनके लिए मैं संक्षेप आपके के सामने इस बात को निवेदन करूंगा कि जिससे कि मैं समझता हूं यह स्थिति स्पष्ट हो सके।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राजप्रमुख बातचीत के बीच मे आते हैं उसके बारे में भी कुछ माननीय सदस्यों ने यह एतराज उठाया कि वे इस बातचीत के अन्दर क्यों है, नहीं होने चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि यह बात मैं समझता हूं स्पष्ट होगी शायद पत्रों में भी यह बात आयी या नहीं आयी मुझे पता नहीं है, कि वहां पर श्रीमान् राजप्रमुख कोई बात-चीत करते हैं तो वे सारे नेगोशिएशन्स एज ए हैड आफ दी स्टेट की तरह नहीं कर रहे हैं। अगर इस समस्या का हल हो सकता है तो इसकी बीच म कोशिश करके शुरुआत की थी और इस तरह की शुरुआत करके उसको हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें इस बहस में पड़कर कुछ बड़ी बातों का हल हो सकता है तो उसको उलझाना नहीं चाहिए। वे भी इस समस्या का हल चाहते हैं, इधर बैठे हुए हैं वे भी चाहते हैं, उधर बैठे हुए हैं वे भी चाहते हैं। इस समस्या के हल में उनकी बात आने से कोई एतराज हो वह बात मेरी समझ में कम आयी।

दूसरी बात एक माननीय सदस्य जो इस बात का काफी जोर दिया करते है कि गम्भीर समस्या है, हल होना आवश्यक है। पंतजी, पंडितजी की चर्चा अखबारों में आती है और मान लें कि वह ठीक है लेकिन इस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य यदि इसकी चर्चा करते है....

श्री द्वारकादास पुरोहित— मैंने केबिनेट डिस्कशन का जिक्र किया था।

श्री मोहनलाल सुखाडिया— किसकी चर्चा की हो....

श्री द्वारकादास पुरोहित— वह कौनसा तरीका है यह।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (अपना भाषण जारी रखते हुए)— जिस समाचार पत्र के आधार पर जो उन्होंने ये बातें कहीं, उस प्रकार की चर्चा में भी पडना उचित नहीं जंचा मुझे कि इधर के माननीय सदस्य किसी चर्चा में पड़ते। मैं इस ओर विस्तार में नहीं जाना चाहता।

एक माननीय सदस्य ने चित्तौड़ के बारे में कहा। बूंदी के बारे में भी एक माननीय सदस्य ने कहा। एक ने कहा कि मेरे रिश्तेदारों ने जमीन ले ली है। दूसरे ने कहा कि मिनिस्टर के रिश्तेदार ने ले ली है। मैं अपनी तरफ से बात कह दूं कि मेरी तो वहां जमीन नहीं है। मेरे रिश्तेदार के पास है तो मैं मेरे रिश्तेदार से कह दूंगा कि आप वहां भूस्वामियों को।

(राज्य पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

बसा दे, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन क्या इससे समस्या हल हो जायगी।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

दर असल जिस लाइट में यह बात कहनी चाहिए थी उस रूप में नहीं कही गई है। मैं अर्ज कर दूं कि बूंदी में भूस्वामियों के पास जमीन न हो ऐसी समस्या को, चित्तौड़ के अन्दर भूस्वामियों को जमीन न मिली हो, उनको जल्दी से जल्दी हल किया जा सकता है। चित्तौड़ डिविजन में पहले से ही सिस्टम चला आता है कि लोग बागों के पास हवाला के नाम से जमीने रहती हैं। यह आम तौर पर आपको उदयपुर डिविजन में मिलेगी। यह कोटा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, आम तौर पर हवाला के नाम से रखते हैं, यह आपको ज्यादातर मिलेगा। फिर भी किसी के पास न हो, अब जो दरख्वास्तें आयी हैं मैं निवेदन करूं कि, बूंदी के अन्दर ६ दरख्वास्तें खुदकाश्त कमिश्नर के पास आई जिसमें खुदकाश्त की डिमान्ड की है। दूसरा अर्ज करूं कि खुदकाश्त की उदयपुर डिविजन में जो दरख्वास्तें आयीं वे ६५ हैं और चित्तौड़ जिले में २७। तो उनसे हम एक अन्दाजा लगा सकते हैं कि जिस बात को इतना जोर से कहना चाहते हैं उसके पहले दरअसल हजारों आदमियों की समस्या है, एक एक आरग्यूमेन्ट को अगर हजारों आदमियों के साथ जोड़ दिया जाय तो वह कितना जुड़ा हुआ मालूम होगा, इस तरह से जोड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि भाखरा में उनको इसलिये भेजा जा रहा है कि वे वहां माइनोरिटी में पड़ जांय। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पाया कि किसकी माइनोरिटी में पटकने की बात आती है। यह मुझे सुनकर आश्चर्य होता है। माइनोरिटी में पटकने का किसी पर जोर नहीं दिया जा रहा है कि वे वहां जांय, जावें या न जावें यह उनकी इच्छा पर निर्भर है। यह व्यवस्था की गई है कि, यह ओप्शन है कोई कम्पलशन नहीं है कि कोई वहां जाय ही। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह निश्चित तौर पर मान कर चलें कि किसी जिले में कहीं पर जमीन है, खुदकाश्त के लिये कोई जमीन चाहते हैं, किसी के पास जमीन नहीं है, यह विश्वास रख कर चलें, अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आप के द्वारा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां के भू-स्वामी होंगे, वे जमीन वाले होंगे यह उनको दिलायी जायगी, कोई बात नहीं होता कि नहीं दें। लेकिन कोई पसन्द करता है या नहीं यह भी जाने दीजिये, आप कहते हैं कि जाने दीजिये सैंकड़ों आदमी मिल सकते हैं यदि यह कहा जाय कि भाखरा के अन्दर २६ एकड़ दो फसली की सिंचाई का ऐसा एरिया दिया जा रहा है जिस एरीया को, हिन्दुस्तान भर में फार्म बनाने का रसियन टैक्टर से सवाल आया, राजस्थान की जमीन सिलेक्ट की गई, इतने महत्व के एरिये में जमीन देते हैं तो इस भावना को समझा जाय कि माइनोरिटी में डालने का तो सवाल ही नहीं आता है, जब इस प्रकार सोचते हैं तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि पोलिटिकल ब्रेन ही वहां काम करता है। वहां तो मेजोरिटी और माइनोरिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसको कहने के बीच भावना क्या हो सकती है यह अन्दाज लगाया जा सकता है। अगर यही बात सोच कर चलें कि माइनोरिटी में डाल दिया जाय इसलिए भेज रहे हैं तो कोई कह सकता है कि हम तो यहां मेजोरिटी में हैं हमको क्यों माइनोरिटी में किया जा रहा है, हमारी मेजोरिटी में फर्क आ जायगा इसलिए मत भेजो। इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिये। जहां कहीं जमीन अवेलेबल हो और कोई तरीका निकाल सकते हों, जमीन के लिये निर्णय कर सकते हैं कि इस तरह से हल हो उस तरह से हल हो, उस तरह से कर सकते हैं। किसी को जमीन न दी जाय यह मेरे दिमाग में बात नहीं है।

श्री मानसिंह महार—मन्दिर के बारे में कोई जवाब नहीं आया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मन्दिर ?

श्री मानसिंह महार— जागीरों के जो मन्दिर हैं उनके बारे में कोई जवाब नहीं आया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझ नहीं पाया, अध्यक्ष महोदय, इसलिए बिना समझे हुए इसका कोई जवाब दूं तो वह उचित नहीं होगा।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—समझने का मौका अब नहीं मिलेगा।

श्रीमानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, उसका तो कुछ जवाब मिले, टेम्पल्स के बारे में ?

श्री अध्यक्ष—Order Please ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—डैट कन्सीलियेशन बिल के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम खुद ड्राफ्ट कर रहे हैं, कई स्टेट्स में ऐसा बिल आ गया है और मैं समझता हूं कि हमारे यहां भी वह सदन में जल्दी ही आयगा जिससे कि डैट के बारे में सहूलियत मिल सके।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं और ज्यादा विस्तार में न जाकर फिर से दोहराना चाहूंगा और सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या को हल करने के बारे में किस प्रकार से दूसरे चिन्तित हैं, सरकार भी, इस समस्या को हम बातचीत के जरिये, कान्स्टीट्यूशनल तरीके से हल करना चाहते हैं। इसके लिये आम तौर से प्रयत्न करना चाहिये और वह प्रयत्न हम कर भी रहे हैं आगे भी करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर मान लीजिये कि इस जागीर रिजम्पशन एक्ट को पास करने से कोई बात हुई है तो उन पर बैठ कर विचार किया जाय और विचार करने के बाद जितना इस समस्या के बारे में हल निकाल सकते हैं हल निकालने की कोशिश की जाय। इसके बारे में कोई गलतफहमी का प्रश्न नहीं आता।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि पिछली दफा बातचीत हुई और मैंने जवाब दिया इसलिए बातचीत भंग हुई। मैं उस चर्चा में पड़ना नहीं चाहूंगा और पडूंगा तो मैं समझता हूं कि फिर एक बहस का सवाल पैदा हो जायगा। इस चर्चा में गये बिना जो भावना मैंने आपके सामने रखी है उसको समझते हुए जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है उसको स्वयं वे वापिस ले लेंगे और इसके ऊपर और बहस मुबाहसा में पड़े बिना जो वातावरण बना। एक प्रयत्न किया जा रहा है, हम कोई हल ठीक निकाल लेंगे उस मौके पर किसी चीज़ को लाकर कोई बात पैदा करेंगे तो यह वाजिब नहीं होगा।

(राज्य पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री भैंरू सिंह (दांता-रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष—Very briefly within five-six minutes.

श्री भैंरू सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सदन में आज भूस्वामियों की कोई समस्या है, इसका हल निकाला जाना निहायत जरूरी है, इस बात को मान्यता प्राप्त हुई है। अध्यक्ष महोदय, आज से पहले कई बार इस बात की चेष्टा की गई थी कि भूस्वामियों की समस्या हल करने के लिये सरकार इस प्रकार का वातावरण बनावे जिससे कि कोई हल निकल सके, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी इसमें सफलता नहीं मिली। आन्दोलन करने से ही सही या यह न कहें कि इस सदन में उत्तेजनात्मक वातावरण बना इस कारण से ही सही लेकिन........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I think you would not mind if I say a line more. यदि मैं थोड़ा और कह दूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे। एक प्रश्न और था जिसमें गलतफहमी मालूम होती है उसको मैं साफ कर देना जरूरी समझता हूँ। सोल्जर्स, आर्मी पर्सनल्स के बारे में एक बात कही गई थी कि वे जब आर्मी में गये तब अपनी जमीनें दूसरों को देकर गये थे लेकिन वे भी बेदखल हो गये और उनकी जमीनें वापिस प्राप्त नहीं हुई। इस बारे में टेनेन्सी एक्ट सदन में पास किया गया है उस तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे सामने स्पष्ट है कि जहां खातेदारी राइट्स देने की बात १ वीं सेक्शन में रखी है कि खातेदारी राइट्स सब को प्राप्त होंगे सिवाय उनके जिनको सेक्शन ४६ में बरी किया गया है। सेक्शन ४६ की ओर ध्यान देते हैं तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया है—

"A person who is a member of the armed forces of the Union" ४६ सेक्शन में जो बात दी गई है उसके बाद जमीन वापिस लेने के लिये प्रोसिजर दिया गया है, वह दिया गया है सेक्शन १८० में। उसमें फिर इस बात का जिक्र किया गया है कि सेक्शन ४६ में जिनको जमीन प्राप्त करने का हक है वे इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं। इससे यह ख्याल कि आर्मी पर्सनल्स लीज़ पर या डेफिनेट ईयर्स के लिये जमीन देकर गये थे वे भी जमीन वापिस पाने से महरूम रह गये, सही नहीं है। इस प्रकार की धारा नहीं है।

श्री भैंरू सिंह (१६)—तो मैं निवेदन कर रहा था कि मुझे इस बात का पूर्ण सन्तोष है कि आज सदन में भूस्वामियों की समस्या को सुलझाने के लिये मुख्य मन्त्री जी ने एक प्रकार का आश्वासन दिया है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जिनके कारण से यह परिस्थिति बनी लेकिन उत्तर में जिन विशेष बातों की ओर संकेत किया गया है उन बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उन सब में पहले मुख्य मन्त्री जी ने जो अभी अभी कहा उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि वे अब भी मुगालते में हैं जिसको दूर करना चाहता हूँ। टिनेन्सी एक्ट की धारा १६ का उल्लेख करते हुए उन्होंने फरमाया कि धारा ४६ का ख्याल रखते हुए किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिया जायगा। लेकिन टिनेन्सी एक्ट

[श्री भैंरू सिंह]

की धारा १६, ४६ और १८० में व्यवस्था है वह सबलेटिंग के बारे में है। खातेदारी अधिकार देते समय यदि कोई फौजी अपनी जमीन सबलेट करता है तो ये ये बातें हैं, यदि कोई फौजी, कोई विधवा, कोई माइनर या कोई स्टूडेन्ट यदि अपनी जमीन को ५ साल से ज्यादा समय के लिये सबलेट करते हैं तो उनको खातेदारी अधिकार नहीं मिलते हैं। मेरा प्रश्न यह नहीं था। मेरा प्रश्न यह था कि जिस समय मिलिटरी में लोग भरती हुए उस समय वे लोग अपनी खेती को छोड़ कर गये, लेकिन उनके वापिस लौटने पर वह जमीन उनको वह जमीन वापिस नहीं मिली। धारा १६ में तो इस समस्या को और भी जटिल बनाया है। उसमें उल्लेख है :

"At the commencement of this Act every tenant except a sud-. tenant or a tenant of khudkasht of a gair-khatedar tenant shall be entitled to have the khatedari right."

मैं यह मानता हूँ जिस धारा में इस बात का उल्लेख है वह स्पष्ट है कि चाहे यह जमीन किसी फौजी की हो, किसी नाबालिक की हो, या यह जमीन चाहे किसी विधवा की हो या किसी अपाहिज की हो, उसमें १५ अक्टूबर, सन् १६५५ को जो एक दिन के लिये या १ महीने के लिये भी काश्तकार इस जमीन पर था उसको खातेदारी अधिकार मिल चुका। उसके बाद यह दलील एक प्रकार की लेचर दलील है। यह जागीर का नहीं यह खुदकाश्त का सवाल है। मुख्य मंत्रीजी ने फिगर्स बताये कि ७००० की जोड़ बताई उसमें से ५० प्रतिशत जागीरदारों की एप्लीकेशन्स आई। उनके ख्याल से सरकारी आंकड़ों से यह बताया जाता है कि ३५०० आदमियों ने दरख्वास्तें दी हैं। यह भी कहा जाता है कि जागीरदारों ने कम्पेन्सेशन के फार्म्स नहीं दिये, यह भी कहा जाता है कि जागीर एम्पोइज़ ने दरख्वास्तें समय पर नहीं पेश की। यह भी जरा सोचें कि दरख्वास्तें नहीं देने का कारण है ? खुद काश्त के लिये एप्लाई क्यों नहीं किया ? कम्पेन्सेशन के फार्म्स क्यों नहीं दिये ? जागीर एम्पलोईज़ ने दरख्वास्तें क्यों नहीं दीं ? इसका कारण यह है कि सभी लोगों की यह धारणा है कि हम दरख्वास्तें दें या नहीं दें। कानून का प्रोसीजर इतना जटिल है कि हम किसी प्रकार की रहत पा सकेंगे यह संभव नहीं है। इस कारण से एज एप्रोटेस्ट यह तय किया कि न तो खुद काश्त के लिये दरख्वास्त देंगे, न जागीर एम्पलोइज़ नौकरियों के लिये दरख्वास्तें देंगे और न कंपेन्सेशन के लिये दरख्वास्तें देंगे। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो अपनी जागीर देता है और बदले में कंपेन्सेशन की मांग नहीं करे, लेकिन वे लोग कहते हैं कि मांग करने से भी क्या मिल जायगा जितना मिलेगा उसका ५० परसेन्ट तो वकीलों और दूसरे लोगों को देने में ही खत्म हो जायगा, और परेशानी होगी वह अलग। इस कारण से उन लोगों ने एप्लीकेशन्स नहीं दी। अब यदि आप मन्जूर करते हो और इस कांप्लीकेटेड प्रोसीजर को आसान बनाने की इच्छा हो, तो इसको जितना आसान बनाया जा सके उतना आसान बनाया जाय ताकि लोग एप्लीकेशन दे सकें।

[श्री भैरुसिंह]

दूसरी बात यह थी कि मैंने २ लाख के फिगर्स बताये थे, जागीर रिजेम्पशन के कारण दो लाख आदमियों को बेकार होना पड़ा है। मैं अब भी उसी स्थिति में हूं। मैंने अलग अलग आंकड़े बताये थे। जागीर एम्पलोइज़ को लेकर २०,००० बताये, ऐसे लोग जिनके पास कतई जमीन नहीं हैं उनकी संख्या २०,०००, छोटे मोटे जागीरदार ७२,०००, दूसरे १०,००० और अन्य सब मिलाकर सब संख्या की जोड़ दो लाख पहुँचती है। जागीर रिजेम्पशन के कारण दो लाख लोगों पर असर पड़ा, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता।

मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि हम राजपूत विरोधी नहीं हैं। महाराजा सवाई जयसिंहजी और महाराणा प्रताप की जयन्ती हम आज भी मानते हैं और भी कई विश्व मूर्तियों की जयन्ती मनाते हैं। मैं समझता हूं यह कह कर मुख्य मंत्रीजी ने संकीर्णता का परिचय दिया। सवाई जयसिंहजी और महाराणा प्रताप को यदि केवल राजपूत समझते हैं तो यह संकीर्णता है। वे केवल राजपूत नहीं थे वे विश्व विख्यात मूर्तियां थीं इसलिये सब लोग इनका आदर करते हैं। इसलिये नहीं करते कि वे केवल राजपूत थे। इन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश और धर्म की रक्षा की इसलिये हम सब इनको पूजते हैं। ऐसी विश्व मूर्तियों के लिये आप संकीर्णता से नहीं सोचें और यह उदाहरण नहीं दें कि हम राजपूतों से द्वेष नहीं करते इसलिये उनकी जयन्ती मनाते हैं। यह संकीर्णता है। इससे बढ़कर संकीर्णता की द्योतक और क्या चीज सिद्ध होगी ?

मुख्य मन्त्रीजी ने त्याग के रूप में बताया कि यदि मेरे किसी रिश्तेदार को जमीन मिली है तो वे जमीन छोड़ने को तैयार हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस त्याग को और विशाल बनादें तो ज्यादा अच्छा हो। राजस्थान में जागीर रिजेम्पशन एक्ट पास हुआ उस समय से लेकर अब तक उन लोगों को जो काश्त नहीं करते थे उनमें से जिन जिन को जमीन मिली है उनके आंकड़े तैयार करें और उनको वह जमीन छोडने के लिये मजबूर करें और वह जमीन उन लोगों को दें जिनकी जागीरें गई हैं और बदले में जिनको काश्त के लिये जमीन नहीं मिली है तो उनका यह त्याग भूस्वामियों के लिये सहायक सिद्ध होगा।

अंत में यह निवेदन करूंगा कि यह कहा गया कि राजपूत जाति का शोषण है।

श्री अध्यक्ष—अब इसको खतम करिये।

श्री भैरूसिंह—मैं जल्दी ही खत्म करूंगा।

प्रस्ताव के बारे में यह कहा गया कि यह राजनैतिक शोषण है। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह किसी प्रकार का एक्सप्लोटेशन है। सरकारी पक्ष के जिम्मेदार व्यक्तियों ने भी कहा है कि सरकार भूस्वामियों की समस्या का ठीक हल नहीं निकाल सकी है। जब आपके दल

[श्री भैंरूंसिंह]

के लोग भी यह कहते हैं तो यह कहना कि पोलिटिकल या राजनैतिक एक्सप्लोइटेशन है, ठीक नहीं है। इस प्रकार का अर्थ निकालना अन्याय होगा। यदि आप यह भी सोचें कि यह राजनैतिक एक्सप्लोइटेशन हैं तो भी आप आर्थिक विषमता और आर्थिक पहलू को नहीं भुला सकते। राजनैतिक पहलू हैं लेकिन आर्थिक पहलू को, सामाजिक पहलू को तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से तो हल करना चाहिये।

जहां तक गोलमेज सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव है वह इस लिये वाजिब है जिस तरह कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी कहा, इस बहस से कुछ कन्स्ट्रक्टिव बातें मिली हैं, एक विचारधारा मिली है, इसी तरह की कन्स्ट्रक्टिव बातें, इसी तरह की विचारधाराएं गोलमेज सम्मेलन से आयेंगी बल्कि और भी अच्छी विचारधारा मिलेगी और इससे भी ज्यादा जरूरी इस तरह का गोलमेज सम्मेलन बुलाने का कारण यह है कि सब मिल कर जिस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं उस निष्कर्ष पर राजस्थान सरकार अकेली नही पहुँच सकती।

इस लिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि गोलमेज सम्मेलन बुलाने का जो मैंने प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार कराने में मेरी मदद करें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री भैंरूंसिंहजी ने रखा है, कि इस सदन की सम्मति है कि राजस्थान के भूस्वामियों के पुनर्वास सम्बन्धी समस्या पर विचार करने के हेतु सब दलों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाय; यह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

Now should we proceed further or adjourn!

अनेक माननीय सदस्य एक साथ—टाइम हो गया है, साहब।

रावत श्री शम्भूसिंह—मेरा यह प्रस्ताव ले लिया जाता साहब, यह बहुत महत्वपूर्ण है, आधा घंटा लगेगा।

श्री अध्यक्ष—अब नेक्स्ट प्राइवेट मेम्बर्स डे आयेगा तब... ....

रावत श्री शम्भूसिंह—यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है, साहब।

श्री अध्यक्ष—सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण होते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—प्राइवेट मेम्बर्स को बहुत कम समय मिलता है साहब, अधिक समय दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अब हम २४ को मिल रहे हैं न ?

Now we adjourn to meet again at 11 A. M. on the 24th April, 1954.

सदन की कार्यवाही मध्यान्ह १२. २ मिनिट पर दिनांक २४ अप्रेल, १९५६, मंगलवार, के ११ बजे प्रातः काल के लिये स्थगित हुई।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–१८ अप्रेल, ५६।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

Page No.85

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्न कर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये एवं जिन्हें प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

५४६. (२१। आर.एम.) श्री विश्वम्भरनाथ जोशी. एम. एल. ए. डिविजन नम्बर २१:—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला जयपुर में १९५२–५३–५४ व ५५ में क्रमशः कितनी रकम तकावी के रूप में बांटी गई है तथा उक्त रकम में से कितनी रकम बांदीकुई तहसील में वितरित की गई है ?

(ख) बांदीकुई तहसील में ट्रेक्टर अथवा अन्य कृषि संबंधित मशीनरी की खरीद के लिये सन् १९५२ से आज तक कितनी रकम तकावी के रूप में दी गई है यदि नहीं दी गई है तो, क्यों नहीं दी गई ?

(ग) क्या सरकार बांदीकुई तहसील के किसानों के लिये आगामी वर्षों में ट्रेक्टर आदि मशीनरी की खरीद के लिये तकावी के रूप मे दी जाने वाली सहायता के लिये समुचित रकम रखे जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

उत्तर

(क) जिला जयपुर में तकावी की रकम निम्न प्रकार से वितरित की गई

सन् १९५२ ५३	रु० ५९, ७१०
सन् १९५३ ५४	रु० ३,३२, ९५३
सन् १९५४ ५५	रु० ५,८८, ६७२

उक्त वर्षों में बांदीकुई तहसील में जो तकावी की रकम वितरित की गई वह इस प्रकार है :

९५३	रु० १४, ६००
१९५४	रु० ४, ६००
१९५५	रु० ६०००

(ख) बांदीकुई तहसील मे पम्पिग सैट्स के लिये सन् १९५२ में रु० २,२०० और सन् १९५३ में रू० १,५०० की रकम तकावी के रूप में दी गई।

(ग) कृषि सम्बन्धी मशीनें आदि खरीदने के लिये तकावी ऋण जिलेवार निर्धारित किया जाता है न कि तहसीलवार।

५५७. (६५। एच. एम.) श्री मोहम्मद अब्दुल हादी एम. एल. ए., डिविज़न नम्बर ७६ :—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

जालोर जिले में १–१–५५ से आज तक कितने कत्ल हुए व कितने डाके पड़े, कितने मुकद्दमों के मुलजिम गिरफ्तार किये गये और किन किन आदमियों की हत्या की गई ?

उत्तर

जिला जालौर में १. १. ५५ से २२. ३. ५६. तक १७ हत्या के तथा ७ डाके के मामले दर्ज हुए। इनमें से ३ हत्या के मामले झूठे निकले। १२ हत्या के तथा २ डाके के मुलजिम गिरफ्तार किये गये। निम्नलिखित व्यक्तियों को हत्या हुई :

१. भूरा भाट	२. हेमला जोगी
३. बामजी महेश्वरी	४. गोवा चौधरी
५. बाधूरा सिन्धी	६. महावट्ट राजपूत
७. कोलू मुसलमान	८. मोहनपुरी
६. वसन राजपूत	१०. बाली
११. श्रीमती राजो	१२ श्रीमती सोना धाखीन
१३. श्रीमती सूआ	१४. एक दिन का सुनार का बच्चा

१५. मोहम्मद हयात डाकुओं द्वारा मारे गये।

१६. गिरधारी महाजन डाकुओं द्वारा मारे गये।

५६०. (१। एस. एन. क्यू.) श्री शम्भूसिंह एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १३६:—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या चित्तौड़ जिले में भूस्वामी संघ का आन्दोलन चल रहा है ?

(ख) क्या यह सही है कि गंगरार जिला चित्तौड़ में भूस्वामी संघ के सत्याग्रहियों द्वारा प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया ? यदि हां, तो किस २ तारीख को ?

(ग) उपरोक्त पुलिस लाठी चार्ज में कितने भूस्वामियों के चोटं आई अब उनकी हालत कैसी है ?

(घ) गंगरार में कितने सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये हैं और वे किस जेल में हैं ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) जी हां। तारीख ८ तथा १७ फरवरी, १९५६ को पुलिस द्वारा लाटी चार्ज किया गया।

(ग) किसी के भी चोट नहीं आई।

(घ) गंगरार में ३ सत्याग्रह गिरफ्तार किये गये जो जिला जेल उदयपुर में हैं।

562. (2/SNQ) Shri R. Shambhu Singh, M. L. A., Division No.- 139 Will the Home Minister be pleased to state:--

(a) Is it true that some persons who are in Jail in connection with Bhoswami Sangh movement are on hunger strike? If so, what are their names, where have they been kept since when they are on hunger strike!

(b) What are their demands and the reasons for the hunger strike?

(c) what is their condition in Jail?

(d) What steps does the Government contemplate to take to meet their demands and to break their fasts?

(e) It true that the condition of some of them is serious and is the Government prepared to release them?

उत्तर

(क) हां दो व्यक्ति ऐसी हड़ताल पर हैं जो पूर्ण भूख हड़ताल नहीं कही जा सकती। इनमें से एक हैं श्री चैनसिंह जो केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में है। यह तारीख ११. २. ५६ से भूख हड़ताल पर हैं। दूसरे श्री बाघसिंह हैं जो महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में हैं, जिन्होंने ता० २४. ११ ५६ से १२. २. ५६ तक भूख हड़ताल की। ता० १४. २. ५६ से यह पुनः भूख हड़ताल पर हैं।

(ख) श्री चैनसिंह की भूख हड़ताल करने में यह मांग है कि सब भूस्वामी कैदियों को अच्छा खाना दिया जाना चाहिए। श्री बाघसिंह की यह मांग है कि सब भूस्वामी कैदियों को बी क्लास बन्दी माना जाय।

(ग) दोनों की हालत ठीक है।

(घ) इन दोनों को समझा बुझा कर भूख हड़ताल समाप्त करवाने के पूरे प्रयत्न किए गए किन्तु यह लोग अपनी मांगों पर ही अड़े हुए हैं जो सर्वथा अनुचित हैं। उचित मांगे स्वीकार करने को सरकार हर समय तैयार है।

(ङ) यह असत्य है। दोनों की हालत ठीक है। सरकार इनके माफी चाहने पर ही इनको मुक्त करने के विषय में विचार कर सकती है।

५६६. (१०३१ एम. एल. एम.) श्री कस्तूर चन्द एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ७२:—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा में ५४–५५ व ५५–५६ के वर्षों में मरीजों की औसत संख्या प्रति दिन कितनी रही है?

(ख) ५४–५५ में उक्त डिसपेन्सरी को कितने मूल्य की दवाइयां दी गई?

(ग) क्या ५५—५६ में जो दवाइयां दी गई हैं वो पर्याप्त हैं?

उत्तर

(क) तहसीलों में कितने रोगी होते हैं इसकी गणना संख्या करने का कोई प्रबन्ध नहीं है।

बनेडा स्थित डिसपेन्सरी की औसत संख्या इस प्रकार हैं

सन् १९५४, ५५ में १०४

सन् १९५५, ५६ में १०८

(ख) १४०० रुपया

(ग) जी हां।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ५४० का उत्तर देखिये)

QUALIFICATION OF THE OFFICERS OF THE DIRECTORATE OF PUBLIC RELATION

1.	Shri Rajendra Shanker Bhatt.	Inter (left studies when in B. Com. Allahabad University.)
2.	" Shrinath Chaturvedi.	B. A., LL. B.
3.	" C. V. Veeraragavan.	B. A. (Hons.)
4.	" Amar Nath Chanchal.	M. A., LL. B.
5.	" Ganeshilal Vyas.	...
6.	" Ambika Prasad Sharma.	B. A.
7.	" Ganesh Kewalia.	B. A., Visharad.
8.	" Gur Prasad Mathur.	M. A. LL. B.
9.	" Aidan Singh.	M. A.
10.	" Prahlad Chandra Joship.	Matriculate.
11.	" Sunder Mohan Swroop.	B. A., LL. B.
12.	" Y. A. Bora.	B. A., LL. B.
13.	" K. K. Dwivedi.	M. A.
14.	" S. N. Verma.	B. A.
15.	" Fatehlal Pandit.	Matriculate.
16.	" Kesrimal Purohit. (Senior Photographer)	Knows simple English and Hindi.

Page No.90

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ५५२ का उत्तर देखिये)

(क) सूची

बीकानेर डिवीजन

राज्य सरकार के खिलाफ दायर हुए मुकदमों का विवरण

सं०	नाम अदालत	सं० मुकदमात जो १-१-५५ को पैंडिंग थे	सं० मुकदमात जो १-१-५५ के बाद दायर हुए।	सं० कुल मुकदमात जो अब तक फैसल हुए।	सं० मुकदमात जो राज्य सरकार के खिलाफ फैसल हुए।	रकम जिसकी डिग्री राज्य सरकार के खिलाफ हुई।
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.
१.	डि० जज, बीकानेर	३	—	—	—	—
२.	डि० जज, गंगानगर	२	—	—	—	—
३.	सि० सि० जज, चूरू	१	४	—	—	—
४.	सि० सि० जज, गंगानगर	५	१	२	—	—
५.	सि० जज, बीकानेर	५	७	१	१	२१६७-१-४
६.	सिवल जज, रतनगढ़	२	४	—	—	—
७.	सिविल जज, गंगानगर	८५*	३	१	—	—
८.	सिविल जज, सूरतगढ़	—	—	—	—	—
९.	मुन्सिफ, बीकानेर	४	१	३	—	—
१०.	,, सादूलगढ़	—	१	—	—	—
११.	,, भादरा	—	—	—	—	—
	योग	१०७	२१	७	१	२१६७-१-४

*यह मुकदमें चने की दाल के राजस्थान तथा बम्बई गवर्नमेन्ट के खिलाफ दायर हुए हैं।

जयपुर डिवीजन

१.	डि० जयपुर सिटी	—	१	१	—	रु० १६,३३३
२.	,, जयपुर डि०	—	—	—	—	—
३.	,, भरतपुर	१०	—	१	१	७६,१८८-०-६

Page No.91

१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.
४.	डि० अलवर	२	–	१	१	१०००-०-०
५.	डि० जज, झुन्झुनू	१	३	१	–	–
६.	सि०सि० जज, किशनगढ़	१	–	–	–	–
७.	,, टोंक	२	३	–	–	–
८.	,, गंगापुर	–	१	–	–	–
९.	सि० सीकर	–	१	–	–	–
१०.	,, धौलपुर	२	–	१	–	–
११.	सि०सि० जज, जयपुर	३	३	३	१	५,२५८-१२-९
१२.	सि० जज, जयपुर सिटी	४	४	५	२	(१) २,०००-०-० (२) ४,६६१-१०-० का बयनामा लिखने के आदेश राज्य सरकार को दिये गये
१३.	,, जयपुर डि०	१	२	–	–	–
१४.	,, सांभर	–	–	–	–	–
१५.	,, नीम का थाना	–	–	–	–	–
१६.	,, अलवर	१	४	२	२	(१) २,७००-०-० (२) २०७५-०-० मय खर्चा
१७.	,, भरतपुर	५	७	–	–	–
१८.	,, झुन्झुनू	१	६	२	१	सम्पत्ति वादी की घोषित की गई
१९.	मुन्सिफ, जयपुर पूर्वी	६	८	२	१	५००) व खर्चा
२०.	,, जयपुर पश्चिमी	६	८	१	१	३७-११-० मय खर्चा
२१.	,, जयपुर डि०	३	२	–	–	–
२२.	,, दौसा	–	–	–	–	–
२३.	,, बांदीकुई	–	–	–	–	–
२४.	,, कोटपुतली	–	२	–	–	–
२५.	,, मालपुरा	–	–	–	–	–
२६.	,, स० माधोपुर	–	१	–	–	–
२७.	,, करौली	–	–	–	–	–
२८.	,, गंगापुर	–	३	–	–	–
२९.	,, हिण्डोन	१	–	–	–	–

Page No.92

१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.
३०.	मुन्सिफ धौलपुर	१	१	१	१	६००-०-० व २५८-८-०
३१.	,, अलवर	१	४	१	१	५३७-८-०
३२.	,, बयाना	—	५	—	—	—
३३.	,, लछमनगढ़	—	—	—	—	—
३४.	,, रतनगढ़	—	—	—	—	—
३५.	,, थाना गाजी	—	—	—	—	—
३६.	,, बहरोड़	—	—	—	—	—
३७.	,, किशनगढ़ (अलवर)	—	२	—	—	—
३८.	,, सीकर	—	—	—	—	—
३९.	,, शाहपुरा	—	१	—	—	—
४०.	,, डीग	—	—	—	—	—
४२.	स्मालकॉज़कोर्ट, जयपुर	३	४	१	—	—
	योग	५५	७७	२१	१२	

जोधपुर डिवीज़न

१.	डि० जज, जोधपुर	६	६	५	—	—
२.	,, मेड़ता	१	—	१	—	—
३.	,, बालोतरा	—	१	—	—	—
४.	,, पाली	—	—	—	—	—
५.	सी०सि०जज, जोधपुर	—	१२	—	—	—
६.	,, मेड़ता	१	—	—	—	—
७.	,, जालौर	—	१	—	—	—
८.	,, सिरोही	३	—	१	१	४६,२६५-०-६
९.	सि० जज, जौधपुर	१	३	—	—	—
१०.	,, बालोतरा	—	१	—	—	—
११.	,, पाली	—	२	—	—	—
१२.	,, जयसलमेर	२	३	१	—	—
१३.	,, सोजत	—	१	—	—	—
१४.	,, नागौर	—	—	—	—	—
१५.	मुन्सिफ, जोधपुर सिटी	१	४	—	—	—

१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.
१६.	मुन्सिफ, जोधपुर तहसील	१	२	१		१ राज्य सरकार को ५००० वर्ग फीट जमीन का किराया १-४-० की दर से वसूल न करने के आदेश दिये गये ।
१७.	,, फलौदी	–	–	–	–	–
१८.	,, बिलाड़ा	–	–	–	–	–
१९.	,, बाड़मेर	–	१	–	–	–
२०.	,, जालौर	–	–	–	–	–
२१.	,, सांचोर	–	–	–	–	–
२२.	,, भीनमाल	–	–	–	–	–
२३.	,, सोजत	–	२	–	–	–
२४.	,, बाली	–	–	–	–	–
२५.	,, देसूरी	–	३	–	–	–
२६.	,, जयतारन	–	–	–	–	–
२७.	,, परबतसर	–	१	–	–	–
२८.	,, मेड़ता	१	–	१	–	–
२९.	,, नांवा	–	२	–	–	–
३०.	,, डीड़वाना	–	२	–	–	–
३१.	,, सिरोही	–	१	–	–	–
३२.	स्मालकॉज़ कोर्ट, जोधपुर	–	६	–	–	–
३३.	,, सांभर	१	–	–	–	–
	योग	१५	५८	१०	२	–

कोटा डिवीजन

१.	डिं० जज, कोटा	४	३	१	–	–
२.	सी०सि० जज, बूंदी	३	३	३	–	–
३.	,, झालावाड़	३	४	–	–	–
४.	,, बारां	१	–	–	–	–

१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.
५.	सिविल जज, कोटा	२	४	—	—	—
६.	मुन्सिफ, कोटा	२	१	—	—	—
७.	,, बारां	—	३	२	२	१,७१६-२-० ८३८-१२-० मय खर्चा
८.	,, सिरोंज	—	५	३	१	१,३६६-६-० मय खर्चा
९.	,, बूंदी	६	७	१०	३	(१) ४६१-१०-० मय खर्चा (२) २७७-६-० मय खर्चा (३) ८९६-४-९ मय खर्चा
१०.	,, भवानी मण्डी	—	—	—	—	—
११.	,, अकलेरा	—	—	२	—	—
	योग	२२	३३	१९	६	—

उदयपुर डिवीज़न

१.	डि०जज, उदयपुर	—	—	—	—	—
२.	,, प्रतापगढ़	१	१	—	—	—
३.	,, भीलवाड़ा	१	३	—	—	—
४.	सी०सि० जज, उदयपुर	—	१	१	१	३,२२४-६-० व राज्य सरकार को ४,५१७-१-३ वसूल न करने का आदेश दिया
५.	,, बांसवाड़ा	—	—	—	—	—
६.	सि०जज, उदयपुर	१	६	—	—	—
७.	,, डूंगरपुर	३	२	२	—	—
८.	,, चितौड़गढ	—	१२	—	—	—

१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.
९.	सि०जज प्रतापगढ़	१	१	१	–	–
१०.	,, भीलवाड़ा	४	४	१	–	–
११.	,, शाहपुरा	–	–	–	–	–
१२.	मुन्सिफ, उदयपुर सि०	–	२	–	–	–
१३.	,, मावली	–	–	–	–	–
१४.	,, राजसमन्द	–	–	–	–	–
१५.	,, भीम	–	–	–	–	–
१६.	,, कानोड़	–	–	–	–	–
१७.	,, सागवाड़ा	–	–	–	–	–
१८.	,, छोटी सादड़ी	–	१	–	–	–
१९.	,, गंगापुर	–	१	–	–	–
२०.	,, बांसवाड़ा	१	–	–	–	–
२१.	,, कुशलगढ़	–	–	–	–	–
२२.	,, नाथद्वारा	–	–	–	–	–
२३.	,, कपासन	–	–	–	–	–
२४.	,, निम्बाहेड़ा	–	४	–	–	–
	योग	११	३७	५	१	

राजस्थान से बाहर अदालतों में

स्मालकॉज़कोर्ट, देहली १

कॉमर्शियल सब जज दर्जा अव्वल देहली १

सूची (ख)

पंजिका मुकदमात जो राज्य सरकार के विरूद्ध १-१-५५ से अब तक फैसल हुए व जिनमें राज्य सरकार के विरूद्ध डिक्रियां हुईं ।

संख्या	विवरण मुकदमा	मालियत	नाम अदालत जिसमें फैसला हुआ	रकम जितने की डिक्री हुई	तारीख फैसला	अपील हुई या नहीं
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.
				रू०आ०पा०		
१.	श्रीमती बाबू जैन शिव प्रसाद आचार्य निवासी जिला महसाना बनाम राज० सरकार दावा बाबत हिसाब फहमी मुकदमा नं० ४८ सं० १६५४ ।	५०,०००–०–०	सीनियर सिविल जज, सिरोही	४६२६५–०–६	२५–८–५५	अपील दायर नहीं हुई ।
२.	श्री डी०सी० किरवन, बनाम राज० सरकार । मुकदमा नं० ३० सन् ५३ ।	६,०००–०–०	सिविल जज, बीकानेर	२१६७–१–४	६–४–५५	अपील मुनासिब नहीं समझीगई ।
३.	महाराणा भूपाल इलेक्ट्रिक सप्लाई क० लि०, उदयपुर बनाम राजस्थान सरकार दावा नं० ३६/५३	दावा बा०वापिस दिला पाने रूपये ८०६०व४५१७) ४ आ० मुद्दई से वसूल न करने	सिविल जज, उदयपुर	३,२२४–६–३ वापस करने तथा राज्य सरकार को ४,५१७–१–३ न वसूल करने के आदेश दिये गये	२२–४–५५	रेस्पोन्डेन्ट ने अपील पेश की है और क्रोस आब्जेक्शन पेश किया है ।
४.	श्री उमादत्त शर्मा एडवोकेट अलवर बनाम राज० सरकार दु० नं० स ३८।५५ ।	७३६–०–०	मुन्सिफ, अलवर	५३७–८–०	२६–६–५५	अपील न पेश करना तय किया गया ।
५.	श्री अवतारचन्द जोशी बनाम राज० सरकार अव्वल अपील नं० २८२।५३ ।	१,०६५–०–०	डिस्ट्रिक्ट जज, अलवर	१,०००–०–०	१०–२–५५	दूसरी अपील पेश करना मुनासिब नहीं समझा गया ।
६.	श्री रतन लाल पुत्र श्री छाजूलाल जैन निवासी जयपुर बनाम राज० सरकार	२,२६५–०–०	सिविल जज, जयपुर सिटी	२,०००–०–०	—	पहली अपील डि० जजी, जयपुर सिटी मे ता० ६–८–५५ खारिज हुई व दूसरी अपील दायर नहीं की गई ।
७.	सरदारसिंह पुत्र अमरसिंह नि० सादेरा जि० बूंदी बनाम राज० सरकार मु० न० ७५।५४ ।	१,७१६–०–०	मुन्सिफ, बूंदी	दावा खारिज किया गया	—	प्लेन्टिफ ने सि० व सि० व एडी० सै० जज, बारां में अपील जो कि मंजूर की गई तथा अदालत मातहत का फैसला रद्द किया गया व १७१६) की डिक्री सरकार के विरूद्ध हुई व दूसरी अपील नहीं की गई ।
८.	श्री खैरातीलाल नि० अलवर बनाम रा० सरकार, (इन्सपैक्टर जनरल ऑफ प्रिज़न्स, जयपुर), मु० न०	३,४००–०–०	सिविल जज, अलवर	२३५०) व ३५०) ब्याज	२५–८–५५	अपील न करना तय पाया गया ।

१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.
				रु० आ० पा०		
९.	अमरचन्द धान्धिया बनाम राज० सरकार मु० न० ६२।५२।	१०,५००–०–०	सीनियर सिविल जज, जयपुर	५,२५८-१२-६	४–७–५५	अपील पेश नहीं की गई है।
१०.	कृपाराम एडवोकेट बनाम राज० सरकार मु० नं० ४२१।५२।	दावा इस्तकरार हक	मुन्सिफ, जोधपुर तहसील	१-४-० प्रतिमाह की दर से बेशी ५,००० वर्ग फीट जमीन का किराया न वसूल करने को सरकार को आदेश दिये गये	२०–८–५४	राज्य सरकार ने सी० सि० जज, जोधपुर के अपील पेश व वादी ने क्रोस आदेश पेश किया जो १९–४–५५ उक्त न्यायलय द्वारा खारिज किये गये। दूसरी अपील दायर नहीं की गई
११.	श्यामलाल शान्तीलाल बनाम राज० सरकार मु० नं० ३५।५२।	वा०वापिस दिलाये जाने रू०१२४२)	मुन्सिफ, धोलपुर	६०।) व २६६।) ब्याज	१५–१–५५	सी०सि०जज, धौलपुर द्वारा ता० २३-५-५५ को सरकार द्वारा की गई अपील खारिज की गई व दूसरी अपील हाई कोर्ट में अगस्त ५५ में दायर की गई।
१२.	मलजी छोगालाल बनाम राजस्थान सरकार मु० नं० ४२।५२।	३७–११–६	मुन्सिफ, जयपुर पश्चिमी	३७-११०	१७–२–५५	वादी ने १) के दावे के खारिज किये जाने के विरूद्ध डि०ज०, जयपुर में अपील पेश की।
१३.	हरिचरणलाल एण्ड सन्स भरतपुर बनाम राजस्थान सरकार मु० नं० ११।५२।	८६,६ ३	डि० जज, भरतपुर	मय खर्चा व १) का दावा खारिज ७६,२८९-१०-६ व २,८९८-५-६ बाबत खर्चा व ब्याज	२३–३–५५	राज्य सरकार द्वारा अगस्त, ५५ में अपील पेश की गई।
१४.	रामजीलाल बनाम सरकार	२,०१६–०–०	सिविल जज, अलवर	२,०७५) मय खर्चा	३०–७–५३	सरकार द्वारा पेश की गई अपील डि० ज०, अलवर से २६-८-५५ को खारिज हुई व दूसरी अपील दायर नहीं की गई।
१५.	सेट विश्वेश्वरलाल बनाम राज० सरकार मु० न० ६३।५२।	१६,६००–०–०	डि० जज, जयपुर सिटी	१६,३३३–०–०	७–३–५५	सरकार द्वारा हाई कोर्ट में अगस्त, ५५ में अपील पेश कर दी गई।
१६.	कालीचरण कानोडिया बनाम राजस्थान सरकार	४,४९७-१०-०	सिविल जज, जयपुर सिटी	सरकार को ४९९१-१०-० का बोड लिखने को आदेश दिये	२९–४–५५	जून ५५ डि० जज, जयपुर सिटी में अपील पेश की गई।
१७.	श्रीमती कमला देवी बनाम सरकार मु० न० २४०।५३	इस्तकरार हक मु० ५००)	सि० जज, झुन्झुनू	सम्पति वादी की घोषित की गई।	१३–६–५५	डि० जज, की अदालत में दि० १-८-५५ को अपील पेश की गई।
१८.	कस्तूरचन्द मोदी का बनाम राज० सरकार।	३७५-१३-६	मुन्सिफ, बूंदी	२७७–६–० व खर्चा	३१–५–५५	सि० व एडी० सै० जज, बूंदी के जून ५५ में अपील पेश की गई।

परिशिष्ट

१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.
				रु० आ० पा०		
१६.	जैन ब्रदर्स बूंदी बनाम राज० सरकार।	६२५–६–६	मुन्सिफ, बूंदी	८६६–४–६ व खर्चा	२६–४–५५	सि० व एडी० सैं० जज बूंदी के यहां जून ५५ में अपील पेश की गई।
२०.	पन्नालाल खेमचन्द बनाम राजस्थान सरकार।	१३६६–६–०	मुन्सिफ, सिरोंज	१३६६–६–० व खर्चा	२३–१२-५५	—
२१.	छगनलाल बनाम राज० सरकार।	८३८-१२-०	मुन्सिफ, बारां	८३८-१२-० व खर्चा		अपील अदालत सीनीयर सिविल जज बारां में पेश की गई।
२२.	रामदयाल बनाम सरकार।	७००–०–०	मुन्सिफ, जयपुर सिटी	५००–०–० व खर्चा	१५-१२-५५	अपील उपरोक्त कोर्ट में की गई अपील डि० जज, जयपुर के यहां की गई।
२३.	कल्याणमल बनाम राज० सरकार।	६२७-१३-०	मुन्सिफ बूंदी	४६१-१०-० मय खर्चा	३१–५–५५	सिविल व एडिशनल सैशंन जज बूंदी की अदालत में अपील पेश कर दी गई।